खण्ड-221, अंक-6
मंगलवार, 14 चैत्र, शक संवत् 1883
(4 अप्रैल, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 221 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ४ अप्रैल, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३३४

अक्षयवरसिंह, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इर्तजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री

गोविंदसहाय, श्री
गोविंदसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री

दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदस पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री

बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
विशम्बर सिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासी लाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगवतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजन लाल, श्री
भीखालाल, भी
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री

रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामजतन, श्री (वाराणसी)
रामलखनमिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचनयादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
राम स्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लखमीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगबिहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
वृजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवरामपांडेय, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभानाथ, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खन लाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री

हरीसिंह, श्री | हुकुम सिंह विसेन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री | होरी लाल यादव, श्री

श्रम मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी भी उपस्थित थीं ।

नोट--

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ४ अप्रैल, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर में हड़ताल

**१--श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव) तथा श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कानपुर में दि स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड में दिनांक २५ तथा २७ मार्च, १९६१ को श्रमिकों द्वारा किसी प्रकार की हड़ताल की गयी है ?

श्रम उप-मंत्री (श्री वसी नकवी)--जी हां ।

**२--श्री भगवती सिंह विशारद तथा श्री गोविन्द सिंह विष्ट--क्या श्रम मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्रमिकों या श्रमिकों की प्रतिनिधि संस्था सूती मिल मजदूर सभा की ओर से इस सम्बन्ध में सरकार को कुछ मांगें प्रस्तुत की गयी हैं ?

श्री वसी नकवी--जी हां ।

*३--श्री भगवतीसिंह विशारद तथा श्री गोविन्द सिंह विष्ट--यदि हां, तो क्या श्रम मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उन मांगों की पूर्ति के सम्बन्ध में सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वसी नकवी--इस मामले में आपसी समझौता कराने के लिये एक त्रिदलीय समिति की बैठक बुलाई गई थी परन्तु कोई समझौता नहीं हो सका ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या मंत्राणी जी बताने की कृपा करेंगी कि जब वह कानपुर तशरीफ ले गई थीं तो मिल मजदूरों ने उनसे शिकायत की थी कि शनिश्चर की शाम को और सोमवार को उन से ८ घंटे के बजाय ९ घंटे काम लिया जाता है और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसे ठीक कर दिया जायगा ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--कानपुर में कुछ कहा था इसका तो मुझे ध्यान नहीं है । लेकिन मजदूर प्रतिनिधि स्ट्राइक नोटिस देने के बाद यहां जरूर आये थे। जो यह ९ घंटे काम करने की बात है वह तो जो १९५४ में यूनानिमस ऐग्रीमेंट हुआ था उसके मुताबिक है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या मंत्री जी इसको देखते हुए कि किसी मिल में ८ घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जाता है, चाहे मजदूर किसी दबाव के कारण या मजबूरी के कारण ९ घंटे काम करने के लिये राजी हो गये हों, इसको अमानवीय समझ कर ८ घंटे कराने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—अमानवीय चीज तो मैं इसको नहीं मानती हूं। लकिन ९ घंटे के बजाय ८ घंटे हो जाय तो अच्छा है। हमने यहां पर इम्प्लायर्स के प्रतिनिधि और सबको बुलाकर समझौते की बातचीत की थी, लेकिन लेबर ने माना नहीं और जिद करके स्ट्राइक चला रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि यह सही है कि १९५४ से जब से काम करने के घंटे बढ़ाये गये थे, लेबर के प्रतिनिधियों ने सरकार के पास एप्रोच किया था और सरकार ने तीन आदमियों की एक कमेटी बनाई थी जिसके चेयरमैन श्री हसन थे लेकिन इस कमेटी ने कुछ काम नहीं किया, उन्होंने बराबर शिकायतें कीं, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया; तब मजबूर होकर मजदूरों को यह कदम उठाना पड़ा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इन लोगों का जब से इंतजाम चला है एक-दो बार शिकायत की थी और कमेटी ने उस पर गौर भी किया था लेकिन कोई सबस्टेंशियल ग्राउन्ड्स इस अरेंजमेंट को बदलने के लिये नहीं समझे गये।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी बतायेंगी कि त्रिदलीय सम्मेलन में कौन से कारण थे जिससे समझौता न हो सका ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—कारण यह था कि लेबर चाहती थी १०० परसेंट उनकी मांगें पूरी की जायं। इम्प्लायर्स कुछ हद तक तैयार थे लेकिन लेबर टस से मस नहीं होना चाहती थी।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगी कि इसी मिल में शनिश्चर और सोमवार को काम के घंटे बढ़ने के कारण हड़ताल बराबर होती चली जा रही है और इसी मिल के वाच ऐंड वार्ड के सिपाहियों की भी तीन महीने से हड़ताल जारी है और मिल मालिक समझौता करने के लिये तैयार नहीं हैं ? यदि हां, तो सरकार इस अशांति को दूर करने के लिये अपनी तरफ से कदम उठाने के लिये तैयार है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—हम लोगों की तरफ से पूरी कोशिश की गई है समझौता कराने की। हमने इम्प्लायर्स और इम्प्लाई को बुलाया था और एक कम्प्रोमाइज का रास्ता रखा गया था लेकिन लेबर मानने के लिये तैयार नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मजदूरों की क्या-क्या मांगें थीं, मोटी-मोटी, और किन-किन मांगों को मालिकों ने मान लिया था और किन मांगों में झगड़ा चल रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—बहुत डिटेल में जाने के बजाय मैं आपको मुख्तसर बता दूं कि सोमवार को वह एक घंटा ज्यादा काम करते हैं इस वजह से उनको तीन घंटे संडे को भी काम करना पड़ता है। इन चार घंटों को लेकर झगड़ा हुआ। मालिक लोग इतवार का एक घंटा छोड़ देने को तैयार थे और तीन घंटे सोमवार को जो काम करते हैं, उसको जैसा कि रेशनलाइजेशन वगैरह का सारा मामला आर्बिट्रेशन को रेफर किया जा रहा है, आर्बिट्रेशन के सामने डाला जा रहा था। इसलिये गवर्नमेन्ट ने सलाह दी कि आपने जो मांग किया है उसमें आप की एक घंटे वाली बात मानी जा रही है और तीन घंटे का सवाल आर्बिट्रेशन से फैसल हो जायगा। इसलिये आपको स्ट्राइक नहीं करनी चाहिये। लेकिन यह सलाह देने के बावजूद भी उन्होंने स्ट्राइक किया।

श्री मोतीलाल अवस्थी—यह जो हड़ताल मजदूर शनिवार और सोमवार को कर रहे हैं, इसके फलस्वरूप दो मजदूरों को चार्जशीट दे दी गयी है, इसके अलावा ६५ वाच ऐंड वार्ड के सिपाही सत्याग्रह करते हुये फाटक पर पड़े रहते हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या सरकार कोई ऐसा कदम उठा रही है जिससे अब अशांति आगे न बढ़े ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—वाच ऐंड वार्ड का सवाल बिलकुल अलग है। वह इसमें आता नहीं। लेकिन मैं आउट आफ दि वे जाकर बता देती हूं कि मिल मालिकों ने उनके लिये कंसेशन कर दिया है। जैसे उनका पहले काम था वैसा ही होगा। दो आदमियों को चार्जशीट देने की खबर मेरे पास नहीं है।

शिक्षा संस्थाओं के अनुदान में कथित कमी

****४—श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं को दिये जाने वाले जमींदारी उन्मूलन से हुई क्षति की पूर्ति सम्बन्धी अनुदान में वर्ष १९६०-६१ में कई लाख पये की कमी कर दी गई है जिसके फलस्वरूप सैकड़ों संस्थाओं को सहायता नहीं मिली है ? यदि हां, तो क्यों ?

शिक्षा उप-मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह अनुदान प्रदशीय सरकार द्वारा संस्थाओं को कब प्रदान किया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—मार्च में अभी प्रदान किया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—किस तारीख को प्रदान किया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस समय निश्चित तिथि तो नहीं है लेकिन सम्भवतः सबसे बाद में २२ मार्च के निकट शायद हुआ है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि "जी नहीं" से क्या मुराद है ? क्या वाकई में कमी नहीं की गयी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रश्न में यह कहा गया है कि सहायता नहीं मिली है। मैंने कहा 'जी नहीं' यानी सहायता मिली है।

गन्ने का मूल्य

****५—श्री नत्थूसिंह** (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की कौन-कौन-सी चीनी मिलें गन्ने का मूल्य इस समय पौने २ रुपया व दो रुपया दे रही हैं ?

सूचना उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—प्राप्त सूचनानुसार इस समय प्रदेश की कोई भी चीनी मिल गन्ने का मूल्य पौने दो व दो रुपये की दर से नहीं दे रही है।

****६—श्री नत्थूसिंह**—क्या सरकार प्रदेश के सभी काश्तकारों को गन्ने का एक-सा मूल्य दिलाने पर विचार कर रही है ?

श्री रऊफ जाफरी—प्रश्न नहीं उठता। वैसे भी यदि कोई चीनी मिल स्वैच्छा से निर्धारित न्यूनतम मूल्य (अर्थात् रु० १.६२ नये पैसे प्रति मन गेट तथा रु० १.५० नये पैसे प्रति मन रेल सेंटर्स) से अधिक गन्ने का मूल्य देवे तो भी अन्य चीनी मिलों को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य देने के लिये कानूनन बाध्य नहीं किया जा सकता।

श्री नत्थूसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सूचना उन्होंने मुझे दी है उसका आधार क्या है ?

श्री रऊफ जाफरी---जाहिर है कि केन डिपार्टमेंट के जरिये से दरियाफ्त किया गया है ।

श्री नत्थूसिंह---क्या यह बात सही है कि बिलारी चीनी मिल आज भी गन्ने का दाम १ रुपया १२ आना मन दे रही है ?

श्री रऊफ जाफरी---मुझे इसकी सूचना नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि प्रदेश के अन्दर कुछ चीनी मिलें ऐसी हैं, जो सरकार की ओर से निर्धारित दर है, उससे कम पर किसानों से गन्ना खरीदती हैं ?

श्री रऊफ जाफरी---कम पर वह ले नहीं सकते सिवाय इसके कि जो ट्रान्सपोर्ट वाली बात है । रेल साइडिंग पर उनको उतना ही देना पड़ेगा जितना कि मिनिमम प्राइस है और ऐसे ही गेट पर ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या माननीय मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि गत वर्ष इसी महीने में कुछ चीनी मिल के मालिकों ने १ रुपया १२ आना मन गन्ने की कीमत अदा की थी ? यदि हां, तो इस साल उतनी कीमत करने में उनको क्या दिक्कत पड़ रही है ?

श्री रऊफ जाफरी---यह बात सही है कि कुछ मिलों ने ज्यादा गन्ने का दाम उस वक्त दिया था जब कि केन्द्रीय सरकार ने यह कहा था कि पिछले दो सालों में ऐवरेज जितना ज्यादा प्रोडेक्शन होगा, उसमें वह बेसिक ड्यूटी ५० फीसदी कम कर देंगे । उस वक्त जो कम्पेटीशन ऋशर और गुड़ मैनुफैक्चरर्स का था उसमें कोटा बढ़ाने के लिये उनको बेसिक ड्यूटी में छूट कुछ मिली थी । मिलों ने दाम बढ़ा दिये थे यह बात ठीक है लेकिन उसी के साथ शर्त यह थी कि यह जो डेफर्ड पेमेन्ट होने लगा है उसका, जो दाम बढ़ा है उसमें हिसाब हो जायगा ।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम

**७---श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---राज्य सरकार द्वारा जो भारी उद्योग निगम की स्थापना करने की योजना बनाई जा रही है, व जिसके द्वारा १० लाख रुपये से अधिक का ऋण भारी उद्योग चलाने वालों को दिया जायेगा, क्या मुख्य मंत्री उसका संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रऊफ जाफरी---राज्य सरकार द्वारा वृहत उद्योगों की उन्नति के लिये उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम नाम से एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी की स्थापना मार्च, १९६१ में हो गई है । निगम का संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५५२-५५३ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस निगम के बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में कौन-कौन हैं और मैनेजिंग डाइरेक्टर कौन हैं ?

श्री रऊफ जाफरी--बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में निम्नलिखित नाम हैं :--

श्री सतीशचन्द्र, आई० सी० एस०, चेयरमैन,
श्री श्रीपति, आई० ए० एस०, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज,
श्री बी० बी० लाल, आई० सी० एस०, सेक्रेटरी पावर,
श्री वी० एम० भिडे, सेक्रेटरी फाइनेंस,
श्री एस० एस० एल० कक्कड़, सेक्रेटरी, एल० एस० जी०,
श्री आर० पी० वर्मा, सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव,
श्री एम० एस० दास, डाइरेक्टर इंडस्ट्रीज,
श्री पदमपत सिंघानिया,
श्री के० के० बिरला,
श्री एस० एस० मजीठिया,
श्री ए० के० जैन,
श्री जी० आर० नारंग,
श्री के० एन० श्रीवास्तव, एडीशनल डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज, मैनेजिंग डाइरेक्टर ।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि १० लाख रुपये से अधिक रुपया देने के लिये जो यह व्यवस्था की गयी है इसके लिये धन कहां से आयेगा ? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया जायगा और उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार कितना कंट्रीब्यूट करेगी ?

श्री रऊफ जाफरी--जो सदन की मेज पर उत्तर रखा गया है, उसमें यह सब दिया हुआ है। जो प्लानिंग कमीशन है उसने एक करोड़ रुपये की इस किस्म के कारपोरेशन के लिये व्यवस्था की है और इस वक्त २५ लाख रुपया जो बचत हुई है सेकेंड फाइव इयर प्लान में, उसे इसमें रख लिया गया है।

श्री ऊदल--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि लिस्ट में जो पांचवें नम्बर पर उन्होंने दिया है कि पहले वर्ष अर्थात् १९६१-६२ में निगम उद्योग क्षेत्रों की स्थापना और उससे संबंधित प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का काम प्रारम्भ करेगा या योजना में से कुछ को रखा जाय जिनकी व्यवस्था तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं की गयी है। तो वह कौन-सी योजनायें हैं जो तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं की गई हैं जिनको यह बोर्ड संचालित करेगा ?

श्री रऊफ जाफरी--जिनको वह योजना के बाद भी जरूरी समझें उनको वे ले सकेंगे। मान लीजिये कि कोई उद्योगपति आगे आता है और कोई कारखाना कायम करना चाहता है, तो उसकी रिपोर्ट या और दूसरी जो बातें हैं उनमें मदद देने के लिये, या सरकार ही कुछ करना चाहती है तो उसको मदद देने के लिये है। यह आइन्दा के लिये रखा गया है ताकि अगर जरूरत पड़े तो उनसे काम लिया जा सके।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ऋण देने की धनराशि की अंतिम सीमा क्या होगी ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--यह तो निगम स्वयं ही तय करेगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि जो यह निगम की स्थापना की गयी है यह जो योजनागत उद्योग धंधे हैं उनसे अलग उद्योग धंधों के लिये ऋण देगा या योजनागत उद्योग धंधों के लिये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---ऐसे भी उद्योग धंधे हैं कि जिनको सरकार स्वतः करना चाहती थी, लेकिन वह नहीं लिये गये और वह उद्योग धंधे जो नहीं लिये गये वह भी इसके द्वारा लिये जायंगे ।

श्री ऊदल---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसके पैरा १ में जो यह लिखा है कि निगम को १५ लाख तक निर्णय करने का अधिकार होगा तो इतनी बड़ी रकम का अधिकार निगम को क्यों दिया गया ? क्या इस पर सरकार पुनः विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह जो बना है इसका उद्देश्य ही यह है । १० लाख रुपये तक, जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित होगा, जो हमारा मौजूदा कारपोरेशन है, वह दे सकता है । उससे अधिक धनराशि देने के लिये ही किसी इस प्रकार की कंपनी की आवश्यकता थी और इसलिये १५ लाख से ऊपर की जो रकम यह कम्पनी देगी किसी एक उद्योग-धंधे के लिये, उसकी स्वीकृति सरकार से लेगी ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस निगम को चलाने में इस्टैब्लिशमेंट चार्जेज कितने होंगे और जो अधिकारीगण इसके सदस्य होंगे उनको क्या उनके वेतन और भत्ते के अलावा कुछ अन्य पैसा भी दिया जायेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---उनको और कुछ नहीं दिया जायेगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---श्रीमन्, तालिका जो दी गयी है उसमें नम्बर (३) पर लिखा है कि साधारणतः निगम निजी क्षेत्र की संस्थाओं को ऋण नहीं देगा परन्तु इसके अनुच्छेदों में एक समर्थकारी प्राविधान किया गया है, मैं जानना चाहता हूं कि यह समर्थकारी प्राविधान क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सामान्यतया वह कोई इस प्रकार का धन ऋण के रूप में किसी प्राइवेट कम्पनी को नहीं देगा, लेकिन अगर कोई ऐसा उद्योगधंधा हो और कोई ऐसी परिस्थिति हो जिसमें ऋण देने की आवश्यकता हो, तो वह ऋण दे सकता है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस निगम में अब तक प्राइवेट सेक्टर से कितना रुपया कन्ट्रीब्यूट हो चुका है और भविष्य में कितना होने की आशा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इसकी आथोराइज्ड कैपीटल ५ करोड़ की रखी गयी है और इसमें जो उद्योगपति रखे गये हैं वह इसी विचार से रखे गये हैं कि वे अपने शेयर्स लेंगे । इसकी रजिस्ट्री भी तो अभी २९ मार्च को ही हुई है ।

श्री ऊदल---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात पर पुनः विचार करेंगे कि जो उद्योगपति इसमें रखे गये हैं वह बड़े-बड़े आदमी हैं और जो ५ करोड़ की रकम रखी गयी है वह बहुत कम है, इसको देखते हुये इसकी पूंजी को बढ़ाया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---बढ़ाने की अगर आवश्यकता होगी तो कम्पनी ऐक्ट के अनुसार उनकी अथोराइज्ड कैपिटल बढ़ाई भी जा सकती है।

तारांकित प्रश्न

[गृह मंत्री की प्रार्थना पर २८ मार्च, १९६१ के स्थगित प्रश्न]

* * *

पुलिस लाइन्स, पीलीभीत में झगड़ा

*७—श्री ऊदल तथा श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या सरकार को पता है कि २६ नवम्बर, १९६० को पीलीभीत की पुलिस लाइन्स में पुलिस रक्षा दल के वार्षिक खेल-कूद के समय पुलिस व नियोजन कार्यालय की टीमों में झगड़ा हुआ तथा पुलिस ने लाठियों का प्रयोग किया जिससे ३० व्यक्ति घायल हो गये ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, इस झगड़े में कुल चौदह व्यक्तियों के चोटें आईं। दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध जांच समाप्त हो गई है और विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

*८—श्री ऊदल तथा श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या सरकार को पता है कि इस कांड के हो जाने पर पीलीभीत में २७ नवम्बर, १९६० को हड़ताल की गई और एक सार्वजनिक सभा में सरकार से न्यायिक जांच की मांग की गई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, इस सभा की कार्य समिति जिलाधीश से मिली और न्यायिक जांच की मांग की, जिलाधीश ने उस समिति को बताया कि इसमें न्यायिक या मजिस्टीरियल जांच की कोई गुंजायश नहीं थी क्योंकि घटना से यह स्पष्ट था कि इस मामले में पुलिस कर्मचारी अपराधी थे। इस पर कार्य समिति ने अपनी न्यायिक जांच की मांग समाप्त कर दी।

श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नियोजन टीम और पुलिस टीम में जो झगड़ा हुआ उसका कारण क्या था ?

श्री रामस्वरूप यादव—इन दोनों टीमों में खेल हो रहा था और उसी खेल के बीच पुलिस की टीम का एक खिलाड़ी गिर गया। उसको नियोजन टीम के दो तीन आदमियों ने पकड़ लिया। इस पर उनको कुछ गुस्सा आ गया और जो झन्डे वहां लगे थे उनके बांसों को निकाल कर पुलिस वालों ने मारना शुरू कर दिया और झगड़ा बढ़ गया। आयुर्वेदिक कालिज के विद्यार्थियों से भी पुलिस की टीम हार चुकी थी। यही कारण था।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जब घटना इतनी बड़ी हुई, १४ व्यक्तियों को चोटें आयीं, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, तो उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—पुलिस अधीक्षक ने उनके खिलाफ पुलिस लाइन की कार्यवाही की और दो व्यक्तियों को मुअत्तल भी कर दिया है। इसमें ओंकारनाथ सिंह को इसी जांच के सिलसिले में नौकरी से अलग भी कर दिया गया है। दूसरों के विरुद्ध कार्यवाही चल रही है और लोगों को संतोष हो गया है। कुछ और लोगों के खिलाफ आर्डरली रूल की कार्यवाही भी की जायेगी।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, जिस दिन यह कांड हुआ था उस दिन प्रश्नकर्त्ता भी वहां मौजूद था और जब वहां इस सिलसिले में हड़ताल हुई तो कुछ लोगों का जुलूस वहां जिलाधीश से मिला और जिलाधीश ने यह कहा कि इसमें जुडीशियल जांच बिठाई जाये, फिर पुलिस की टीम एक आयुर्वेदिक टीम से भी हार चुकी थी और इस टीम से भी हारने वाली थी, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में न्यायिक जांच क्यों नहीं की गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह तो मान ही लिया गया कि पुलिस के खिलाड़ियों ने गलती की थी। साथ में यह उत्तर दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने यह बतलाया कि न्यायिक जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निश्चित मामला है। पता नहीं कि माननीय सदस्य को सूचना कहां से है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या मंत्री जी को सूचना है कि प्लानिंग विभाग के लोग इस बात पर जोर देते रहे आखिर तक कि जांच होनी चाहिये, लेकिन चूंकि सब के सब सरकारी मुलाजिम थे इस वजह से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के दबाव के कारण उनको चुप रह जाना पड़ा ?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसी बात नहीं है। नियोजन विभाग के लोग भी वहां गये हुए थे। उन सब से बात-चीत करके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने समझा दिया।

कमलापुर थाने के अफसर दोयम के विरुद्ध शिकायत

*९—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुडीशियल अधिकारी, सिधौली (सीतापुर) के यहां से अदालत पंचायत, महोली कमलापुर, तहसील सिधौली को स्थानान्तरित ९ अप्रैल, १९६० के फौजदारी मुकदमे (पंचायत मुकदमा नं० ५, इलजाम नं० ६१) के सम्बन्ध में जिसका निर्णय हो चुका है, अभियुक्तों के घरों की तलाशी लेने के बारे में थाना कमलापुर के भूतपूर्व अफसर दोयम ने बयान दिया है परन्तु जिन ग्रामों में तलाशी ली गई, कहा गया है क्या वास्तव में उन ग्रामों में अभियुक्तों के घर नहीं थे ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, सब-इन्सपेक्टर ने ऐसा बयान दिया था।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभियुक्तों के मकान किस गांव में थे और सब-इंसपेक्टर ने किस गांव में तलाशी लेने का बयान दिया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—अभियुक्तों का निवास तो ग्राम अदसेरी में था, उसके पड़ोस का मिला-जुला गांव अंकित कर दिया गया था, सब-इंसपेक्टर ने छरासी गांव अंकित कर दिया था।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि यह सब-इंसपेक्टर पुलिस इस समय कहां पर है और किस पद पर है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री गोविन्दसिंह दिष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो पुलिस अधिकारी यह मानता है कि अभियुक्तों के घर तलाशी नहीं ली गयी लेकिन उनपर मुकदमा चलाया गया, तो ऐसे पुलिस आफिसर पर कार्यवाही क्या की गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव—कार्यवाही की जायगी। जांच हो रही है। बात तो यह है कि कई तलाशी में गांव और लिख दिया, इसलिये उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते थे, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि उन्होंने गलती की है।

महमूदाबाद थाने के हेड कांस्टेबिल के विरुद्ध कार्यवाही का आदेश

*१०—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जुलाई, १९६० में एक पत्र क्षेत्रीय एम० एल० ए० का डिप्टी इंन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस, लखनऊ रेन्ज, लखनऊ को इस आशय का प्राप्त हुआ कि ग्राम सरैया मस्मूले वायुपुर, थाना महमूदाबाद, तहसील सिधौली (सीतापुर) के अन्तर्गत कुयें में दो स्त्रियों के शव बरामद हुये और इन शवों को पोस्ट-मार्टम किये बिना यों ही फुकवा दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां।

*११---श्री ताराचन्द माहेश्वरी---यदि हां, तो क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिना पोस्टमार्टम कराये ही लाशों को फुकवा दिये जाने का क्या कारण है? इस सम्बन्ध में दोषी कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और यह पुलिस कर्मचारी किस पद पर तैनात है?

श्री रामस्वरूप यादव---सूचना प्राप्त होने पर थाने का हेड-कांस्टेबिल मौके पर गया। लाशों की जांच करने पर उसने ऐसी कोई बात नहीं पाई जिससे हत्या आदि किये जाने का सन्देह हो। इसलिये उसने लाशों को जलाने के लिये दे दिया। डी० आई० जी० रेंज ने हैड कांस्टेबिल के आचरण को सही नहीं माना और विभागीय कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह हेड कांस्टेबिल इस समय सीतापुर जिले में किस पद पर है?

श्री रामस्वरूप यादव---लाइन में बुला लिया गया है।

* * * *

बाजार खाला, लखनऊ तथा ग्राम भरोसा से पुलिस के विरुद्ध शिकायती पत्र

*१४---श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सुपरिन्टेंडेंट पुलिस, लखनऊ तथा गृह मंत्री को जनवरी, १९६१ में बाजर खाला, हैदरगंज कदीम भदेवा व बल्लोचपुरा, थाना चौक, जिला लखनऊ के नागरिकों की दरख्वास्तें प्राप्त हुई हैं जिनमें स्थानीय पुलिस की शिथिलता की शिकायत की गई है? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त शिकायतों के सम्बन्ध में क्या किया गया है?

श्री रामस्वरूप यादव---इस संबंध में दिनांक १९-१-६१ का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था। इसमें किसी विशेष कर्मचारी या घटना के संबंध में शिकायत नहीं की गई थी। जिन बातों का उल्लेख किया गया था वे सामान्य किस्म (General Nature) की थीं और जांच करने पर सही नहीं पाई गई।

*१५---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि ग्राम भरोसा, थाना काकोरी, परगना व जिला लखनऊ के निवासियों की शिकायती दरख्वास्तें सितम्बर, १९६० या उसके बाद में सुपरिन्टेंडेंट, लखनऊ को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वे शिकायतें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, इसमें पुलिस के विरुद्ध औरतों व पुरुषों को पीटने, घरों से जेवर, कपड़ा उठा ले जाने, कुछ व्यक्तियों को धारा ६० एक्साइज ऐक्ट व १९ आर्म्स ऐक्ट के मुकदमों में फंसाने तथा रिश्वत लेने के आरोप लगाये गये थे। मुकदमों में फंसाने के आरोप को छोड़कर सभी आरोपों की जांच डी० एस० पी० (कम्पलेंट) ने की और वे निराधार पाये गये। मुकदमों में फंसाने के आरोप की जांच नहीं की जा सकी क्योंकि इस संबंध में कुछ मुकदमे अदालत में विचाराधीन हैं।

श्री मदन पांडेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पहले प्रश्न के सम्बन्ध में जो लोग आवेदन-कर्ता थे, जिन्होंने प्रार्थना-पत्र दिया था, जांच के समय क्या उनसे भी पूछ-ताछ की गयी है?

श्री रामस्वरूप यादव---यह तो पता नहीं कि इस सम्बन्ध में की गयी या नहीं, लेकिन जिसने शिकायत की होगी उससे जरूर पूछ-ताछ की गयी होगी।

श्री मदन पांडेय---क्या जो जांच-कर्ता अधिकारी थे उनका नाम और रिपोर्ट सदन के सामने मंत्री जी संक्षिप्त रूप में रखने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष--उस रिपोर्ट को पढ़ने की तो इजाजत नहीं दूंगा, उसमें से जो संबंधित हो, वह बतला दें ।

श्री रामस्वरूप यादव--मैंने उत्तर में कहा कि डी० वाई० एस० पी० (कम्पलेंट) ने जांच की थी ।

श्री अध्यक्ष--खास क्या नतीजा हुआ है, वह सुना सकते हैं ।

श्री रामस्वरूप यादव--शिकायतें सही नहीं पाई गईं, यह मैंने उत्तर दिया ।

श्री मदन पांडेय--मुकदमों में फंसाने के आरोप सिद्ध होने के बाद क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव--मुकदमा विचाराधीन है, तो उसमें उसका भी निर्णय हो जाता है ।

कृषि विभाग कार्यालय, जिला खीरी के जाली बिल का भुगतान

१६--श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी कृषि विभाग कार्यालय से ८ मई, १९५९ को धोखा देकर कृषि अधिकारी द्वारा किसी ने ११,००० रुपये की रकम के बिल पर दस्तखत कराकर और ट्रेजरी आफिस, लखीमपुर से पास कराकर स्टेट बैंक से जाली भुगतान ले लिया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां ।

१७--श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उक्त घटना की जांच हुई ? यदि हां, तो जांच किसने की और जांच का परिणाम क्या हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां, जांच पुलिस द्वारा हुई । उन्होंने कृषि विभाग के कर्मचारियों को निर्दोष पाया । उनके मत से बैंक के कर्मचारियों ने भ्रमवश किसी अपरिचित व्यक्ति को रुपयों का भुगतान कर दिया । जिलाधीश द्वारा बैंक वालों की जिम्मेदारी निर्धारित की जा रही है ।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस अफसर के दस्तखत उस बिल पर थे उन दस्तखतों की किसी विशेषज्ञ से भी जांच कराई गई कि दस्तखत उन्हीं के हैं या किसी दूसरे ने तो नहीं कर दिये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--जांच हो रही है । डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिस के कर्मचारियों का दोष तो नहीं पाया गया लेकिन मालूम पड़ता है कि या तो ट्रेजरी में असावधानी बरती गई कि नियमों का पालन नहीं किया गया या बैंक में ।

श्री शिव प्रसाद नागर--क्या ट्रेजरी के किसी क्लर्क ने इस बिल में ५१ नये पैसे की गलती टोटल में पाई और वह बिल एग्रीकल्चर आफिस को वापिस न करके भुगतान कर दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव--यह सूचना तो है कि दो बार उन्होंने आब्जेक्शन किया । उसके बावजूद भी पेमेंट हो गया, इसकी जांच हो रही है ।

श्री गौरीशंकर राय--कृपया मंत्री जी बतलायेंगे कि उन्होंने यह किस आधार पर कहा कि जिलाधीश बैंक वालों पर जिम्मेदारी निश्चित कर रहे हैं ।

श्री रामस्वरूप यादव--मैंने जिलाधीश की राय बता दी है । कागज वित्त विभाग में, सरकार में, भी आते हैं ।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या यह सही है कि जिस ट्रेजरी क्लर्क की गलती से बिल का गलत पेमेंट हो गया उसे प्रोमोशन भी मिला है ?

श्री रामस्वरूप यादव--मुमकिन है कि प्रोमोशन मामूली कोर्स में हो गया हो। दोषी पाये जाने पर सजा दी जायगी ।

घोसी थाने की पुलिस द्वारा घूस लेने की शिकायत

*१८--श्री रामसुन्दर पांडेय--घोसी थाने की पुलिस द्वारा घूस लेने के सम्बन्ध में क्या गृह मंत्री ७ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १६१ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि शिकायती-पत्र की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और परिणाम क्या हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव--शिकायती-पत्र की जांच पुलिस उप-अधीक्षक (परिवाद) द्वारा कराई गई और आरोप सही नहीं पाये गये ।

*१९--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच अधिकारी ने शिकायत करने वाले का भी बयान लिया था या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव--बयान लिया था ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि शिकायत करने वाले ने जांच अधिकारी के पास क्या बयान दिया ?

श्री रामस्वरूप यादव--शायद यह बयान दिया था कि मैंने रुपया भी नहीं दिया और न शिकायत की ।

* * * *

अमरौधा ग्राम में बैलों का वध

*२८--श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १० जनवरी, १९६१ को तहसील पुखरायां के अमरौधा ग्राम में लगभग २०० गौवंश का कत्ल किया गया और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवकों ने १६ कसाइयों को पुलिस की सहायता से रंगे हाथों पकड़ा ?

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)--१० जनवरी, १९६१ को इस ग्राम में ४४ बैलों का बध हुआ जिसकी सूचना पुलिस को डाक्टर गया प्रसाद, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य हैं, के द्वारा मिली थी। इस सम्बन्ध में १६ व्यक्ति पकड़े गये हैं ।

*२९--श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि दिनांक १० जनवरी, १९६१ को जो कसाई रंगे हाथों पकड़े गये थे उनका केस अभी तक अदालत में नहीं भेजा गया है ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं ।

*३०--श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि सिकन्दरा सट्टी, अमरौधा, बोल्हापुर, चांदापुर, हैदरपुर आदि ग्राम तहसील पुखरायां के गौहत्या के प्रमुख केन्द्र बने हुये हैं ? यदि हां, तो सरकार इस गौहत्या को रोकने की क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं। यह गलत है कि ये ग्राम गोहत्या के प्रमुख केन्द्र बने हुये हैं। ग्राम चांदपुर और हैदरपुर में क्रमशः दिनांक २० नवम्बर, १९६० तथा १२ फरवरी, १९६० और २० दिसम्बर, १९६० को एक तथा दो गोहत्या के केस पकड़े गये हैं जिसमें ३ कसाइयों पर मुकदमा चलाया जा रहा है। इस विषय में पुलिस काफी सतर्क रहती है और गोहत्या की सूचना पाते ही घटनास्थल पर पहुंच कर आवश्यक कार्यवाही करती है।

* * * *

एस०ओ० कोतवाली, मैनपुरी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही

*४२--**श्री मलिखानसिंह** (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी शहर कोतवाल के विरुद्ध हाल में भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें सरकार के पास आई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री चरणसिंह--एस० ओ० कोतवाली, मैनपुरी के विरुद्ध एक शिकायती-पत्र दिनांक ५-१-६१ सरकार को प्राप्त हुआ था। इसमें उल्लिखित आरोपों के विषय में जांच कराई गई जिसके फलस्वरूप कुछ आरोप सही मालूम होते हैं। उक्त एस० ओ० का थाना कोतवाली, मैनपुरी से स्थानान्तरण कर दिया गया है और उनके विरुद्ध पूरी जांच कराकर विभागीय कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

गोहंड, मगरौल तथा लखावती ग्रामों में फार्म खोलने का कार्य

*४३--**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गोहंड व मरोल खुर्द, जिला हमीरपुर व ग्राम लखावती, तहसील गरौठा (झांसी) में कृषि फार्म कब और किनकी सिफारिश पर खोले गये थे तथा उन पर कितना-कितना रुपया व्यय किया गया था ?

श्री रामस्वरूप यादव--स्थिति इस प्रकार है :--

ग्राम गोहंड का फार्म--फार्म अभी खोला नहीं गया है। Land Acquisition Act की कार्यवाही चल रही है। विज्ञप्ति २१ मार्च, १९६० को जारी हुई थी। अभी कोई व्यय नहीं हुआ है।

मगरौला का फार्म--प्रश्न में मरोल छपा है। स्थान का ठीक नाम मगरोल है। यहां भी फार्म अभी नहीं खुला है न कुछ व्यय हुआ है। Land Acquisition की कार्यवाही चल रही है। ३१ मार्च, १९६० को विज्ञप्ति जारी हुई थी।

ग्राम लखावती का फार्म--जिला झांसी में ग्राम लखावती में भूमि प्राप्त करने के लिये ३१ मार्च, १९६० को सरकार द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी। इस भूमि को सुधार कर कृषि योग्य बनाने के लिये और फार्म स्थापित करने के लिये ६,८०० रु० व्यय किया जा चुका है।

यह सब जमीनें जिलाधीश और कृषि निदेशक की सलाह से ली जा रही हैं।

*४४--**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त फार्म अब भी कायम हैं? यदि नहीं, तो कब और किसकी सिफारिश पर तथा किसकी आज्ञा से तोड़े गये और उनमें से जमीन वापस कर दी गई ?

श्री रामस्वरूप यादव--जैसा प्रश्न सं० ४३ के उत्तर में कहा गया है, ग्राम गोहंड तथा मगरौल खुर्द में ली जाने वाली भूमि पर अभी कृषि विभाग को अधिकार नहीं मिला है। इस भूमि को छोड़ने का कोई विचार नहीं है। ग्राम मगरौल खुर्द में ५४.८४ एकड़ भूमि लेने के लिये विज्ञप्ति जारी की गई थी, परन्तु अब सरकार ने जिलाधीश को यह आदेश दे दिया है कि इस भूमि में से केवल २५.०० एकड़ रखकर बाकी भूमि छोड़ दी जाय।

ग्राम लखावती में भी पहिले ५० एकड़ भूमि ली जा रही थी अब सरकार ने जिलाधीश को यह आदेश दे दिये हैं कि इस भूमि में से केवल २५.०० एकड़ रखकर बाकी भूमि छोड़ दें।

योजना के अनुसार एक फार्म का क्षेत्रफल २५ एकड़ ही होना चाहिये। इसलिये इससे अधिक भूमि किसानों से लेना उचित न समझा गया ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—जो छोड़े हुये २५ एकड़ पर ३,४०० रुपया खर्च हुआ क्या सरकार उसे वापिस लेने जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—उसे वसूल करने का सवाल नहीं उठता है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या जिलाधीश झांसी ने यह सिफारिश की है कि चूंकि इस जमीन पर रुपया खर्च हुआ है, इसे छोड़ा न जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—सरकार का आदेश तो साधारणतया यह है कि २५ एकड़ से ज्यादा न ली जाय, लेकिन ज्यादा लेली गई और सरकार ने यह सोचा कि छोटे काश्तकार हैं, इसलिये २५ एकड़ ही रखी जाय। जिलाधीश और सरकार का पत्र-व्यवहार तो होता ही रहता है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—ग्राम मगरौल में जो जमीन ली गई है, उस पर कोई खर्चा नहीं हुआ, न वह कब्जे में ली गई है, वह एक नाबालिग की है और उसने जमीन की वापसी की प्रार्थना की है, तो क्या सरकार उसे वापस करने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—५४.८४ एकड़ का लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट में नोटीफिकेशन हुआ। जमीन छोड़ते समय चक भी देखना होगा कि वह बिखरा हुआ न रह जाय ।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—जो जमीन किसानों से ली गई है उसका किस भाव से मुआवजा देने का तय किया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—माल विभाग के नियम बने हुये हैं। लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट में यह भी है कि अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो वह अदालत दीवानी में भी जा सकता है और उसका रेफ्रेंस करा सकता है ।

श्री गौरीशंकर राय—जिस समय जमीन ली गई उस समय भी छोटे किसानों की थी, तो २५ एकड़ की जरूरत होते हुये ५० एकड़ क्यों ली गई ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने गलती कबूल तो कर ली।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि लखावती में जो जमीन ली गयी है वह छोटे किसानों की ली गयी है और बड़े किसानों की जमीन छोड़ दी गई है ? जिन किसानों को जमीन वापस की जा रही है उनसे यह ३,४०० रुपया काटा जायगा या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—कुल ५० एकड़ भूमि ली गयी थी जिसमें ११ ऐसे काश्तकार थे जिनके ऊपर असर पड़ता था। इनमें दो काश्तकार ऐसे थे जो भूमिहीन हो जाते थे। मैं समझता हूं ज्यादातर छोटे काश्तकारों की जमीन नहीं ली गयी। बाकी रुपये के बारे में तो मैंने निवेदन कर ही दिया कि नियमों के अनुसार जो किया जा सकता है वह किया जायगा। नियमों का तो पालन करना ही पड़ेगा ।

हजरतगंज, लखनऊ से पुत्तीलाल अभियुक्त का भागना

*४५—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि हजरतगंज, लखनऊ में १५ फरवरी, १९६१ की शाम को ८ बजे कोई कैदी पुलिस की हिरासत से हथकड़ी तथा कम्बल छोड़कर भाग गया था ? यदि हां, तो वह मुलजिम कौन था और किस हुफा में वह गिरफ्तार हुआ था ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, अभियुक्त पुत्ती लाल, ग्राम खरगापुर, थाना मड़ियांव का निवासी है। वह भारतीय दंड विधान की धारा ३९५/३९७ के अन्तर्गत गिरफ्तार हुआ था ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि उसकी गिरफ्तारी कब हुई और ८ बजे उसको हजरतगंज थाने में क्यों लाया गया था ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, उसकी गिरफ्तारी १५ फरवरी, १९६१ को हुई, ४.२५ पर मड़ियाहूं थाने से उसको वहां के थाने के अधिकारियों ने यहां जेल में भेजा। जेल के नियमों के अनुसार एक निश्चित समय के बाद जेल में नहीं लिया जाता है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति कभी आ जाती है तो उसको पास वाले किसी थाने में रख दिया जाता है। क्योंकि अभियुक्त को जेल पहुंचने में देर हो गयी थी इसलिये उसको हजरतगंज में रखा गया।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उसकी गिरफ्तारी भाग जाने के बाद हुई या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—वह धक्का देकर भागा था, लेकिन तुरन्त ही पकड़ लिया गया।

लोधेश्वर महादेवा के मेले में दंगा

*४६—**श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी की तहसील फतेहपुर में महादेवा लोधेश्वर में माह जनवरी, १९६१ को महा शिवरात्रि के मेले के अवसर पर किस प्रकार के दंगे-फसाद की घटना घटी और उसका क्या प्रबंध किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस वर्ष लोधेश्वर महादेवा के मेले के अवसर पर दिनांक ११-२-६१ को एक छोटी-सी घटना घटी थी जिसमें कांवार्थी लोगों तथा लइया-बताशे बेचने वाले दूकानदारों के बीच कुछ झगड़ा हुआ था। पुलिस ने तुरन्त झगड़ा करने वालों को १५१ जा०फौ० के अन्तर्गत गिरफ्तार किया ।

*४७—**श्री जंगबहादुर वर्मा**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त मेले के अवसर पर सन् ५६, ५७, ५८, ५९, ६० ई० में प्रत्येक वर्ष दंगे-फसाद की घटनायें घटी थीं ? यदि हां, तो किस प्रकार की और क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—उक्त मेले में सन् १९५८ तथा १९६० को छोड़ कर और तीनों वर्षों में कोई दंगा-फसाद की घटना नहीं हुई । सन् १९५८ तथा १९६० की घटनाओं का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५५४ पर)

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि चूंकि महादेवा मेले का प्रबंध मेला अधिकारियों से समुचित ढंग से नहीं होता है? यदि हां, तो क्या सरकार देवा के मेले की भांति उक्त मेले का भी इन्तजाम करने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, यह खयाल नहीं किया गया था कि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जायगा। लेकिन वहां पर लॉ ऐन्ड आर्डर की गड़बड़ी न हो इसलिये आवश्यकतानुसार पुलिस वहां पर भेज दी जाया करेगी ।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि १९५८ में ऐसी घटना घट चुकी थी फिर १९६० में क्यों घटी ? उसका इंतजाम क्यों नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने बता तो दिया कि इंतज़ाम किया गया था ।

विरनो थाना क्षेत्र में नकबजनी की घटनायें

*४८--श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के विरनो थाने के अन्तर्गत जनवरी, १९६१ से १७ फरवरी, १९६१ तक कितनी नकब लगा कर चोरियां हुईं जिनकी रपट थाने में लिखी गई ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस अवधि में नक़बजनी की तीन घटनाओं की सूचना थाने पर हुई ।

*४९--श्री यमुनासिंह--क्या यह सही है कि गाजीपुर थाना विरनो के बुद्धू पुर ग्राम में कई हजार की चोरी हाल में नकब लगा कर हो गई है ? यदि हां, तो सरकार की तरफ से उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव--ग्राम बुद्धूपुर, थाना विरनो में नकब लगाकर चोरी होने की सूचना दिनांक १०-२-६१ को थाने पर हुई थी। केस में पुलिस द्वारा जांच हो रही है।

श्री यमुनासिंह--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्हें जो सूचना मिली थी वह नामजद थी, इसमें अब तक कोई गिरफ्तारी हुई है या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, इस घटना की विवेचना के दौरान में फेंकू व रघु पर सन्देह हुआ था लेकिन साक्ष्य के अभाव में उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। श्रीमन्, यह जो मैं बतला रहा हूं, १६ फरवरी, १९६१ की घटना के बारे में है।

* * *

ग्राम चौकीदारों की तनख्वाह बढ़ाने की सिफारिश

*५६--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--क्या सरकार ग्रामीण चौकीदारों की तनख्वाह को जो केवल ५ रु० है बढ़ाने की तरफ कोई कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी नहीं, ग्राम चौकीदारों के भविष्य में रखने अथवा न रखने के प्रश्न पर पुलिस कमीशन विचार कर रहा है। उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी ।

श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह पुलिस कमीशन की रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जायेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--वैसे तो ३१ मार्च तक की अवधि थी, लेकिन अब उन्होंने दो महीने की और अवधि मांगी है। ऐसी हालत में आशा है कि ३१ मई तक पुलिस कमीशन की रिपोर्ट प्राप्त हो जायगी ।

श्री ऊदल--गतवर्ष पुलिस स्टैंडिंग कमेटी में भी चौकीदारों के रखने या न रखने के सम्बन्ध में विचार हुआ था तो वहां सर्वसम्मति से फैसला हुआ था कि चौकीदारों को रखा जाय क्योंकि उनसे बहुत सहायता मिलती है, तो क्या इस सुझाव को माननीय गृहमंत्री जी ने पुलिस कमीशन के पास पहुंचा दिया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--पुलिस स्टैंडिंग कमेटी के सामने इस पर विचार हुआ था तो वहां चौकीदारों के रखे जाने का फैसला हुआ था लेकिन यह विषय पुलिस कमीशन के सामने भी है। पुलिस कमीशन की रिपोर्ट और स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशें भी सरकार के सामने रहेंगी, जब कभी निर्णय लिया जायगा ।

सिकन्दराराऊ थाना क्षेत्र में विभिन्न अपराधों की घटनायें

*५७—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) क्षेत्र में सन् १९६० तथा १९६१ की जनवरी और फरवरी में कितने कत्ल, डकैतियां और चोरियां हुई हैं ?

*५८—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त कितने मामलों में चालान हुये और कितने छूटे ?

श्री चरणसिंह—मांगी गई सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५५५ पर)

उस्का बाजार थाना क्षेत्र में कत्ल

*६१—श्री प्रभु दयाल (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना उस्का बाजार, जिला बस्ती के अन्दर १९६० में कितने कत्ल और डकैतियां हुईं ?

श्री चरण सिंह—इस अवधि में तीन कत्ल की घटनाएं हुईं डकैती की कोई घटना नहीं हुई ।

कृषि विभाग के कुछ अधिकारियों को विदेश भेजने के संबंध में जानकारी

*६२—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृषि विभाग के ऐसे Non-Technical उच्च अधिकारियों व विभागाध्यक्षों की सूची उनके नाम, पद सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी कि जो भविष्य में (जुलाई, १९६१ से पहले) विदेश जा रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—कृषि विभाग के ऐसे कोई अधिकारी नहीं हैं ।

*६३—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसे Non-Technical उच्च अधिकारियों व विभागाध्यक्षों के विदेश जाने का क्या विशेष प्रयोजन व उपयोगिता शासन के समक्ष है ?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रश्न नहीं उठता ।

*६४—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त विदेश भ्रमण में अनुमानतः कितना धन व्यय होने की संभावना है ?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रश्न नहीं उठता ।

डाकुओं के गिरोह में सेनपालसिंह, उपनाम "सिन्धु" की मृत्यु तथा श्रीमती सियाजू की गिरफ्तारी

*६५—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अभी हाल ही में ललितपुर सब-डिवीजन (झांसी) में डाकुओं का जो गिरोह पकड़ा गया है उसमें कितने डाकू गिरफ्तार हुये हैं व कौन-सा डाकू किसके द्वारा मारा गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—सात डाकू गिरफ्तार हुए, डाकू सेनपाल सिंह उपनाम "सिन्धु" मुखबिर द्वारा मारा गया ।

*६६--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त डाकुओं के साथ में श्रीमती सियाजू नामक कोई महिला भी पकड़ी गई है ? यदि हां, तो उसकी क्या आयु है और उक्त डाकुओं में से किसके द्वारा व कब उसके घर से उसका अपहरण किया गया था ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां, उसकी आयु २०-२१ वर्ष बताई जाती है। उसका अपहरण नहीं किया गया था, वह अपनी इच्छा से डाकू सेनपाल सिंह के गैंग में सम्मिलित हुई थी ।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह बात कहां तक ठीक है कि सेनपाल को डाकुओं ने इसलिये मारा कि उसने श्रीमती सियाजू का अपहरण किया था ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, यह तो सूचना नहीं है कि उसको क्यों मारा, लेकिन मुखबिर था, यह तो मैंने अपने उत्तर में बतला ही दिया है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सियाजू जो पंचम सिंह की बहन थी, सिन्धु से उसका प्रेम हो जाने के कारण ही पंचम सिंह के गिरोह ने सिन्धु को मारा ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, यह तो सूचना है कि श्रीमती सियाजू का नाजायज सम्बन्ध सेनपाल सिंह के साथ था, अब यह किसकी बहन थी, यह बतलाना इस समय मुश्किल है।

इटावा जिले में कृषि फार्म खोलने का आयोजन

*६७--श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला इटावा के अन्तर्गत कुल कितने कहां-कहां पर बीज विकास फार्म बन रहे हैं और प्रत्येक फार्म का क्षेत्र-फल क्या है ?

*६८--क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उक्त प्रत्येक फार्म में कितने काश्त-कारों की मजरूआ भूमि ली जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव--इटावा जिले में जो बीज वृद्धि हेतु कृषि फार्म खुल रहे हैं उनके खोले जाने का स्थान, क्षेत्रफल तथा उन कृषकों की संख्या जिनकी मजरूआ भूमि ली जा जा रही है, संलग्न तालिका में दी हुयी है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५५६ पर)

श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन किसानों की भूमि ली जा रही है उनको भूमि के बदले में भूमि दी जायगी ? यदि हां, तो वह किन स्थानों पर दी जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--भूमि के बदले भूमि तो नहीं दी जाती है लेकिन अगर कोई भूमिहीन हो जाता है और गांव में जमीन होती है तो गांव समाज उसको जमीन दे सकता है और बाकी बदले में मुआवजा दिया जाता है ।

श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन किसानों की भूमि ली गई है और वे भूमिहीन हो गये हैं उनके लिये क्या वह जिलाधीश या किसी अधिकारी को आदेश देंगे कि जो गांव समाज की जमीन है वह उन्हीं को दी जाय और दूसरों को न दी जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव--ऐसे आदेश देने की आवश्यकता नहीं है।

बुन्देलखंड के पंचायत चुनावों में कत्ल व बलवे

*६९—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, १९६१ में होने वाले ग्राम पंचायतों के चुनाव के सम्बन्ध में बुन्देलखंड के किस-किस जिले में कितने कितने कत्ल व फौजदारियां हुईं ?

श्री रामस्वरूप यादव—मांगी गई सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५५७ पर)

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि झाँसी जिले के किस गांव में कत्ल व बलवा हुआ था ?

श्री रामस्वरूप यादव—कत्ल की घटना कुमेहड़ी, थाना महरौनी में हुई थी और बलवा खिल्लरवाड़ी, थाना ढहरौली में हुआ था।

श्री गज्जूराम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुमेहड़ी में जो कत्ल हुआ उसमें कितने आदमी गिरफ्तार किये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसमें अभी तक ४ आदमी गिरफ्तार हुये हैं और एक भागा हुआ है ।

रासायनिक खादें

*७०—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या यह सही है कि ९ अप्रैल, १९५७ से १ अप्रैल, १९६० तक सरकार द्वारा मंगाई गई, रासायनिक खादों की खपत न होने के बावजूद रासायनिक खादें प्रति वर्ष मंगाई जाती रही हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—स्थिति यह है कि खाद्यान्न उत्पादन के कुछ लक्ष्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत योजना आयोग की स्वीकृति से निर्धारित किये गये और इस बात का प्रयत्न किया गया कि इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिये जो साधन आवश्यक हैं वह किसान को उपलब्ध करायें जायं । रासायनिक उर्वरक भी उन साधनों में मुख्य हैं । ये रासायनिक उर्वरक इस आधार पर नहीं मंगाये जाते कि किसानों से पहिले कोई पक्की मांग निश्चित कर ली जाय । उद्देश्य तो यह है कि इन खादों का इस्तेमाल किसानों में प्रचलित हो ताकि प्रति एकड़ उत्पादन बढ़े । अतएव यह प्रयत्न किया गया कि लक्ष्य के अनुसार रासायनिक खाद मंगवाई जाय और अब भी उसी के आधार पर मंगाई जाती है । इन खादों का प्रचार काफी तेजी से हो रहा है और जो खाद एक साल बच रहती है वह दूसरे साल खरीफ की फसल में काम आती है । क्योंकि उस समय तक केन्द्रीय पूल या कारखानों से Supply नहीं पहुंच पाती । अगर पिछले साल ज्यादा न मंगाई जाय तो अगले साल का ड्योढ़ा टूट जायगा ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल सन् १९५७ से सन् ६० तक जो खादें मंगाई गई वह सालाना कितनी मंगाई गई और कितनी खाद बची रही ?

श्री रामस्वरूप यादव—पूरे आंकड़ों के लिये नोटिस चाहिये ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या कानपुर जिले से उनके पास ऐसी शिकायतें आई हैं कि किसानों को यह खाद जबरदस्ती बीज के साथ दिया गया ताकि वह खप जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—शिकायतें तो हर तरह की आती हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि खाद उत्पादन बढ़ाने और प्रोत्साहन देने के लिये दिया जाता है और कोशिश होती है कि किसान उसे लें, हो सकता है कि लोग इसका फायदा उठाते हों कि शिकायत करने का मौका मिल जायगा ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि खाद प्रायः जो एक साल रह जाती है उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है और परसेन्टेज गिर जाता है, तो इस बात को देखते हुये जो खाद बच जाती है अब ऐसा प्रयत्न करेंगे कि वह न बचे ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, यह तो मुमकिन नहीं हो सकता है । कोशिश की जाती है कि खराब न हो और यह कि हम समय पर दे सकें । अगर हम यह करें कि नई खाद आ जाय तब बांटें तो देर हो जायगी और हम कोशिश यह करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खाद इस्तेमाल की जाय। इसलिये यह नहीं हो सकता कि नाप-तौल कर मंगाई जाय। बची हुई खरीफ में काम आ जाती है और खराब खाद नहीं दी जाती है।

श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार को मालूम है कि किसान खाद इसलिये नहीं लेता है कि उसे पानी वक्त से नहीं मिलता है और खाद अगर खेत में दिया जाय और पानी न मिले तो पैदावार घट जाती है ?

श्री रामस्वरूप यादव---किसान तो पुरान-खंडी है। उसे बहुत-सी बातें समझाने की जरूरत है। पानी भी आवश्यक है लेकिन सिर्फ इसलिये न ले कि रुपया कम खर्च हो, तो प्रोत्साहन देने के लिये उसे समझाना भी आवश्यक होता है।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मंत्रीजी के विचार में कोई ऐसी योजना है कि विभागों के द्वारा खाद न बटवा कर खुले मार्केट में कुछ खाद दिलवाने का प्रबन्ध किया जाय जिससे आम लोग भी पा जांय ?

श्री रामस्वरूप यादव---काश्तकार को तो मिल ही जाती है, कोआपरेटिव से भी और वैसे भी। अगर कोई खरीदना चाहे तो न मिले, यह मैं नहीं समझता।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

सुजरई ग्राम के बलवे में पुन्नी की हत्या

*१---श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में थाना कुरावली में सुजरई ग्राम में जनवरी, १९६१ में मय हथियारों के करीब ५० आदमियों ने वहां के कुछ व्यक्तियों पर हमला किया जिसके कारण एक पुन्नी नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और कई लोग जख्मी हुए हैं ? जिन लोगों पर हमला किया गया क्या इन लोगों ने इस घटना से बहुत पहले कई बार वहां के पुलिस कप्तान, एस० डी० एम० और संबंधित थानेदार को अपनी रक्षा के लिये लिखित सूचना दी थी ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस संबंध में ग्राम सुजरई के एक श्री प्यारेलाल ने १५ व्यक्तियों के विरुद्ध धारा १४७/१४८/१४९/३२३/३२४/३०७/३०८ भा० द० वि० के अन्तर्गत रिपोर्ट लिखाई थी। इस घटना में पुन्नी नामक व्यक्ति की मृत्यु लाठी की चोट लगने से अस्पताल में हुई और ५ व्यक्तियों के चोटें आईं। जिन लोगों को चोटें आईं उनमें से कुछ व्यक्तियों की ओर से दूसरी पार्टी के जाबर सिंह के विरुद्ध एक शिकायती-पत्र सरकार को प्राप्त हुआ था जिसमें जाबर सिंह की बेजा हरकतों के बारे में शिकायत की गई थी। जिला अधिकारियों को किसी प्रकार की सूचना का दिया जाना नहीं पाया जाता।

*२---श्री गनेशचन्द्र काछी---यदि हां, तो सूचना होने पर भी इस घटना के हो जाने का क्या कारण है और अब इस मामले में क्या हो रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव---चूंकि उक्त ग्राम के दो वर्गों में जमीन के संबंध में झगड़ा था और जाबरसिंह की ओर से शान्ति भंग की आशंका पाई गई, जिला अधिकारियों द्वारा सरकार को दिये गये शिकायती-पत्र पर कार्यवाही होने के पूर्व ही जाबर सिंह व उनके भाई के विरुद्ध धारा १०७/११७ जा० फौ० की कार्यवाही की गई थी, परन्तु फिर झगड़ा होने के कारण उक्त घटना हुई। इसमें १४ अभियुक्त गिरफ्तार होकर चालान किये गये हैं और शेष १ अभियुक्त फरार है।

*३---**श्री गनेशचन्द्र काछी**---क्या उक्त घटना से पूर्व इसी थाना कुरावली के सामने दस कदम पर श्री साहबसिंह, चेयरमैन, टाउन एरिया कमेटी, कुरावली, को दिन के तीन बजे गोली से मार दिया गया था? उस मामले में भी उपर्युक्त व्यक्तियों में से ही मुल्जिम थे और उन्हीं के नाम रिपोर्ट की गई थी?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, ठाकुर साहब सिंह की हत्या बहुत पहले दि० २२-५-१९५३ को टाउन एरिया कुरावली के बस-स्टेशन पर की गई थी। उपर्युक्त घटना के केवल एक अभियुक्त जाबरसिंह इस घटना के अभियुक्तों में थे।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार मेरी सूचना को सही मानकर जांच कराने की कृपा करेगी, यह रजिस्ट्री की रसीदें मेरे पास मौजूद हैं, कि जिले के अधिकारियों को सूचना दी गई थी, पहले सूचना दी गई थी और १०७/११७ की कार्यवाही उनके खिलाफ कोई नहीं की गई?

श्री राम स्वरूप यादव---रसीदें अगर माननीय सदस्य दे देंगे तो जानकारी कर ली जायगी।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार इसकी जांच कराने की कृपा करेगी कि जब जाबरसिंह मार कर जा रहा था तो गांव वालों ने थानेदार से कहा कि यह साइकिल पर जा रहा है इसको घेर लो, तो दरोगा जी ने कहा कि तुम ही क्यों नहीं पकड़ लेते, हम क्यों पकड़ें और दूसरे दिन जब भूरेसिंह छिपा हुआ था और गांव वालों ने उनसे कहा कि वह छिपा हुआ है, उसको पकड़ लो तो उन्होंने कहा कि वह हमें मार देगा हम नहीं जायेंगे?

श्री रामस्वरूप यादव---ऐसी शिकायत लिख कर दी जायगी तो जानकारी कर ली जायगी।

[४ अप्रैल, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१---**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)---[२९ मार्च, १९६१ को प्रश्न १० के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

फरेंदा तहसील को बाढ़ योजना में न लेना

*२---**श्री अब्दुल रऊफ लारी**---क्या सरकार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के बचाने के संबंध में २३ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४७ के संबंध में यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के उक्त क्षेत्रों की ग्राम सभाओं से बहुत कम खर्च में बहुत ज्यादा फसलों के बचाव के कुछ सुझाव आये हैं? यदि हां, तो सरकार को उन्हें कार्यान्वित करने में क्या दिक्कत है?

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)---जी नहीं।

*३-५---**श्री ऊदल**---[११ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

नोट---नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

महमूदाबाद थाना क्षेत्र में विभिन्न अपराधों की घटनायें

*६—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—दिनांक २६ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २६, २७ व २८ के उत्तर के क्रम में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब चोरी की २९ घटनायें दर्ज हुईं और केवल १० ही मामले न्यायालय में भेजे गये, तो शेष मामलों को न्यायालय में न भेजे जाने का क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह—चोरी के शेष १९ मामले लापता रहे जिनमें अंतिम रिपोर्ट लगाई गई ।

*७—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कत्ल की घटनाओं में जिन चार व्यक्तियों की जानें गईं उनके नाम और निवास स्थान क्या हैं तथा दिनांक १७ जनवरी, १९५९ को महमूदाबाद थाने में धारा ३०४ के अन्तर्गत दर्ज रिपोर्ट के अनुसार जिसमें श्री मटरू, पुत्र छोटकऊ बन्दूक की गोली से मर गया था उस घटना को उक्त प्रश्नोत्तरों में न बताये जाने का क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह—इन चार व्यक्तियों के नाम व निवास स्थान निम्नलिखित हैं:—

१—छोटे लाल पासी, निवासी चतुरा बेहड़, थाना महमूदाबाद, जिला सीतापुर ।
२—रामेश्वर पासी, निवासी चतुरा बेहड़, थाना महमूदाबाद, जिला सीतापुर ।
३—बृज बहादुर, कुर्क अमीन, तहसील सिधौली, जिला सीतापुर ।
४—मकसूद अली चपरासी, तहसील सिधौली, जिला सीतापुर ।

१७ जनवरी, १९५९ की घटना हत्या की नहीं थी । गोली श्री मटरू के अचानक लगी थी और धारा ३३७ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत केस रजिस्टर किया गया था । बाद में श्री मटरू का देहान्त होने पर केस धारा ३०४ भारतीय दंड विधान में परिवर्तित किया गया । धारा ३०४ हत्या की परिधि में नहीं आती इसलिये इस घटना को हत्याओं की घटनाओं में शामिल नहीं किया गया ।

इर्रीगेशन डिवीजन, लखीमपुर का तोड़ा जाना

*८—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या लखीमपुर स्थित ट्यूबवेल इर्रीगेशन डिवीजन तोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—इर्रीगेशन डिवीजन, लखीमपुर को इस डिवीजन के कार्य-भार में कमी हो जाने के कारण १५-१-१९६१ से तोड़ दिया गया है ।

लल्लू महाराज के कत्ल की जांच से संबंधित पुलिस की न्यायाधीश देशदीपक द्वारा कड़ी आलोचना

*९—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या गृह मन्त्री को पता है कि गत १६ जनवरी को बाराबंकी के सेशन जज माननीय देशदीपक जी ने लल्लू महाराज के कत्ल के मामले में बादल व अन्य तीन व्यक्तियों को बरी करते हुए सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध जो निम्नलिखित स्ट्रिक्चर पास किये हैं उसमें सरकार ने क्या कार्यवाही की :—

"It is very regrettable that the Police should send up a case which it does not itself believe to be true. In their own records they will perhaps pretend that they worked out a crime and that the accused could not be punished because witnesses were disbelieved by the Court. But such is not the position. Sending of the present case by them to the Court has been nothing except a show of 'Karguzari' entailing waste of public time and money. If a case cannot be worked out it should also not be cooked up. ?"

श्री चरणसिंह--१६ जनवरी नहीं बल्कि २० दिसम्बर, १९६० को बाराबंकी क सेशन जज ने उक्त कत्ल के मामले में स्ट्रिक्चर पास किये। पैरा ५०० पुलिस रेगुलेशन्स के अन्तर्गत जांच की जा रही है। जांच से यदि "स्ट्रिक्चर्स" सही पाये जायेंगे तो सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायगी।

*१०--**श्री लक्ष्मणराव कदम**--क्या माननीय जज महोदय ने उक्त मामले की तफतीश करने वाले पुलिस अधिकारी के विरुद्ध अपने फैसले में यह भी लिखा है कि--

"Though according to his statement the whole case had been revealed to him in the village, he registered the case in the General Diary against unknown persons."

श्री चरणसिंह--जी हां, इस आशय के भी "स्ट्रिक्चर्स" पास किये हैं।

आलू विकास अधिकारी

*११--**श्री मदन पांडेय**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आलू विकास अधिकारी का कार्य क्षेत्र क्या है और उसका मुख्य स्थान कहां है ?

श्री चरणसिंह--आलू विकास अधिकारी का कार्य क्षेत्र समस्त उत्तर प्रदेश में है। इनका मुख्य स्थान आगरा में है।

*१२--**श्री मदन पांडेय**--क्या सरकार को ज्ञात है कि आलू उत्तम बीज उत्पादन योजना के अन्तर्गत अभी तक पूर्वी जिलों का कोई भी किसान नहीं छांटा गया जिसके खेतों में आलू बोया जायेगा ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह--इस वर्ष पूर्वी जिलों में प्रगतिशील कृषकों का जिनके खेतों में आलू बोया जायगा नाम छांटा गया है।

*१३-१४--**श्री शिवप्रसाद नागर**--[११ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

बंशीपुर ग्राम में लड़की के शव का पंचनामा

*१५--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--विधान सभा के ७ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३४ से १३६ के लिखित उत्तरों के क्रम में क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जब जांच "न्यायिक" थी और सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट ने की थी तो पुनः जांच "सब-इन्सपेक्टर" की श्रेणी के कर्मचारी द्वारा कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह--सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जो शहादत प्राप्त हुई है उससे यह प्रतीत होता है कि शायद यह मामला आत्म हत्या का न हो अतः इस मामले में सही नतीजे पर पहुंचने के लिये पुलिस द्वारा और जांच की जाय। तदनुसार एस० पी० ने एस० ओ० को स्वयं जांच करने का आदेश दिया। पहले जांच सेकेंड आफिसर ने की थी।

कलान थाने की पुलिस के विरुद्ध शिकायत

*१६--**श्री हरदयालसिंह** (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार को पता है कि कितनी भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें थाना कलान, जिला शाहजहांपुर के पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ जनता द्वारा सरकार को नवम्बर, १९६० में प्राप्त हुईं ?

श्री चरणसिंह--इस सम्बन्ध में दो शिकायती-पत्र जिला अधिकारियों को नवम्बर सन् १९६० में दिये गये।

*१७--श्री हरदयालसिंह---क्या कोई ऐसी भी शिकायत जनवरी, १९६१ में सरकार को मिली है जिसमें जिले के विशेष अधिकारियों द्वारा पुलिस कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश की गई हो ?

श्री चरणसिंह---जी हां। एक प्रार्थना-पत्र दिनांक २३-१-६१ को प्राप्त हुआ था जिसमें थानाध्यक्ष कलान के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोप को दबाने के बारे में शिकायत की गई थी।

*१८-१९---श्री प्रतापसिंह---[११ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*२०-२१---श्री भुवनेशभूषण शर्मा तथा श्री मन्नालाल (जिला खीरी)---[११ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*२२---श्री भुवनेशभूषण शर्मा---[११ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

डी० एस० पी० कम्पलेंट्स तथा सर्किल इन्स्पेक्टरों के पद

*२३---श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनकी यह योजना है कि Complaint Officers के पद समाप्त कर दिये जायं ? यदि हां, तो कब से ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं। डी० एस० पी० कम्प्लेन्ट्स के पद को समाप्त करने की कोई योजना इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*२४---श्री राजेन्द्रसिंह---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिले में १९६० में कितने व्यक्तियों को सी० आर० पी० सी० की धारा ११०, में तलाश करने के लिये वारन्ट निकलवाये गये और उनमें से कितने व्यक्तियों को न मिलने पर स्वतन्त्र छोड़ दिया गया ?

श्री चरणसिंह---जिला हरदोई में सन् १९६० में ऐसा कोई वारन्ट नहीं निकलवाया गया। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*२५---श्री राजेन्द्रसिंह---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह Police C. Is. के पद को समाप्त करने की योजना पर विचार कर रहे हैं ?

श्री चरणसिंह---जी हां।

गाजीपुर जिले से आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स के लिये प्रार्थना-पत्र

*२६---श्री यमुनासिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले से १९६० में कितने प्रार्थना-पत्र बन्दूक और पिस्टल का लाइसेंस प्राप्त करने के लिये जिलाधीश के यहां दिये गये थे ?

श्री चरणसिंह---जिलाधीश गाजीपुर के पास सन् १९६० में बन्दूकों के लाइसेंसों के लिये १०१ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से २३ स्वीकृत हुए तथा पिस्तौलों के लाइसेंसों के लिये ३ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से एक स्वीकृत हुआ।

*२७---श्री यमुनासिंह---[हटा दिया गया।]

*२८-३०---श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)---[१८ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

विधान सभा मार्ग, लखनऊ में महिला के साथ छेड़छाड़

*३१—**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—क्या सरकार को ज्ञात है कि लखनऊ शहर की प्रमुख सड़क विधान सभा मार्ग पर १० फरवरी, १९६१ को दिन दहाड़े एक महिला को अपहरण करने की कोशिश की गई? यदि हां, तो उपर्युक्त घटना के सम्बन्ध में अब तक पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्री चरणसिंह—विधान सभा मार्ग पर दिनांक १०-२-६१ को किसी महिला के अपहरण की चेष्टा की कोई घटना नहीं हुई, बल्कि एक महिला से छेड़छाड़ करने की घटना हुई। अपराधियों के विरुद्ध धारा ३५४ भा० द० वि० का मुकदमा कायम किया गया तथा तफतीश हो रही है।

*३२—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि लखनऊ में इस प्रकार दिन दहाड़े गुन्डागीरी को रोकने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री चरणसिंह—नगर के प्रत्येक थाने में (Anti-goonda Squad) काम कर रहे हैं तथा नगर क्षेत्र में पुलिस गश्त लगाती है।

मिश्रौली ग्राम के ठेकेदारों का प्रार्थना-पत्र

*३३—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मिश्रौली पो० भोलनापुर, जिला आजमगढ़ के कुछ ठेकेदारों का ९ जून, १९६० का लिखित प्रार्थना-पत्र चीफ इंजीनियर, सिंचाई विभाग, पूर्वी रेन्ज, लखनऊ को प्राप्त हुआ है जिसमें १९५७ में किये गये कामों का भुगतान न होने की शिकायत की गई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री राममूर्ति—जी हां, ठेकेदारों ने शिकायत की थी कि वर्क आर्डर में उल्लिखित कार्यों के अलावा किये गये कार्य का पैसा उन्हें नहीं मिला। जांच करने से मालूम हुआ कि इस प्रकार का काम करने के लिये उनको कोई आदेश नहीं दिया गया और न ही इस बात का कोई प्रमाण मिला कि ठेकेदारों ने वर्क आर्डर मे उल्लिखित काम के अलावा और कोई काम किया।

जोगरी ग्राम के किसानों का घूसखोरी के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

*३४—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम जोगरी, थाना मुहम्मदाबाद गोहना, जिला आजमगढ़ के कुछ किसानों का प्रार्थना-पत्र १७ अक्टूबर, १९६० का भेजा हुआ जिलाधीश एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है जिसमें घूस लेने आदि की शिकायत की गई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री चरणसिंह—जी हां। पत्र में उल्लिखित घूसखोरी के आरोप की जांच पुलिस उप-अधीक्षक (परिवाद) द्वारा कराई गई। सम्बन्धित सब-इन्सपेक्टर का आचरण संदिग्ध पाया गया। फलतः उनकी ईमानदारी की सनद (certificate) एक साल के लिए रोक दी गई।

करमामहरूपुर ग्राम से पानी निकासी की मांग

*३५—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम करमामहरूपुर, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के किसानों का प्रार्थना-पत्र २८ नवम्बर, १९६० का भेजा हुआ इक्जीक्यूटिव इंजीनियर, नलकूप विभाग, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है जिसमें पानी निकासी की मांगें की गई हैं? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री राममूर्ति---दिनांक २८-११-६० का नहीं बल्कि दिनांक २३-११-६० का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था। मामले में आवश्यक जांच-पड़ताल करने पर यह पता चला कि एक ३ मील ४ फर्लांग लम्बी नाली (drain) के निर्माण की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन हाल ही में इस सम्बन्ध में सरकार ने यह निश्चय किया है कि ५ मील से कम लम्बी नालियों की खोदाई (earth work) सम्बन्धित ग्राम सभायें श्रमदान द्वारा करेंगी जिसके पश्चात उन पर पक्का काम (masonary work) सरकार द्वारा किया जायगा। इसलिये प्रस्तावित नालो को खुदाई का काम अब सम्बन्धित ग्राम सभा की जिम्मेदारी है। तदनुसार प्रार्थी को इस बात की सूचना दी जा रही है।

करौता कल्याणी ड्रेनेज

*३६---**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)---क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के करौता कल्याणी ड्रेनेज के सर्वेक्षण का क्या नतीजा हुआ ?

श्री राममूर्ति---जैसा कि ३ मई, १९६० को प्रश्न संख्या १३२ के उत्तर में बताया जा चुका है करौता कल्याणी ड्रेनेज योजना का सर्वेक्षण का १९५१ में किया गया था और ड्रेन १९५२ में बन चुकी थी अतः सर्वेक्षण के नतीजे का अब कोई प्रश्न नहीं उठता।

*३७---**श्री उग्रसेन**---क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि करौता कल्याणी ड्रेनेज (देवरिया) पर कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री राममूर्ति---प्रश्न नहीं उठता।

*३८---**श्री उग्रसेन**---क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त करौता कल्याणी ड्रेनेज के पुनरुद्धार पर कितना धन व्यय किया जायेगा ?

श्री राममूर्ति---ड्रेन सुचारु रूप से कार्य कर रही है अतः उसके पुनरुद्धार की कोई आवश्यकता नहीं है।

*३९---**श्री मदन पांडेय**---[११ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स

*४०---**श्री कोतवालसिंह भदौरिया** (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बन्दूक के लाइसेंसों के देने के प्रश्न को और व्यापक बनाने के लिये प्रदेशीय सरकार और केन्द्रीय सरकार से बात-चीत चल रही थी उसका क्या परिणाम हुआ ?

श्री चरणसिंह---भारत सरकार और प्रदेशीय सरकार के बीच आर्म्स ऐक्ट, १८७८ में संशोधन व परिवर्तन के विषय में लिखा-पढ़ी हुई थी इसके फलस्वरूप भारत सरकार ने नया आर्म्स ऐक्ट, १९५८ पास किया है जिसमें फायर आर्म्स के लाइसेन्स उदारतापूर्वक दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। आशा है कि भारत सरका इस ऐक्ट को शीघ्र लागू करेगी।

*४१---**श्री कोतवाल सिंह भदौरिया**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीशों को सरकार की तरफ से कोई ऐसे आदेश दिये गये हैं जिससे बन्दूक का लाइसेंस लेने वालों को पहले से अधिक सुविधा दी गई हो ?

श्री चरणसिंह---सरकार ने समय-समय पर जनता को उदारतापूर्वक फायर आर्म्स लाइसेन्स दिये जाने के आदेश जारी किए हैं।

*४२-४३---**द्वारिकाप्रसाद पांडेय** (जिला गोरखपूर)---[१८ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

बरबर गो-सदन की दुर्व्यवस्था की शिकायत

*४४—श्री मन्नालाल तथा श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खीरी जिले में बरबर गो-सदन की हालत चिन्ताजनक है तथा वहां की दुर्व्यवस्था के परिणामस्वरूप गायें तथा बैल मर रहे हैं ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। बरबर गोसदन में जो पशु मरे हैं वह किसी दुर्व्यवस्था क कारण नहीं मरे।

*४५—श्री मन्नालाल तथा श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस गो- सदन में गोमांस सुखाकर मुर्गियों के चारे का प्रबन्ध किया जाता है?

श्री चरणसिंह—गोसदन में जो पशु मरते हैं उनके शव का पूर्ण उपयोग किया जाता है अर्थात् खाल उतारने के बाद जो मांस हड्डी इत्यादि शव से प्राप्त होती हैं उनका वैज्ञानिक ढंग से चूर्ण तैयार किया जाता है जो मुर्गी तथा अन्य पशुओं के पौष्टिक पदार्थ के रूप में खाने के काम में प्रयोग किया जाता है। यह खाद के भी काम में लाया जाता है।

*४३—श्री मन्नालाल तथा श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या यह सही है कि इस गो-सदन में इस अव्यवस्था के कारण कुछ प्रतिष्ठित नागरिक जिलाधीश से मिले थे तो उन्ह ने कहा कि "गो-सदन का अर्थ ही है जानवर क मरने का स्थान वह जानवरों के पालन के लिये नहीं है"?

श्री चरणसिंह—जिले के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति जिलाधीश से इस गोसदन के सम्बन्ध में मिले थे। जिलाधीश ने उन लोगों को गो-सदन की उपयोगिता को भलीभांति समझाया और बताया कि वास्तव में गो-सदन में उपयोगी पशु नहीं भर्ती किये जाते हैं बल्कि वहां पर बूढे, बेकार तथा अपाहिज पशुओं को ही रक्खा जाता है ताकि उनके जीवन के शेष दिन भली भांति से कट सकें।

लखनऊ जिले में पुराने सब-इन्स्पेक्टर

*४७—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ जिले में ऐसे पुलिस सब-इंस्पेक्टर कितने हैं जिनको इस जिले में काम करते हुये ६ वर्ष से अधिक हो गये हैं तथा उनको अब तक स्थानान्तरित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री चरणसिंह—लखनऊ जिले में कुल ६ सब-इंस्पेक्टर ऐसे हैं जिनको इस जिले में कार्य करते हुये ६ वर्ष से अधिक हो गये हैं। इनके स्थानान्तरण न किये जाने के विभिन्न कारण हैं। इनमें से एक विशेष ड्यूटी पर कार्य कर रहा है, इसलिये इनका स्थानान्तरण नहीं किया गया। तीन सब-इंस्पेक्टर विशिष्ट शाखा में काम कर रहे हैं जिनमें से एक के स्थानान्तरण के आदेश जारी हो चुके हैं और दो के विचाराधीन हैं। शेष दो सिविल पुलिस में तैनात हैं जिनमें से एक ने ६ वर्ष पिछली जनवरी में पूरे किये हैं और इनका स्थानान्तरण मई के महीने तक हो जायेगा और दूसरे सब-इंस्पेक्टर विशिष्ट शाखा में काम कर रहे थे अब सिविल पुलिस में हैं। इनका भी स्थानान्तरण विचाराधीन है।

अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में सुधार के लिये सुझाव

*४८—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क का जिसका नाम अब मोतीलाल नेहरू पार्क है, निरीक्षण भूतपूर्व कृषि मंत्री श्री मोहनलाल गौतम ने करके अपनी रिपोर्ट में उस पार्क को सुधारने के लिये लिखा था ? यदि हां, तो उनकी रिपोर्ट पर तथा वहां के नागरिकों ने जो पार्क के संबंध में सुझाव भेजे है उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो क्यों ?

श्री चरणसिंह---भूतपूर्व कृषि मंत्री की कोई रिपोर्ट इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अतएव उस पर किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है। इस संबंध में श्री एच० सी० बन्धोक, सचिव, परिभ्रमण समिति, अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद का एक पत्र प्राप्त हुआ था। उस पत्र में दिये गये सुझावों पर कार्यवाही हुई है।

छाता तहसील में पलेवा चैनेल स्कीम

*४९---श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले की तहसील छाता जहां सिंचाई सुविधाओं की कमी है वहां पर जो पलेवा चैनल बनाने की स्कीम थी वह अभी तक किस कारण शुरू नहीं की गई तथा क्या आगे भी उनका कुछ चैनल बनाने का विचार है ?

श्री राममूर्ति---चंदौरी तथा शहजादपुर पलेवा चैनल बन चुकी है और कोन्हाई माइनर भी बनाई जा रही है। राम गंगा जलाशय से पानी उपलब्ध होने पर इस क्षेत्र में और चैनल भी बनाने का विचार है।

हेड कान्स्टेबिल से अस्थायी सब-इंस्पेक्टर

*५०---श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में ऐसे कितने हेड कांस्टेबिल (प्रधान लिपिक) पुलिस सब-इंस्पेक्टर के पद पर गत ३, ४, ५, ६ और ७ वर्षों से लगातार कार्य कर रहे हैं, जो अभी स्थायी नहीं किये गये ? यदि हां, तो स्थायी करने में क्या अड़चन है ?

श्री चरणसिंह---सूचना एकत्र की जा रही है।

गंगापुर बाजार में चोरियां तथा डकैती

*५१---श्री राजनारायण---क्या सरकार को पता है कि गंगापुर बाजार, थाना रोहनियां, जिला वाराणसी में जनवरी, १९६१ में एक रात में ६ चोरियां हुईं और चोरी करने वाले पहचाने भी गये ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री चरणसिंह---११-१२.१.६१ की रात्रि को चोरी की चार घटनाएं हुईं तथा चोरी करने वाले २ व्यक्ति पहचाने गये। अभियुक्तों का चालान कर दिया गया है तथा मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

*५२---श्री राजनारायण---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गंगापुर टाउन एरिया के अन्तर्गत ही जनवरी महीने में उपर्युक्त चोरी की घटना के बाद रामनाथ सुनार के घर में सशस्त्र डाका भी पड़ा जिसमें बन्दूक भी इस्तेमाल की गयी थी ?

श्री चरणसिंह---जी हां। यह घटना २४-२५ जनवरी, १९६१ की रात को हुई थी।

*५३---श्री राजनारायण---क्या सरकार को यह पता है कि यह डाका उस रात को पड़ा जिस रात सर्किल इन्स्पेक्टर, थाना इन्चार्ज रोहनियां चोरी की तफतीश के संबंध में गंगापुर बाजार गये थे ?

श्री चरणसिंह---जिस रात्रि को डाका पड़ा उस दिन संध्या समय थाना रोहनियां के थानाध्यक्ष तथा सर्किल आफिसर (उपपुलिस अधीक्षक) चोरी की तफतीश के सिलसिले में गंगापुर बाजार गये थे, सर्किल इंस्पेक्टर नहीं गये।

नया कटरा, इलाहाबाद में कथित डकैती

*५४—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद नगर में मुहल्ला दिलकुशा नया कटरा में ३० जनवरी, १९६१ को रात्रि के ८ बजे डकैती पड़ी थी और उसमें बहुत धन-जन की हानि हुई थी ? यदि हां, तो यह डकैती किस के यहां पड़ी तथा उसमें कितना धन लूटा गया ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताओं द्वारा भ्रमात्मक प्रचार

*५५—**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (जिला जौनपुर), **श्री गोविन्दसिंह विष्ट** तथा **श्री अवधेशप्रताप सिंह** (जिला फैजाबाद)—२१ दिसम्बर, १९६० को राज्य सभा में बोलते हुए माननीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अपने भाषण में ६ दिसम्बर, १९६० को मऊ में एक कम्युनिस्ट द्वारा दिये गये भाषण को उद्धृत करते हुए कहा कि चीन-हिन्दुस्तान की सरहद पर आक्रमण के विषय में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अपने प्रचार द्वारा जनता में भ्रम फैला रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस प्रकार का गलत भ्रम समाज में लोगों द्वारा न फैलाया जा सके, उसकी रोकथाम के लिये वह क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चरणसिंह—प्रधान मंत्री के राज्य सभा के वक्तव्य की कोई सूचना सरकारी तौर पर तो हमें नहीं है। परन्तु कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताओं द्वारा भ्रमात्मक प्रचार की सूचना सरकार के पास मौजूद है। सरकार सतर्क है और आपत्तिजनक हरकतों पर जो कुछ वैधानिक तरीके पर संभव होता है कार्यवाही करती है।

*५६-५७—**श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़)—[१८ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

नहर तथा नलकूपों की सर्विस रोड

*५८—**श्री झारखंडेराय**—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार नहर तथा नलकूपों की सर्विस रोड को जनता के प्रयोग के लिये खोलने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—इन सड़कों पर पैदल तथा साइकिलों के प्रयोग के लिये मनाही नहीं है। दूसरी सवारियों के लिये रोक हटाने का कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

*५९-६०—**श्री रणबहादुरसिंह** (जिला बस्ती)—[१८ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

पलिया टाउन एरिया को बिजली न मिलना

*६१—**श्री बंशीधर शुक्ल** (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पलिया, जिला खीरी में बिजली कितने दिनों से लगी है और उस पर कितना खर्च प्रति वर्ष होता है तथा कितने मकानों को बिजली दी गई है ? पलिया टाउन एरिया को बिजली क्यों नहीं दी जाती, इसका क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह---पलिया जिला खीरी में बिजली ९ जून, १९५८ से लगी है। इस पर वार्षिक व्यय निम्न प्रकार है---

		रु०
१९५८-५९	.. ..	३४,८८०.६१ न० पै०
१९५९-६०	.. ..	५३,३१७.६४ न० पै०

उपर्युक्त पावर हाउस से १३ नलकूपों के अतिरिक्त निम्नलिखित स्थानों को बिजली दी जाती है ---

१--ऐडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग सम्पूर्णानगर।

२- पी० डब्लू० डी० इन्स्पेक्शन हाउस तथा सहायक अभियन्ता पी० डब्लू० डी० के सरकारी क्वार्टर में जो उसी कम्पाउन्ड में हैं।

३---सुपरिन्टेन्डेन्ट, पावर हाउस के मकान पर (पाइलेट लाइट)।

इस बिजली घर से इतनी बिजली नहीं पैदा होती कि पलिया टाउन एरिया को दी जा सके। प्राइवेट उपभोक्ताओं को बिजली नहीं दी जा रही है क्यों कि यह पावर हाउस एक फर्म की भांति नहीं है तथा यह मुख्यतः उपनिवेशन योजना के हित में बनवाया गया था।

फतेहपुर-सीकरी थाने के अन्तर्गत डकैती

*६२---**श्री मदन पांडेय**---क्या यह सत्य है कि नवम्बर तथा दिसम्बर, १९६० के प्रथम सप्ताह में आगरा जिले के फतेहपुर-सीकरी थाने के अन्तर्गत डकैतियां दिन दहाड़े डाली गई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त विभीषिका को भविष्य में रोकने तथा उत्पीड़ितों की सहायता के निमित्त सरकार की ओर से क्या किया गया है?

श्री चरणसिंह---नवम्बर, १९६० में फतेहपुर-सीकरी थाने के अन्तर्गत ऐसी कोई डकैती नहीं पड़ी। हां, दिसम्बर, १९६० के प्रथम सप्ताह में दिनांक ६-१२-६० को अवश्य एक डकैती दिन के लगभग २ १/२-३ बजे लाखन सिंह डकैत के गिरोह द्वारा डाली गयी थी।

इस क्षेत्र की देखभाल के लिये सशस्त्र पुलिस की टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। ग्राम रक्षा समितियों का संगठन दृढ़ किया जा रहा है तथा क्षेत्र के निवासियों को बन्दूक आदि के लाइसेन्स लेने के लिये प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उत्पीड़ितों को कोई सहायता नहीं दी गयी है।

इलाहाबाद जिले में कत्ल

*६३---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जिले में दिसम्बर, १९६० तथा जनवरी, १९६१ तक कितने कत्ल किन-किन गांवों में तथा इलाहाबाद के मुहल्लों में किन-किन तारीखों में हुए?

श्री चरण सिंह---मांगी गई सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५५८ पर।)

धर्मपुर विशुनपुर में अवैध गांजे की बरामदगी

*६४---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के मधुवन पुलिस स्टेशन के ग्राम धर्मपुर विशुनपुर में १३ दिसम्बर, १९६० को थाने के पुलिस कर्मचारियों द्वारा ६५ बोरी अवैध गांजा बरामद किया गया था? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई?

श्री चरण सिंह--दिनांक १३-१२-६० को ग्राम धर्मपुर देवारा में थाने के एक पुलिस सब-इंसपेक्टर द्वारा एक व्यक्ति से २८ सेर अवैध गांजा बरामद होना दिखाया गया था । इस संबंध में आबकारी ऐक्ट की धारा ६० के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया और तफ-तीश जारी है ।

*६५--**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक को इस प्रकार की सूचना मिली है कि ६५ बोरी अवैध गांजे में से पुलिस स्टेशन पर केवल ३ बोरी ही गांजा लाया गया ? यदि हां, तो जांच किसके द्वारा कराई गई और परिणाम क्या हुआ ?

श्री चरणसिंह---पुलिस अधीक्षक को इस आशय की एक मौखिक शिकायत प्राप्त हुई थी कि ६५ बोरी अवैध गांजा बरामद हुआ तथा १४ अभियुक्त गिरफ्तार हुए परन्तु सब-इंसपेक्टर ने केवल १ अभियुक्त व २८ सेर गांजा का पकड़ा जाना दिखलाया है । पुलिस उप-अधीक्षक (परिवाद) द्वारा जांच कराई गई । वह इस नतीजे पर पहुंचे कि अभियुक्त भी १ से अधिक थे और गांजा भी २८ सेर से ज्यादा बरामद हुआ था । अभी मामले में जांच जारी है ।

गोंडा जिले में बन्दूक के लाइसेन्स के नियमों की अवहेलना

*६६--**श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह** (जिला गोंडा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में जो बन्दूक के लाइसेंस के हेतु फार्म १६ या १६-ए दिया जाता है उन पर धारा १४४ (३)-ए और बी० यू० पी० आर्म्स रूल्स ऐन्ड आर्डर्स के अनुसार कौन-कौन से जानवर कब-कब मारे जा सकते हैं इसकी सूची नहीं चिपकाई जाती है ?

श्री चरणसिंह---जी हां । पर अब उक्त सूची चिपकाई जाने लगी है ।

*६७--**श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह**---यदि हां, तो उपर्युक्त नियम की अवहेलना का क्या कारण है ?

श्री चरण सिंह---जिला बोर्ड गोंडा में इस नियम का पालन बहुत दिनों से नहीं हो रहा है । ऐसा मालूम पड़ता है कि इस नियम की ओर जिला अधिकारियों का ध्यान ही नहीं गया ।

लोअर गंगा नहर, कानपुर से पश्चिमी इलाहाबाद ब्रांच निकालने पर विचार

*६८--**श्री होरीलाल यादव** (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फर्रुखाबाद में लाख ताल का पानी निकालने हेतु पुरानी ड्रेन के remodelling कराने के खर्च का तखमीना सरकार के पास पहुंच गया है ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री राममूर्ति---प्रथम भाग---जी नहीं ।

द्वितीय भाग---प्रश्न ही नहीं उठता ।

*६९--**श्री होरीलाल यादव**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या लोअर गंगा नहर कानपुर से ६८ मील ७ फर्लांग पर ग्राम मझपुरवा के पास से कोई नहर निकालने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त योजना से फर्रुखाबाद जिले के किन-किन मौजों को लाभ होगा ?

श्री राममूर्ति---जी नहीं । लोअर गंगा नहर, कानपुर के मील ६८ फर्लांग ४ से पश्चिमी इलाहाबाद ब्रांच का निर्माण कराये जाने की योजना विचाराधीन है । इसके निर्माण से फर्रुखाबाद जिले के जिन गांवों को लाभ पहुंचेगा उनके नाम संलग्न सूची में दिय हुये हैं ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ट ५५९ पर)

इटावा जिले के पारपट्टी क्षेत्र में नल लगाने तथा टकपुरा ड्रेन के पुनरुद्धार पर विचार

*७०--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह इटावा जिले के पारपट्टी क्षेत्र में १९६१-६२ में नलकूप बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितने और कहां-कहां ?

श्री राममूर्ति--इटावा जिले के पारपट्टी क्षेत्र में नलकूप बनाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

*७१--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या इटावा तहसील के ग्राम भोगीपुरा, केबाला परासनी आदि गांवों के निवासियों ने सन् १९६० में सरकार के ड्रेनेज डिपार्टमेंट, मथुरा के पास सामूहिक प्रार्थना-पत्र भेजा है कि उनके क्षेत्र में वर्षा का पानी भारी मात्रा में हर साल भरे रहने से फसल का बड़ा नुकसान होता है, अतः नाला खोदने की व्यवस्था की जाय ? यदि हां, तो सरकार ने इस ओर क्या कार्यवाही की ?

श्री राममूर्ति--जी हां, इस क्षेत्र को जलमग्न होने से बचाने के लिये वर्तमान टकपुरा ड्रेन का पुनरुद्धार करने के लिये आवश्यक जांच की जा रही है । जिस नाले के खोदने के बारे में ग्राम भोगीपुरा, केबाला परासनी आदि के निवासियों ने प्रस्ताव किया था, वह जांच के बाद उचित नहीं मालूम होता है ।

दन्कौर थाने में कथित डकैती

*७२--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या मंडइया तालड़ा, थाना दन्कौर, जिला बुलन्दशहर के क्षेत्र में अभी जनवरी, १९६१ के अन्त में डकैती हुई ? यदि हां, तो कितनी हानि हुई और अब तक पुलिस विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

*७३--क्या गृह मंत्री कृपया यह बतलायेंगे कि गत १ वर्ष अर्थात् जनवरी, १९६० से जनवरी, १९६१ तक उक्त मंडइया तालड़ा, थाना दन्कौर, जिला बुलन्दशहर के क्षेत्र में कितनी बार डकैती हुई है ?

श्री चरणसिंह--जिला बुलन्दशहर थाना दन्कौर के अन्तर्गत मंडइया तालड़ा नामक कोई स्थान नहीं है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा जिले के दस्यु ग्रस्त क्षेत्र में नियुक्त पी० ए० सी०

*७४--स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल में जब वे आगरा गये थे तो क्या उन्होंने Operational area का निरीक्षण किया था ? यदि हां, तो डाकुओं की समस्या को हल करने के बारे में जनता की ओर से उन्हें क्या-क्या सुझाव प्राप्त हुये और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का निश्चय किया गया है ?

श्री चरणसिंह--कोई विशेष सुझाव नहीं दिये गये थे ।

*७५--स्वामी विश्वेश्वरानन्द--आगरा जिले में Operational area का क्षेत्र कितने वर्ग मील है और उसमें इस समय पी० ए० सी० आदि का कितना फोर्स तैनात है ?

श्री चरणसिंह---आगरा जिले में Operational area का क्षेत्र लगभग ७८७ वर्ग मील है और वहां तैनात पुलिस एवं पी० ए० सी० की संख्या अधिकारियों को मिलाकर इस समय ८६५ है ।

*७६---स्वामी विश्वेश्वरानन्द---क्या गृह मंत्री का विचार इस एरिया में फोर्स कम करने का है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं । उक्त क्षेत्र में लगी हुई फोर्स को कम करने का इस समय कोई विचार नहीं है ।

खारकौली ग्राम में हरिजनों पर अत्याचार की शिकायत

*७७---श्री झारखंडेराय---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या खरकौली ग्राम, थाना दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ में भूतपूर्व जमींदारों ने उसी ग्राम के निर्धन हरिजनों पर २५ जनवरी, १९६१ को दिन-दहाड़े हमला किया, उन्हें लाठियों से मार कर घायल किया, लूटपाट की, उनकी धन-सम्पत्ति की हानि की और उनके झोपड़े गिरा दिये ?

श्री चरण सिंह---२५-१-६१ को उस ग्राम में एक भूमिहार तथा एक हरिजन के पक्षों में एक दरख्त की मिल्कियत पर मामूली मारपीट हुई थी । इस घटना की कोई रिपोर्ट थाने पर नहीं लिखाई गई ।

*७८---श्री झारखंडेराय---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि इन आततताइयों के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री चरणसिंह---दोनों पक्षों के खिलाफ धारा १०७ ११७ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी । इस संबंध में मुकदमे न्यायालय के विचाराधीन हैं ।

खीरी परगने में तालाबों और झीलों से पानी निकास व्यवस्था के लिये प्रार्थना

*७९---श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या परगना खीरी, जिला खीरी के करीब ९ या १० बड़े-बड़े तालाबों और झीलों के उस पानी को जिसमें हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि हर वर्ष डूब जाती है निकालने के लिये कोई डिस्चार्ज ड्रेन बनाने की योजना उसके विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसमें कहां तक प्रगति हुई है और काम कब प्रारम्भ होगा ?

श्री राममूर्ति---जिला खीरी के परगना खीरी में ९ झील तथा तालाब हैं किन्तु इससे हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि नहीं डूबती है क्योंकि इन ९ में से ७ तालों का पानी निकालने के लिये चार नाले पहले से ही बने हुए हैं । शेष २ तालों के लिये २ ड्रेन पर श्रमदान द्वारा कार्य करने के लिये जिला नियोजन अधिकारी से कहा जा चुका है ।

पंचायत चुनाव के झगड़ों में हताहत

*८०---श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के किन-किन जिलों में पंचायतों के अध्यक्षों के चुनाव में झगड़े हुए और कहां-कहां इन झगड़ों में बन्दूकें चलीं तथा कितने आदमी हताहत हुए ?

*८१---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन झगड़ों के होने की क्या कुछ पहले से ही सम्भावना थी ? यदि हां, तो इनकी रोकथाम के लिये क्या ऐहतियाती कार्यवाही की गई थी ?

*८२—क्या जो बन्दूकें इस्तेमाल हुई हैं वे लाइसेंस होल्डर्स की बन्दूकें थीं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

मुक मपुरा ग्राम में चोरी

*८३—**श्री होरीलाल यादव**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला मेरठ, ग्राम मुकीमपुरा, थाना बिनौली में २७ मई, १९६० को जो डकैती पड़ी उसके सम्बन्ध में श्री कल्लू, पुत्र श्री मनीराम, निवासी मुकीमपुरा, जिला मेरठ का २३ जुलाई, १९६० का प्रार्थना-पत्र गृह मंत्री को मिला था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चरणसिंह—डकैती नहीं, चोरी की एक घटना हुई थी और इस सम्बन्ध में श्री कल्लू पुत्र मनीराम का नहीं बल्कि श्री कबूल पुत्र श्री गंगाराम का २३-७-६० का एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें थानेदार बिनौली के विरुद्ध प्रार्थी के कथनानुसार रिपोर्ट न दर्ज करने की शिकायत की गयी थी। जांच से आरोप सिद्ध नहीं हुआ।

कुतुबनगर ग्राम सभा के पंचों के चुनाव में कथित अनियमिततायें

*८४—**श्री उग्रसेन**—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २१ जनवरी, १९६१ को जिला सीतापुर की तहसील मिश्रिख की ग्राम सभा कुतुबनगर (विकास खंड मिश्रिख) के ग्राम सभा के पंचों के चुनाव के अवसर पर तहसीलदार मिश्रिख तथा अन्य सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा व्यापक रूप से की गयी अवैधानिकताओं तथा अनियमितताओं से उत्पन्न परिस्थिति से संबंधित कोई रिपोर्ट थाना पिसांवा में इंचार्ज, चौकी कुतुबनगर द्वारा दर्ज की गयी है ? यदि हां, तो इस सम्बध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री चरणसिंह—दिनांक, २१-१-६१ को इंचार्ज चौकी कुतुबनगर ने ऐसी कोई रिपोर्ट थाना पिसांवा में दर्ज नहीं कराई।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

खीरी जिले की ट्रेन डकैती में डाकुओं को पकड़ने वालों को इनाम देने पर विचार

*८५—**श्री बंशीधर शुक्ल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तीन चार साल पूर्व जिला खीरी में मचोरा ग्राम के समीप १२ बजे दिन को ट्रेन रोककर जो डकैती हुई थी और जिसमें गांव वालों ने चार डाकुओं को घेर कर उनमें दो को मार डाला था, दो को पकड़ा दिया था और पूरा दो लाख अस्सी हजार रुपया छीन कर सरकार को दे दिया था, क्या उस सम्बन्ध में डाकुओं को पकड़ने वाले बहादुर लड़कों को कुछ पुरस्कार देने का विचार उसके विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या-क्या, किसको-किसको और नहीं है, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—दिनांक २१-१-५९ को जिला खीरी में रेलवे स्टेशन, देवकली व फरधान के बीच जो ट्रेन डकैती हुई थी उस सम्बन्ध में ७५ व्यक्तियों को नकद इनाम दिये जाने की सिफारिश जिला अधिकारियों द्वारा कमिश्नर के पास भेजी थी, किन्तु चालू वित्तीय वर्ष के अनुदान में आवश्यक धन उपलब्ध न होने के कारण इनाम देने के बारे में कोई निर्णय न किया जा सका। अगले वर्ष इस विषय में आवश्यक निर्णय किया जायगा।

वन पोखरा गांव सभा के चुनाव में मधुवन थाने की पुलिस द्वारा कथित ज्यादती

*८६—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत वन पोखरा गांव सभा के प्रधान पद के चुनाव के दिन १५ जनवरी, १९६१ को मधुवन थाने की पुलिस की मार से एक पक्ष के मतदाता चुनाव स्थल छोड़ कर भाग गये, इस प्रकार की सूचना जिलाधीश तथा तहसीलदार को तार एवं प्रार्थना-पत्र द्वारा मिली है?

श्री चरणसिंह—जी हां। इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई थी। जांच करने पर वह सही नहीं पाई गई।

बाढ़ तथा कटाव निरोधक विभिन्न योजनायें

*८७—श्री उग्रसेन—क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या तृतीय योजना के अन्तर्गत राप्ती नदी की जल कुन्डी योजना, घाघरा कटाव निरोधक योजना तथा नैपाल बांध योजना छोटी गन्डक की बाढ़ समाप्त करने के लिये सम्मिलित की गयी हैं?

*८८—क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग की ओर से उक्त योजनाओं को ठोस रूप देने के लिये सर्वेक्षण हो रहा है? यदि हां, तो उसकी क्या प्रगति है?

श्री राममूर्ति—सूचना एकत्र की जा रही है।

शाहजहांपुर में नलकूप चालकों का निलम्बन

*८९—श्री हरदयालसिंह—क्या सरकार को पता है कि अधिशासी अभियन्ता, नलकूप विभाग, शाहजहांपुर द्वारा सन् १९६० के अन्तिम ६ मास में कोई कूप चालक निलम्बित किया गया?

श्री राममूर्ति—जी हां। ९ नलकूप चालक १९६० के अन्तिम ६ मास में नलकूप विभाग, शाहजहाँपुर में निलम्बित किये गये।

*९०—श्री हरदयालसिंह—क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता, नलकूप विभाग, शाहजहांपुर के कार्यालय के प्रधान लिपिक द्वारा कूप चालकों के निलम्बनादेश दो मास विलम्ब के साथ भेजे गये थे? यदि हां, तो क्यों?

श्री राममूर्ति—जी हां। एक केस में आदेश जारी होने में लगभग दो माह की देर हुई। उसका कारण लिपिक की लापरवाही थी, जिसके लिये उसको चेतावनी दे दी गई है।

*९१—श्री हरदयालसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जनवरी, १९६१ के अन्तिम सप्ताह में प्रश्नकर्ता द्वारा उक्त व्यवहृत की गयी अवैधानिकता के स्पष्टीकरण के लिये एक प्रार्थना-पत्र प्रश्नावली के रूप में श्री अभियन्ता महोदय की सेवा में प्रेषित किया गया है?

श्री राममूर्ति—जी हां।

हरी खाद के बीज वर्द्धन के लिये राज्य सहायता

*९२—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—दिनांक २१ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३ के उत्तर के क्रम में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई-कर में से सहायता की रकम को काटकर, जिन किसानों से कर वसूल किया गया है, उनकी संख्या कितनी है और ऐसे कर की कुल कितनी धनराशि है तथा कितनी धनराशि सहायता की है और वे नलकूप कहां-कहां लगे हैं जिनसे सम्बन्धित किसानों को यह रियायत प्राप्त हुई है?

श्री राममूर्ति—ऐसे किसानों की संख्या १,५२६ है। सिंचाई कर की कुल धनराशि १३,०३३ रुपये ६४ नये पैसे है। सहायता की धनरशि २,१४६ रुपये ९ नये पैसे है। वे नलकूप जिनसे सम्बन्धित किसानों को यह रियायत प्राप्त हुई है निम्नलिखित जिलों में लगे हैं :—

(१) बुलन्दशहर,
(२) अलीगढ़,
(३) एटा,
(४) फर्रुखाबाद,
(५) मुरादाबाद,
(६) खीरी-लखीमपुर,
(७) हरदोई,
(८) लखनऊ,
(९) गाजीपुर,
(१०) बलिया,
(११) वाराणसी,
(१२) जौनपुर,
(१३) गोंडा,
(१४) बहराइच,
(१५) आजमगढ़,
(१६) फैजाबाद,
(१७) सुलतानपुर,
(१८) बाराबंकी,
(१९) गोरखपुर,
(२०) बस्ती,
(२१) देवरिया।

*९३–९४—**श्री मुरलीधर कुरील** (जिला कानपुर)—[६ अप्रैल, १९६१ के लिये प्रश्न ९४–९५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*९५—**श्री होरीलाल यादव**—[हटा दिया गया।]

*९६–९७—**श्री भोखालाल** (जिला उन्नाव)—[१८ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

टांडा पम्प कैनाल, जहांगीरगंज ब्रांच का निर्माण-कार्य तथा सिंचाई की स्लेबसिस्टम योजना

*९८—**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टांडा पम्प कैनाल के लिये, जिन छः पम्पों की आवश्यकता थी, क्या वे आ गये हैं? यदि नहीं, तो कब तक आ जायेंगे?

श्री राममूर्ति—जी हां।

*९९—**श्री मुक्तिनाथ राय**—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जहांगीरगंज ब्रांच का निर्माण-कार्य आरम्भ हो गया है? यदि हां, तो निर्माण कार्य की क्या प्रगति है?

श्री राममूर्ति—जी हां। ३८ मील लम्बी नहरों का सर्वेक्षण हो चुका है और थोड़ा-सा निर्माण-कार्य भी शुरू हो गया है।

*१००—**श्री मुक्तिनाथ राय**—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या नई सिंचाई योजनाओं के चालू होने पर कम से कम शुरू के तीन वर्षों तक सिंचाई का रेट कम रखने या स्लैब सिस्टम पर सिंचाई दर लागू करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो वह योजना क्या है?

श्री राममूर्ति—जी हां। योजना की रूप रेखा अभी सरकार के विचाराधीन है।

*१०१—**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ)—[१८ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

स्टाकमेनों में अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के लोग

*१०२—श्री लायकसिंह चौधरी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, १९५८ से ३१ दिसम्बर, १९६० तक पशुपालन विभाग में कितने Stockmen लिये गये और उनमें से कितने अनुसूचित जाति के तथा कितने पिछड़ी जाति के थे ?

श्री चरणसिंह—पशु पालन विभाग में १ जनवरी, १९५८ से ३१ दिसम्बर, १९६० तक ४९१ पशु सेवक लिये गये। उनमें से ६२ अनुसूचित जाति के थे और ३४ पिछड़े जाति के थे।

*१०३—श्री लायकसिंह चौधरी—उपर्युक्त Stockmen में कितने शहरवासी तथा कितने ग्रामीण थे ?

श्री चरणसिंह—उपर्युक्त स्टाकमेन में २९ शहरवासी तथा ४६२ ग्रामीण थे।

प्रत्येक गांव में बन्दूक का लाइसेन्स देने का सुझाव

*१०४—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार यह विचार कर रही है कि गांवों के निवासियों को चोरी व डकैती से रक्षा करने के लिये हर गांव में कम से कम एक व्यक्ति को बन्दूक का लाइसेंस दिया जाय ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। ऐसा कोई प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है।

शेरगढ़ में पुलिस चौकी खोलने का आदेश

*१०५—श्री बाबूराम (जिला बरेली)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार ग्राम शेरगढ़, जिला बरेली में पुलिस चौकी खोलने का है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चरणसिंह—जिला बरेली के ग्राम शेरगढ़ में सुरक्षित चौकी के खोलने के लिये आवश्यक आदेश अप्रैल, १९६० में जारी किये जा चुके हैं।

उन्नाव जिले में शारदा नहर से माइनर्स निकालने की प्रार्थना

*१०६—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला उन्नाव में तृतीय योजना में नहर शारदा द्वारा सिंचाई हेतु कितनी माइनरें निकाली जायेंगी और सिंचाई हेतु कितने नलकूपों का निर्माण किया जायगा ?

श्री राममूर्ति—जिला उन्नाव में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शारदा नहर से कोई नई माइनर निकालने की योजना नहीं है और न कोई नये नलकूप ही लगाये जाने की ही योजना है।

*१०७-१०८—स्वामी विश्वेश्वरानन्द—[१८ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

कृषि स्कूल कमेटी, चिरगांव के सदस्य

*१०९—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चिरगांव (झांसी) की कृषि स्कूल कमटी में उसके द्वारा नामजद कौन-कौन एम० एल० ए० व एम० एल० सी० तथा अन्य व्यक्ति १९५९-६० में सदस्य थे ?

श्री चरणसिंह—सदस्यों के नाम संलग्न तालिका (क) में दिये हुये हैं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ५६० पर)

*११०—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने उक्त स्कूल कमेटी की सदस्यता के लिये १९६०-६१ में उक्त सदस्यों के स्थानों पर दूसरे सदस्य नामजद किये हैं? यदि हां, तो कौन-कौन व्यक्ति और किस आधार पर?

श्री चरणसिंह—जी हां। नये सदस्यों के नाम संलग्न तालिका 'ख' में दिये हुये हैं। सदस्यों की नियुक्ति का आधार सम्बन्धित जिलों से उपयुक्त व्यक्तियों का चुनाव था।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ५६० पर)

*१११-११२—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—[११ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*११३-११४—श्री चन्द्रजीत यादव, श्री सजीवनलाल तथा राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—[६ अप्रैल, १९६१ के लिये प्रश्न ९२-९३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

थानाध्यक्ष, सुबेहा के विरुद्ध कार्यवाही

*११५—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला बाराबंकी में थाना सुबेहा की पुलिस के रिश्वत लेने के सम्बन्ध में एस० पी० बाराबंकी को निवासी हौसिला इसमाइलपुर के प्रार्थना-पत्र माह फरवरी, १९६१ में प्राप्त हुये थे? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री चरणसिंह—जी हां। इस प्रकार का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें थाना इंचार्ज द्वारा प्रार्थी को मारने व रुपये ले लेने की शिकायत की गई थी। जांच के उपरान्त थानेदार के विरुद्ध धारा १६१ भा० द० वि० का मुकदमा कायम किया गया जिसकी तफतीश की जा रही है।

*११६-११७—श्री यमुनासिंह—[१८ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*११८-११९—श्री ब्रजनारायण तिवारी—[हटा दिया गया।]

मथुरा में पुलिस के विरुद्ध कथित प्रदर्शन

*१२०—श्री मलिखानसिंह तथा श्री शिवराम (जिला बिजनौर)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २ जनवरी, १९६१ को मथुरा शहर में पुलिस के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया था? यदि हां, तो प्रदर्शनकारियों की मांगें क्या थीं?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*१२१—श्री बंशीधर शुक्ल—[हटा दिया गया।]

गंजरिया फार्म, लखनऊ से प्रशिक्षित स्टाकमेन

*१२२—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष नवम्बर माह में गंजरिया फार्म, लखनऊ से कितने नवयुवक स्टाकमैन की ट्रेनिंग पास कर चुके हैं तथा उनमें से कितनों को सरकार ने नौकरी पर ले लिया है?

श्री चरणसिंह—गत वर्ष नवम्बर माह में गंजरिया फार्म, लखनऊ से ८५ नवयुवकों ने स्टाकमैन की ट्रेनिंग हासिल की थी उनमें से सब को नौकरी पर ले लिया गया है।

*१२३—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—जिन ट्रेनिंग पास नवयुवकों को अभी तक नौकरी पर नहीं लिया है उसका कारण क्या है?

श्री चरणसिंह—प्रश्न नहीं उठता।

*१२४—श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—[११ अप्रैल, १९६१ के लिये प्रश्न ११७ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

नानकसागर योजनान्तर्गत भूमि प्राप्ति के लिये प्रयास

*१२५—श्री प्रतापसिंह—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २० जनवरी, १९६१ को जिलाधीश नैनीताल ने नानकसागर योजना के सम्बन्ध में जमीन दिये जाने के लिये एक मीटिंग बुलाई थी? यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय हुआ?

श्री राममूर्ति—जी हां। २० जनवरी, १९६१ की मीटिंग में एस० एल० ए० ओ०, नैनीताल ने यह बताया कि ३,२३५ एकड़ भूमि जो कि नानक सागर के विस्थापितों को बसाने के लिए डिप्टी कमिश्नर नैनीताल ने तय की थी, वह वन विभाग ने सुरक्षित वन घोषित कर दी थी। मीटिंग में यह निर्णय किया गया कि डिप्टी कमिश्नर, नैनीताल इस भूमि को सुरक्षित वन के नोटीफिकेशन से मुक्ति दिलाने के लिये सरकार को लिखें।

*१२६—श्री प्रतापसिंह—क्या यह सही है कि उस बैठक में विशेष रूप से जंगलात विभाग के लोगों को बुलाया गया था? यदि हां, तो जंगलात विभाग के कौन-कौन लोग उपस्थित थे? यदि कोई नहीं उपस्थित थे तो उसका क्या कारण है?

श्री राममूर्ति—मीटिंग में वन विभाग के चार अधिकारी आमंत्रित किये गये थे जिनमें से केवल एक अधिकारी उपस्थित हो सके। बाकी आवश्यक "कार्यों के कारण मीटिंग में नहीं आ सके।"

अतारांकित प्रश्न

सादाबाद तहसील में पानी की निकासी के लिये सर्वेक्षण

१—श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मथुरा, तहसील सादाबाद क्षेत्र सेपऊ में किसानों की ऐसी कितनी जमीन है जिसमें खरीफ और रबी की दोनों फसलें नहीं बोई गई हैं और उसमें बाढ़ का पानी भरा हुआ है?

श्री राममूर्ति—इस क्षेत्र की लगभग ५,४८५ एकड़ भूमि में खरीफ की फसल और २,०५१ एकड़ भूमि में रबी की फसल नहीं बोई गई तथा जिसमें से ९६१ एकड़ भूमि में पानी भरा हुआ है। पानी को निकालने के लिये ड्रेन्स प्रस्तावित किये गये हैं। उन पर Detailed सर्वेक्षण हो रहा है।

मैनपुरी जिले में विभिन्न अपराधों की घटनायें

२—श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मैनपुरी के थाने (१) करहरा, (२) कुर्रा, (३) किशनी, (४) बेवर में १९५८-५९ तथा १९५९-६० में अलग-अलग कितनी डकैतियां, कत्ल, चोरियां और राहजनी हुई?

३—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त मामलों में कितनी नामजद रिपोर्ट प्रति थाने में की गई?

४—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त कितने मामले में पुलिस कामयाब हुई और कितने मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगायी गयी?

श्री चरणसिंह—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ५६१ पर)

बस्ती जिले के कुदरहा के किसान मेला में महिलाओं को छेड़ने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष---नियम ५२ के अन्तर्गत जो प्रश्न ध्यान आकर्षित करने के लिये मेरे पास भेजे गये हैं उनमें श्री गोविन्द सिंह बिष्ट के प्रश्न को मैंने स्वीकार किया है जो इस प्रकार है---

"दिनांक १६ मार्च, को जिला बस्ती के एन० ई० एस० ब्लाक कुदरहा में किसान मेला हुआ। विकास अधिकारी व कर्मचारी तथा पुलिस वाले आपस में इस बात पर लड़ पड़े कि वे महिलाओं से छेड़खानी कर रहे थे। ऐसा लगता है कि दोनों दल शराब की मदहोशी में महिलाओं से छेड़खानी करने लगे जिसमें मारपीट हो गई और कई लोगों को चोटें आईं।

अब दिनांक १ या २ अप्रैल, ६१ को पुलिस ने धारा ३३२--१४७ ताजीरात हिन्द में स्थानीय १ बी० डी० ओ०, एक ए० डी० ओ०, ३ बी० एल० डब्लू०, २ पंचायत राज सेक्रेटरी व २ चपरासियों के नाम वारंट कुलवारी थाने से निकाले हैं। इस संबंध में अधिक विवरण व समाचार कल आपको भेजा गया है।

सुरक्षा की जिम्मेवार पुलिस व विकास के जिम्मेवार अधिकारियों की इस चरित्र-हीनता से सर्वत्र असंतोष है।

लोक महत्व के इस निश्चित प्रश्न पर माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया जाय"।

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)---आज तो पूरी इत्तिला मेरे पास नहीं है। तीन चार रोज के बाद दे सकूंगा।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि सोमवार को आप दे देंगे।

नियम ५२ के अन्तर्गत कम्पनी बाग, सहारनपुर के कर्मचारी यूनियन के मंत्री, श्री के० आर० वर्मा, द्वारा आमरण अनशन के संबंध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---श्री चन्द्रजीत यादव ने जो प्रश्न उठाया था उस सम्बन्ध में गृह मंत्री वक्तव्य देंगे।

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)---राजकीय उद्यान तथा अनुसंधान केन्द्र, सहारनपुर के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की एक यूनियन अप्रैल, १९५९ को ट्रेड यूनियन ऐक्ट, १९२६ के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हुई। इस यूनियन के अध्यक्ष श्री पूरन सिंह उबत अनुसंधान केन्द्र के कर्मचारी हैं, परन्तु इसके मंत्री श्री के० आर० वर्मा सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। उबत श्री वर्मा ने कुछ समय पहले कुछ मांगें निदेशक, उद्यान अनुसंधान केन्द्र, सहारनपुर को पेश की थीं जो कि निम्नलिखित हैं :---

१---सरकार द्वारा यूनियन को मान्यता। २---कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश।

हाल ही में श्री वर्मा ने कुछ और मांगें पेश की हैं जो निम्नलिखित हैं :-

१---कार्य की अवधि एक दिन में आठ घंटे से अधिक न हो।

२---मजदूरों का वेतन २५ प्रतिशत बढ़ा दिया जाय।

३---उनको निवास स्थान अथवा उसके उपलक्ष्य में विशेष भत्ता दिया जाय।

४---उनको एक वर्ष के सेवा काल के पश्चात् स्थायी कर दिया जाय।

[श्री चरणसिंह]

५--हेड मालियों की नियुक्ति मालियों की पदोन्नति करके की जाय।

६--मालियों की नियुक्ति के लिये यूनियन से परामर्श किया जाय।

७--चपरासियों तथा चौकीदारों को गरम तथा ठंडी वर्दियां दी जांय।

८--उद्यान के कर्मचारियों को सी० पी० फंड तथा पेंशन की सुविधायें दी जांय।

९--सहारनपुर में मजदूरों के लिये एक औषधालय स्थापित किया जाय।

इन मांगों के पेश करने के बाद श्री वर्मा ने विरोध प्रकट करने के लिये भूख हड़ताल शुरू कर दी।

जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, यह आदेश दिया जा चुका है कि (१) उद्यान के स्थायी कर्मचारियों को अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति सप्ताह में एक दिन का अवकाश दिया जाय।

दैनिक वेतन पाने वाले मजदूरों की स्थिति कुछ भिन्न है। ये लोग रोज नियुक्त किये जाते हैं और रोज शाम को उनकी नौकरी खत्म समझी जाती है। इस प्रकार यह लोग हमेशा सरकारी नौकरी में नहीं रहते, किसी दिन काम न होने पर या अनुपस्थिति होने पर ऐसे कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाता है। अतः इनको सप्ताह में एक दिन अवकाश दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

(२) सरकार उक्त यूनियन को मान्यता प्रदान करना उचित नहीं समझती, क्योंकि बाहरी लोग इस यूनियन से सम्बन्धित हैं।

(३) उद्यान के सभी कर्मचारी मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अनुसार ९ घंटे काम पर रहते हैं जिसमें १/२ घंटा बीच में अवकाश भी सम्मिलित है।

(४) वेतन में वृद्धि की मांग अनुचित है और किसी प्रकार स्वीकार नहीं की जा सकती।

(५) उद्यान में कुछ क्वार्टर्स कर्मचारियों के लिये उपलब्ध हैं जिनकी उपस्थित उद्यान में हर समय आवश्यक है। सब को क्वार्टर या उसकी जगह भत्ता देना सम्भव नहीं है।

(६) पदोन्नति या स्थायीकरण शासन के नियमों के अनुसार किया जाता है। सब पदों को एक साथ स्थायी करना सम्भव नहीं है।

(७) नियमों के अनुसार हेड माली के पद पर केवल प्रशिक्षित व्यक्तियों की ही नियुक्ति की जा सकती है। जो माली प्रशिक्षित नहीं हैं उनको हेड माली के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

(८) मालियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति रोजगार दिलाने वाले दफ्तर की राय से ही की जाती है। इस सम्बन्ध में किसी अन्य से परामर्श करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

(९) शासन के नियमों के अनुसार अर्दलियों को जाड़ों तथा गर्मियों की वर्दी दी जाती है। स्थायी चपरासियों को जाड़ों में गर्म कपड़े तथा चौकीदारों को कम्बल दिये जाते हैं।

(१०, ११) सभी स्थायी कर्मचारी स्वतः सी० पी० एफ०, पेन्शन आदि के अधिकारी हैं। इन सुविधाओं को अस्थायी कर्मचारियों अथवा दैनिक मजदूरों को नहीं दिया जा सकता।

(१२) सहारनपुर उद्यान में औषधालय की स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं है। सहारनपुर के राजकीय औषधालय में जो उद्यान के पास है चिकित्सा की पूरी सुविधायें उपलब्ध हैं।

श्री वर्मा ने ३० मार्च को अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी है और सहारनपुर उद्यान के कर्मचारियों में अब पूर्ण शान्ति विद्यमान है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यूनियन की तरफ से जो मांगें प्रस्तुत की गयी थीं उनमें से मांग नम्बर २ और मांग नम्बर ३ के सम्बन्ध में हार्टिकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सहारनपुर के डायरेक्टर ने कृषि विभाग के संचालक को यह लिखा था कि उनकी ये मांगें उचित हैं और उनके सैंक्शन के लिये उन्होंने यहां भेजा था, लेकिन कृषि के संचालक ने उसमें विलम्ब किया ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस मांग को उन्होंने स्वीकार किया है यह कब स्वीकार किया है और क्या यूनियन को इसकी सूचना दे दी गयी है ?

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, सहारनपुर के इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने गवर्नमेन्ट को क्या लिखा, उसके लिये मुझे नोटिस की आवश्यकता होगी, लेकिन उनके लिखने या न लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मांग नम्बर २ और ३ ऐसी हैं जिनको स्वीकार करने के लिये गवर्नमेंन्ट तैयार नहीं है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो मंत्री जी ने भूख हड़ताल की वह किन शर्तों पर समाप्त कर दी गयी ?

श्री चरणसिंह—गवर्नमेन्ट ने उनकी कोई शर्तें नहीं मानी हैं और न उसके सामने कोई शर्त रखी थी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी मांग नम्बर ५ पर कि क्वार्टर दिये जायं पुन : विचार करेंगे, क्योंकि ये बहुत कम तनख्वाह वाले लोग होते हैं और बहुत छोटे-छोटे क्वार्टर्स उनके बनते हैं ?

श्री चरणसिंह—मांग नम्बर ५ में क्वार्टर्स का जिक्र नहीं है। लेकिन खैर, किसी मांग में हो, मगर क्वार्टर नहीं दिये जा सकते क्योंकि रुपया गवर्नमेन्ट के पास नहीं है, सीधी सी बात है।

नियम ५२ के अन्तर्गत जिला शाहजहांपुर के मुहल्ला मुहम्मद जलालनगर में डाका पड़ने के संबंध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब माननीय रूमसिंह द्वारा उठाये गये प्रश्न जलालनगर, शाहजहांपुर में हुई डकैती के संबंध में माननीय गृह मन्त्री वक्तव्य देंगे।

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, शाहजहांपुर शहर में मुहल्ला मुहम्मद जलालनगर की आबादी से कुछ हट कर शहर के आउटस्कर्ट्स में किसानों की एक छोटी बस्ती (hamlet) है। दिनांक २४-२५ मार्च, १९६१, को लगभग आधी रात के बाद इस बस्ती के श्री थम्मन, पुत्र भूपा किसान के घर डंडे व तमंचे या देशी पिस्तौल से लैस हो कर ८–१० व्यक्ति आये और ४–५ व्यक्ति बाहरी बरामदे में घुसे जहां थम्मन की पत्नी व सास सो रही थीं। इन व्यक्तियों ने इन महिलाओं के जेवर छीन लिये। इन महिलाओं द्वारा शोर करने पर थम्मन जो अपने पिता के साथ बगल के कमरे में सो रहे थे तथा कुछ और लोग दौड़े और इन बदमाशों को घेर लिया। भागने का कोई रास्ता न देखकर इन डाकुओं ने दो फायर किये जिसके फलस्वरूप थम्मन और लखन, पुत्र मनोहर की मृत्यु हो गयी। डाकू लोग ३२६ रुपये की सम्पत्ति लेकर भाग गये जिसमें ५४ रुपये नकदी थे। थाना सदर बाजार में इस घटना की सूचना रात को लगभग २ बजे पहुंची जिस पर भारतीय दंड विधान का मुकदमा दर्ज किया गया। थानाध्यक्ष तुरन्त घटना स्थल पर पहुंचे। बाद में सर्किल इंस्पेक्टर, सहायक पुलिस अधीक्षक, और पुलिस अधीक्षक भी गये। इस मामले में जांच की जा रही है। अभी तक कोई गिरफतारी नहीं हुई है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि थाना सदर बाजार का उस स्थान से कितना फासला है जहां डकैती हुई और पुलिस की चौकी जो जलालनगर में है वह डकैती के स्थान से कितने फासले पर है ?

श्री चरणसिंह---अगर माननीय मित्र नोटिस देंगे तो मैं गज और फीट में फासला नपवाकर मंगवा दूंगा ।

श्री देवनारायण भारतीय---मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि उस चौकी का फासला डकैती के स्थान से १ फर्लांग पर है, उस स्थान पर डकैती हुई, मारपीट हुई और २ आदमियों के प्राण गये लेकिन पुलिस मौके पर नहीं गयी । क्या मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण करने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह---मारपीट तो कभी थाने के अन्दर भी हो जाती है, वाइसरीगल लाज में भी कभी-कभी चोरियां हो जाती हैं । चौकी से १ फर्लांग के फासले पर डाका पड़ा और डाकुओं को केवल ३२६ रुपये मिले, चलते वक्त २ फायर करके बदमाश भाग गये, केवल इतने ही से पुलिस की शिथिलता जाहिर नहीं होती ।

श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)---डकैती के १५ मिनट पहले पुलिस के सिपाहियों ने वहां गश्त की थी, क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री चरणसिंह---मैं इसकी जांच करना आवश्यक नहीं समझता, क्योंकि यह हो सकता है कि १५ मिनट में पुलिस आगे १ मील निकल गयी हो । इससे यह साबित नहीं होता कि इसमें पुलिस की किसी प्रकार कम्प्लिसिटी थी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या पुलिस को इस बात की पहले से सूचना थी कि मामूली मारपीट की जायगी और थोड़ा रुपया ही चोरी होगा इसलिये उसने सोचा कि उसे नहीं जाना चाहिये, क्योंकि वाइसरीगल लाज से भी चोरियां हो जाया करती हैं और पुलिस के थाने में भी मारपीट हुआ करती है ?

(हंसी--उत्तर देने की अनुमति नहीं दी गयी ।)

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी अपनी पुलिस की इस बहादुरी के लिये कि उनके थाने में केवल मारपीट हुई और थोड़ा सा ही धन चोरी हो गया, वहां के कर्मचारियों को वीरचक्र और परमवीर चक्र दिलाने के लिये भारत सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी उन कारणों को स्पष्ट करेंगे कि जिसकी वजह से १५ मिनट पहले गश्त हुई और चौकी १ फर्लांग के फासले पर रही तब भी डकैती पड़ी ?

श्री अध्यक्ष---जो सूचना उनके पास आई वह उन्होंने दे दी । अगर आप को इसकी जांच करानी हो तो आप चार्ज करें, उनको लिखित भेज दें कि आप को यह सूचना मिली है और आप उनकी जाच करें तो वह जांच करावेंगे । अभी से इन बातों का वे क्या जवाब देंगे ?

श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांनपुर)---डाकुओं ने माल लूटा या पहले गोली से मारा ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार इसको स्पष्ट करेगी कि इस डकैती के फलस्वरूप जो जाने गयीं उनका पोस्टमार्टम कराया गया और उनकी क्या रपट है ?

श्री चरणसिंह—मैंने तो खुद ही अर्ज किया कि चलते समय बदमाश फायर करके निकल गये। मैंने कहा था कि अगर एक दो फर्लांग पर पुलिस आउट पोस्ट है.....

श्री अध्यक्ष—आप यह बता दें कि पोस्ट मार्टम हुआ कि नहीं ?

श्री चरणसिंह—पोस्ट मार्टम जरूर हुआ होगा, लेकिन मैंने रिपोर्ट नहीं मंगायी।

श्री रूमसिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि शाहजहांपुर के कप्तान महोदय दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं इसलिये इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

बस्ती जिले के कुदरहा के किसान मेला में महिलाओं को छेड़ने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग (क्रमागत)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि सोमवार को जो रखा गया है तो उस दिन मैं अनुपस्थित होऊंगा। इसलिये यदि शनिवार को रख दें तो बहुत अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि आप उन से बात कर लें।

श्री चरणसिंह—श्रीमन्, शनिवार को दे दूंगा।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि....

श्री अध्यक्ष—जी नहीं।

श्री टीकाराम पुजारी—आपको सुनना होगा, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, विधेयक पर बोलें तो आगे बैठने वाले। सुझाव दें तो आगे बैठने वाले। अगर प्रश्न हों तो मुख्य प्रश्न उनके ही आयें और बाद में हमारे आयें। हम लोग जो पीछे बैठने वाले हैं, चाहें इधर के हो या उधर के हों, हमारे साथ हकतलफी होती है। यह नेता लोग जो आगे विराजमान हैं.....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करें नहीं तो मैं बाहर जाने के लिये कहूंगा।

श्री टीकाराम पुजारी—लेकिन माननीय सदस्यों के साथ में, चाहे इधर के हों या उधर के हों....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन आप भी चले जायेंगे। मैं १ घंटे के लिये वाक आउट करता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बाहर चले जाइये।

(श्री टीकाराम पुजारी सदन से बाहर चले गये।)

१९६१-६२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या १८--पुलिस

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)--अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८--पुलिस के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर ९,६४,०८,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, पुलिस मेरे ख्याल में सबसे पुराना मुहकमा है। जब कभी भी कोई गवर्नमेंट कायम होती है तो आन्तरिक शान्ति स्थापित करने के लिये पुलिस का महकमा वह कायम करती है। जैसे कि सीमा की सुरक्षा के लिये वह फौज कायम करती है, इसी प्रकार से हमारे यहां भी पुलिस का पुराना मुहकमा है और जो पुराना मुहकमा होता है उसमें नई चीजे करने के लिये बहुत कम गुन्जाइश रह जाती है। यह वर्ष बीता है, इसमें पुलिस के मुहकमें में कोई खास परिवर्तन उनके संगठन में या कार्य प्रणाली में नहीं हुआ है, जिसका कि मैं यहां बखान करूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि गवर्नमेंट पुलिस के संगठन से या उसकी कार्य क्षमता से पूर्णतया संतुष्ट है और उसमें किसी सुधार की आवश्यकता महसूस नहीं करती है।

जैसा कि माननीय सदन को मालूम है, गवर्नमेन्ट ने एक पुलिस रिआर्गेनाइजेशन कमीशन नियुक्त किया था। उसको लगभग साल भर हुआ है, उसके सामने पुलिस संगठन आदि के सिलसिले में बड़ी-बड़ी समस्यायें सब विचाराधीन हैं। हमें उम्मीद थी कि उसकी रिपोर्ट ३१ मार्च तक गवर्नमेन्ट को प्राप्त हो जायगी, लेकिन कमीशन ने यह लिखा कि उनको विवशता है और वह रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं और उन्होंने ३१ मई तक का समय मांगा, जो कि शुरू में उनके लिये निर्धारित हुआ था, गवर्नमेन्ट ने उनको वह समय रिपोर्ट देने के लिये दे दिया। यह बात ठीक है कि कमीशन ने बीच में एक इब्तदाई रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट को भेजने के साथ कमीशन ने गवर्नमेन्ट से यह कहा था कि यह भी सम्भव है कि जब अन्तिम रिपोर्ट दें तब इब्तदाई रिपोर्ट में जो आज हम सिफारिशें कर रहे हैं, उनमें कोई संशोधन हो जाय। इसलिये गवर्नमेन्ट ने इब्तदाई रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्यवाही करना उचित नहीं समझा और मुनासिब यह समझा कि अन्तिम रिपोर्ट का इंतजार किया जाय। जो बहुत से सवाल अब तक पुलिस के सम्बन्ध में उठते रहे हैं, जो चिन्ता के विषय रहे हैं वह प्रायः सभी पुलिस कमीशन के सामने हैं। गवर्नमेन्ट उनकी सिफारिशों का इंतजार करना मुनासिब समझती है, पेश्तर इसके कि अपनी तरफ से कोई कार्यवाही करे। इसलिये मैं सदन का समय इन दो कारणों से नहीं लेना चाहता। पहला कारण यह कि कोई बात इस वर्ष हुई नहीं। दूसरे, यह कि पुलिस पुनस्संगठन आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है, इसलिये इस पर कोई चर्चा करना सरकार मुनासिब नहीं समझती।

मैं माननीय मित्रों से चाहूंगा कि यहां सुझाव दें। बेहतर तो यही होगा--दोष निकालना तो बहुत आसान है, नुक्स हैं, गवर्नमेन्ट को मंजूर है--लेकिन दोष निकालने के साथ-साथ, गवर्नमेन्ट और जनता की मदद तो तभी होगी जब वह कांस्ट्रक्टिव सजेशंस भी दें। अगर किसी साहब को यह मंजूर नहीं है, अगर केवल आलोचना करनी है तो मैं उसका भी स्वागत करूंगा। इसलिए जैसा कि मैंने कहा, मैं तकरीर नहीं करूंगा।

केवल एक बात ऐसी है जो मैं समझता हूं कि माननीय सदन के सामने इसी स्टेज पर खोल देना, बता देना मुनासिब होगा। वैसे कुछ बजट में भी संकेत है, लेकिन वह स्कीम बजट लिटरेचर में पूरी तरह से दी हुई नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पुलिस को क्रिमिनल्स से मुकाबिला करना पड़ता है और क्रिमिनल्स से मुकाबिला करने में उनकी जान जोखिम रहती है। जान तो सब को प्यारी है, फौज में भी यह आशंका रहती है। मैं पुलिस और फौज का मुकाबिला नहीं कर रहा हूं, लेकिन फौज में एक जरा सा डिस्टिंक्शन है बमुकाबिले पुलिस के। वह एक बड़े पैमाने पर कार्यवाही करते हैं। मनुष्य का स्वभाव यह है कि

चाहे अकेले में वह कुयें में कूदने के लिये तैयार न हो लेकिन अगर हजार आदमी रेजोल्यूशन पास करके कूदना चाहें तो आदमी कूदने को, निस्बतन ज्यादा आसानी से तैयार हो जाता है। तो पुलिस को जो डाकुओं, चोरों, रहजनों, बदमाशों, औरतें भगाने वालों से मुकाबिला करना पड़ता है, वह दो, चार आदमियों के साथ या बहुत बार अकेले ही मुकाबिला करना पड़ता है, उस वक्त उसका खून ठंडा रहता है। २४ घंटे में किसी वक्त उसको मुकाबला करना पड़ सकता है और २४ घंटे वह जोश में रहता नहीं। कोई भी आदमी नहीं रहता। आवेश तो बहुत थोड़े समय रहता है। तो पुलिसमैन को आशंका रहती है कि अगर तेरी मौत हो जाय तो तेरे बच्चों के लिये कोई ऐसा सहारा है या नहीं कि कम से कम सूखी रोटी उनको मिल सके। जब उसको यह आश्वासन नहीं रहता है तो अपनी जान झोंकने में या एसा काम करने में, ऐसी बहादुरी दिखाने में जिसमें कि जान का खतरा हो, जैसाकि मनुष्य का स्वभाव है, वह हिचकता है। अब तक डाकुओं के मुकाबिले में या दूसरे बदमाशों के मुकाबले में पुलिसमैन जो मारे जाते थे उनको पेंशन आदि जो दी जाती थी। वह प्रायः नगण्य थी, बहुत थोड़ी रकम दी जाती थी। अब गवर्नमेन्ट ने एक स्कीम बनायी है। अध्यक्ष महोदय, उसमें केवल पांच मिनट लगेंगे, आपकी इजाजत से वह मैं सदन के सामने रख देना चाहता हूं। मैं यह आशा करता हूं कि इस स्कीम के यहां से मंजूर हो जाने के बाद या गवर्नमेन्ट से फैसला लिये जाने के बाद पुलिसमैन का मारेल ऊंचा होगा। वह कम से कम जब डाकुओं का या बदमाशों का मुकाबिला करने चलेंगे तो यह खयाल उनको अब हिचकिचाहट पैदा नहीं करेगा कि बाद में तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। अगरचे ऐसी मौतें बहुत कम होती हैं, लेकिन इससे सारे पुलिस मारेल को ऊंचा करने में यह स्कीम बहुत सहायक सिद्ध होगी। मुश्किल से दस बीस हजार रुपया सालाना खर्च होगा, क्योंकि केवल इसी कारण बिला वजह तो कोई अपनी जान झोंकने वाला नहीं है, लेकिन जब वजह हो और जरूरत हो इस बात की तो यह खयाल कि बाद में उसके बच्चों का क्या होगा, वह भूखों मर सकते हैं, उसकी वजह से उसके मन में अब कोई रुकावट पैदा नहीं होगी।

(इस समय १२ बजकर २४ मिनट पर अधिष्ठाता, कुंवर श्रीपालसिंह, पीठासीन हुये।)

वह स्कीम यह है---श्रीमन्, अभी जो है वह भी मैं बतला दे रहा हूं और उसके बाद आगे गवर्नमेन्ट जो करने जा रही है वह भी; दोनों साथ-साथ मैं बयान करता जाऊंगा।

कांस्टेबिल के मर जाने के बाद अभी २०० रुपया उसकी विधवा को बतौर ग्रेच्युटी के मिलता है। जो नयी स्कीम है उसके मातहत ५०४ रुपये मिलेंगे। पेंशन जो उसकी विधवा को मिलती थी वह १६रु० ६६ न०पै० मिलती थी। अब पेंशन ६३ रुपये मिलेगी यानी जो वह तनख्वाह शुरू में पा रहा था---शायद साढ़े ६१ उसको शुरू में मिलते हैं या शायद ६३ ही हों, तो यह ६३ रुपये तो मैं मिनिमम बतला रहा हूं। वैसे जिस वक्त वह आदमी मरा है उस वक्त जो तनख्वाह उसको मिलती होगी वह तनख्वाह उसको पूर्ववत् यह मानकर मिलती रहेगी कि उसका पति जिन्दा है। यह ५८ वर्ष की उम्र तक उसको मिलेगी। जब उसकी ५८ वर्ष की उम्र हो जाय, उसके बाद पेंशन उसको रूल्स के मुताबिक मिलेगी। यानी जो तनख्वाह वह उस वक्त ५८ वर्ष की उम्र में पाता उसके हिसाब से जो पेंशन होती वह मिलेगी। मसलन ६३ रुपये जब पाता था तो उसके हिसाब से साढ़े सत्ताइस रुपये उसको पेंशन के तौर पर मिलेंगे और वह इस मुद्दत तक मिलेंगे जो कि एवरेज लांगेविटी हिन्दुस्तान में ५८ वर्ष की है, क्योंकि उसके बाद वह आदमी जिन्दा तो रहा नहीं और बच्चों के नाम पर अभी ८ रुपया मिलता था। दो बच्चे हों, या तीन हों तो ८ रुपये, तीन से ज्यादा चाहे जितने भी हों चार हों, पांच हों, छः हों, तब भी ८ रुपये। अब नयी स्कीम के मुताबिक १२रु०६० नये पैसे मिलेंगे। इस प्रकार कुल पेंशन १६ रु० ६६ पै० और ८ रुपये बच्चों के नाम पर, दोनों मिलाकर २४ रु० ६६ पै० उसको मिलते थे।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---कोई शिक्षा में भी सुविधा रहेगी ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं, शिक्षा से इससे कोई वास्ता नहीं है ।

अब उसको मिलेगी ६३ रुपया पेंशन और १२ रुपया ६० नया पैसा बच्चों के लिये, दोनों मिलाकर ७५ रुपया ६० न०पै० और उसके बाद साढ़े सत्ताइस रुपया पेंशन । ग्रेच्युटी मैंने अर्ज किया २०० रुपये मिलती थी अब ५०४ रुपये मिलेगी ।

हेड कांस्टेबिल को जो ग्रेच्युटी मिलती है वह है २८० रु० और अब मिलेगी ६६४ रुपये । पेंशन मिलती थी उसकी विधवा को २३ रु० ३३ न० पै० अब मिलेगी ८३ रुपये, क्योंकि हेड कांस्टेबिल को शुरू में ही ८३ रुपये मिलते हैं और उसके बाद पेंशन मिलेगी, साढ़े सैंतिस रुपये । बच्चों को भी हेडकांस्टेबिल के वही ८ रुपया ही मिलता था । अब उनको १६रु० ६० न० पै० मिलेगा ।

सब-इंसपेक्टर को ६०० रुपये ग्रेच्युटी मिलती थी । अब नयी स्कीम के अनुसार १२४० रुपये ग्रेच्युटी उसको मिलेगी और पेंशन ५० रुपये मिलती थी वह अब १५५ रुपये मिलेगी। ५८ वर्ष को उम्र के बाद पेंशन ८० रुपये मिलेगी । बच्चों को १५ रुपये मिलते थे, लेकिन अब ३१ रुपये मिलेंगे।

इंसपेक्टर को ८०० रुपये ग्रेच्युटी मिलती थी । अब मिलेगी १९२० रुपये । पेंशन मिलती थी ५० रुपये जो कि सब इंसपेक्टर को मिलती थी लेकिन अब इसको पेंशन मिलेगी २४० रुपये । सब-इंसपेक्टर को ५० के बजाय १५५ और सर्किल इंसपेक्टर को ५० के बजाय २४० । और पेंशन सर्किल इंसपेक्टर को मिलेगी १२५ रुपये । उसके बच्चों को पहले २३ रुपये ८ आने मिलते थे, अब मिलेंगे ४८ रुपये ।

जो ऊपर के अफसरान हैं डी०वाई०एस०पी० और सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस आदि, उनके सिलसिले में भी इस स्कीम को एक्सटेंड करने के मसले पर विचार हो रहा है । जैसा मैंने शुरू में अर्ज किया कि बहुत थोड़ी सी मौतें होती हैं लेकिन जो मौतें ऐसी हो जाती हैं और फिर उसके बाद उनके बच्चों का जो हाल होता है, वह कुल पुलिस फोर्स को डिमारेलाइज़ करने वाला एक फैक्टर हो जाता है । लेकिन इस स्कीम के बाद उस डिमारेलाइजेशन का जो इसकी वजह से पैदा होता है उसका सवाल कम से कम नहीं रहेगा और जैसा मैंने अर्ज किया, हमारी रेवेन्यू पर यह कोई बर्डेन भी किसी तरह से नहीं होगा ।

तो चेयरमैन महोदय, जैसा मैंने कहा, मैं कोई व्याख्यान नहीं देना चाहता । मैं तो केवल अपने मित्रों की बात सुनना चाहता हूं और कल आखीर में उस आलोचना का जवाब में अपनी अक्ल के मुताबिक और जैसी आलोचना होगी उसकी मेरिट्स के मुताबिक देने की कोशिश करूंगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अधिष्ठाता जी, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि गृह मंत्री महोदय ने वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये अनुदान संख्या १८---पुलिस के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर ९,६४,०८,२०० रुपये की जो मांग प्रस्तुत की है उसकी धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य यह है कि मितव्ययिता व प्रशासन में सुधार आदि की चर्चा करना तथा सुझाव देना ।

कमी करने के उद्देश्य से ही माननीय अधिष्ठाता जी, यह स्पष्ट हो जायगा कि मेरा उद्देश्य केवल आलोचना करना नहीं है, रचनात्मक सुझाव देना है । इसमें यह बात कह दी गई है और माननीय गृहमंत्री महोदय ने अभी अभी जिस नयी स्कीम का हम लोगों को परिचय कराया, सदन के सामने जो नयी स्कीम रखी, उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, उसका स्वागत करता हूं और हम सब समझते हैं कि जैसा उन्होंने किया है, वह करना चाहिये था। अगर वह न करते तो हमारी तरफ से वैसा करने के लिये रचनात्मक सुझाव आता । लेकिन उन्होंने पहले ही कर दिया, इसके लिये वह धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं ।

उन्होंने स्वयं कहा कि पुलिस विभाग एक पुराना विभाग है । मैं उनके इस अर्थ को और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वह केवल एक पुराना विभाग ही नहीं है, बल्कि उसके मानी यह

भी हैं कि अगर यह कहा जाय कि कई दृष्टियों से यह सबसे अधिक आवश्यक है और महत्वपूर्ण विभाग है तो अनुचित नहीं होगा, इसमें कोई दो रायें नहीं होंगी क्योंकि जनता के जानमाल की रक्षा करना पुलिस के ऊपर ही निर्भर है और अपने प्रदेश के अन्दर आन्तरिक शांति-व्यवस्था कायम रखना भी पुलिस की ही जिम्मेदारी है। इसलिये भी यह विभाग एक तरह से जनता का रक्षक है और जैसाकि माननीय गृह मंत्री ने संकेत किया सदियों तक, हजारों वर्ष तक यह धारणा मानव समाज में रहती रही कि सरकार का एकमात्र कर्त्तव्य जनता के जान-माल की रक्षा करना, उसमें शांति स्थापित करना और देश को विदेशी आक्रमण से बचाना है। इसीलिये जब तक यह धारणा रही तो पुलिस स्टेट कही जाती थी। अब जब जन मंगलकारी सरकार की कल्पना विकसित हुई, तब भी पुलिस के महत्व में कोई कमी नहीं आई क्योंकि जनता जनमंगल और जानमाल की रक्षा बिना जिन्दा नहीं रह सकती, तब किसका मंगल होगा और क्या मंगल होगा? जब सारी कमाई ही लुट जाय तो फिर उसका मंगल ही क्या होगा? इस कारण उसका महत्व कम नहीं हुआ लेकिन मैं इस बात को माननीय गृहमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो विभाग इतना अच्छा है और इतना महत्व का है वह लोकप्रिय और जनप्रिय होना चाहिये। जनता को पुलिस को अपना मित्र मानना चाहिये, हितैषी मानना चाहिये, रक्षक मानना चाहिये और कुछ देशों में यह भावना पुलिस के प्रति पैदा हुई है। उदाहरण के लिये मैं इंगलैन्ड का नाम लेता हूं लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में अभी यह भावना पैदा नहीं हुई है। पुलिस अभी जनता में लोकप्रिय नहीं हुई है। सच बात तो यहां तक है कि यहां की जनता अभी पुलिस से डरती है, सशंकित रहती है और आतंकित रहती है और वह आतंक यहां इस हद तक बढ़ा हुआ है कि प्रदेश में माननीय मंत्रियों का वह रोब नहीं है, माननीय गृहमत्री का भी वह रोब नहीं है, माननीय मुख्य मंत्री का वह रोब नहीं है जो थानों में थानेदारों का होता है।

इस बात की आवश्यकता है जैसा कि स्वयं उन्होंने कहा कि सरकार सुधार की आवश्यकता समझती है और सुधार के लिये उन्होंने पुलिस आयोग भी नियुक्त कर दिया है। मैं तो यह भी मान लेता हूं कि इससे पहले भी सरकार ने सुधार के बहुत से प्रयत्न किये। शुरू में जनता को बहुत से आश्वासन दिये। पुलिस को उपदेश दिये। आदर्श थानों की स्थापना की। यह भी कहा कि पुलिस को जनसेवक कहना चाहिये। महात्मा गांधी के फोटो पुलिस थानों में लगाये और भी सुधार किये गये जिनका वर्णन वार्षिक कार्यविवरण पुलिस विभाग, १९६० की पुस्तक में पृष्ठ एक और नौ में दिया गया है यानी पुलिस तथा जनता के अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने के लिये बराबर जोर दिया जाता रहा है और इस बात का प्रयत्न किया गया कि अच्छे सम्बन्ध रहें लेकिन जनकल्याण कार्य करने के बावजूद भी माननीय गृह मंत्री जी मानेंगे यह आलोचना नहीं है कि पुलिस और जनता के सम्बन्ध अभी अच्छे नहीं हुये हैं। जनता के अन्दर से पुलिस का भय नहीं गया है। जनता पुलिस को अपना हितैषी नहीं समझती है। इतना ही नहीं बल्कि जो सुधार हुये हैं उनसे पुलिस की कार्यक्षमता भी नहीं बढ़ी है। पहले ही पृष्ठ पर यह आंकड़े दिये गये हैं—

१९५८	में	डकैती	८२५
१९५९	में	डकैती	८४९
१९६०	में	डकैती	९५२

इन तीनों सालों में डकैती बराबर बढ़ती रही है। इसी प्रकार से राहजनी की घटनायें हैं—

१९५८	में	राहजनी	४७७
१९५९	में	राहजनी	५०४
१९६०	में	राहजनी	५४२

राहजनी की घटनायें भी बराबर बढ़ती गई हैं। हत्या के सम्बन्ध में पिछले साल आकर कुछ कमी हुई है लेकिन वास्तविक बात यह नहीं है सन् १९५८ के मुकाबिले में १९६० म ज्यादा हत्यायें हुई हैं। १९५८ में हत्यायें १६३७ हुई हैं लेकिन १९६० में उससे अधिक हो

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

गईं। इस साल उनकी संख्या बढ़ी है। १९६० में जरूर १६५६ हुईं लेकिन ५९ में कम नहीं हैं। तो यह जो बात है कि सुधार के प्रयत्न विफल हुये हैं, यह इस बात से स्पष्ट है पुलिस में सुधार न होने का एक कारण यह भी है कि पुलिस के और जनता के अधिकारों में बहुत अधिक असन्तुलन है। कोई सन्तुलन नहीं है। पुलिस के पास तो बेहद अधिकार हैं ऐसे कि जिन से जनता को हैरान और परेशान किया जा सकता है, उनकी जिन्दगी मुसीबत में डाली जा सकती है, खतरे में डाली जा सकती है, लेकिन जनता के पास अपनी रक्षा करने के लिये ऐसे कोई उपाय नहीं हैं। यह हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कहा यह जायगा कि न्यायालय मौजूद हैं। लेकिन वह इतने खर्चीले हैं कि अपने प्रदेश की ९० फीसदी जनता के लिये यह संभव नहीं है कि वह न्यायालय में जा कर न्याय हासिल कर सके। इसलिये वह रास्ता जनता में अधिकांश के लिये रुका हुआ है। इसके अलावा दो एक छोटे मोटे रास्ते हैं। जैसे पत्रों में अपनी शिकायतें छपाना और और विधान सभा में प्रश्न आदि करवाना, या दफा ५२ के नोटिस, देना। तो वह भी माननीय अधिष्ठाता जी, आप जानते हैं कि इतने सीमित और प्रतिबन्धित हैं कि उनसे कोई विशेष लाभ आम जनता को नहीं हो पाता। कुछ मामलों में हो जाता है लेकिन साधारण स्थिति में उस से कोई अन्तर विशेष नहीं पड़ता। तो यह असंतुलन दूर होना चाहिये और मैं यह बात अवश्य कहूंगा माननीय गृह मंत्री महोदय से कि वे पुलिस आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा अवश्य करें, उसे देख लें, लेकिन अगर उसमें इस असंतुलन को दूर करने का कोई कारगर उपाय नहीं है तो वे स्वयं सोचें कि कैसे इसे दूर किया जा सकता है। यह समता और समानता का युग है और इस में यह आशा तो की ही जानी चाहिये कि जनता और पुलिस के अधिकारियों में इतना अधिक अन्तर तो न रहे कि जनता असहाय रहे और पुलिस जो चाहे कर सके। इस असंतुलन को दूर करके संतुलन लाना जरूरी है।

यह मैं मानता हूं कि जनता के लिये जो उपलब्ध साधन हैं अपनी शिकायत को दूर कराने के लिये उनमें एक परिवाद योजना के रूप में दिया हुआ है, जिसका वर्णन सरकार ने अपने वार्षिक कार्य विवरण में किया है। यह मैं मानता हूं कि पिछले वर्षों के मुकाबिले में परिवाद योजना में कुछ सुधार भी हुआ है लेकिन जितना सुधार होना चाहिये उतना नहीं हुआ है। यह तो मानी हुई बात है कि परिवाद योजना में जो परिवाद किया जाता है, शिकायत की जाती है, उसकी जांच डी० एस० पी० कंप्लेन्ट्स करते हैं। तो एक प्रकार से यह जांच विभागीय जांच होती है और माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बात को गृह मंत्री जी भी मानेंगे कि विभागीय जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। यह मानव की साधारण निर्बलता है कि वह अपने साथियों का पक्षपात करता है और इस बात का खयाल कर के ही सारे संसार में न्यायालयों की न्याय व्यवस्था कायम की गयी है क्योंकि अपने मामले में और अपने साथियों के मामले में कोई भी निष्पक्ष राय नहीं दे सकता। किसी का निष्पक्ष राय देना असंभव है और इसीलिये न्यायालयों की सृष्टि की गयी है। वहां एक व्यक्ति रहेगा जिसका किसी से सम्बन्ध नहीं होगा और यह बात मानी गयी है कि अगर कोई न्यायाधीश यह महसूस करता है कि उसका सम्बन्ध वादी या प्रतिवादी से है तो वह स्वयं कह देता है कि मैं इस मामले का निर्णय नहीं करूंगा या फरीकों को भी इस बात का अधिकार है कि वे इस बात की अर्जी दें कि हमारा मुकदमा ट्रांसफर हो जाना चाहिये। लेकिन यहां इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, माननीय गृह मंत्री जी भी मानेंगे कि पुलिस और सेना, दोनों में—मैं मानता हूं कि यह आवश्यक है—स्पिरिट डि कोर्स रहती है। जो मारेल को बढ़ाने की बात कही गयी है, उसके लिये उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है और उनमें स्पिरिट डि कोर्स लायी जाती है। लेकिन जब यह स्प्रिरिट डि कोर्स है तो उस विभाग के कर्मचारी से उसी विभाग के किसी अन्य कर्मचारी के खिलाफ शिकायत की जांच कराना, यह मेरी समझ में ठीक नहीं होगा और इसे बहुत अधिक सही नहीं कहा जा सकता।

अब इस के बाद माननीय अधिष्ठाता जी, आप यह मानेंगे और माननीय गृह मंत्री महोदय भी मानेंगे कि पुलिस में अभी भी भ्रष्टाचार है। मैं यह मानता हूं कि पुलिस के मुकाबिले में और

कई विभाग हैं जो उसे इस मामले में पीछे छोड़ गये हैं। आज-कल तो कृषि, सहकारिता, नियोजन पुनर्वास आदि कई विभाग हैं जिनमें होने के लिये पुलिस वाले भी तरसते हैं कि हम क्यों पुलिस में रहें, उनमें होते तो ज्यादा अच्छा होता। इस मामले में उन्होंने पुलिस को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी पुलिस में भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है और आपकी १९६० की वार्षिक रिपोर्ट में अनुशासनिक कार्यवाही का जो विवरण दिया हुआ है उस से सिद्ध है कि आप भी इस बात को मानते हैं और उसे दूर करने का प्रयत्न भी करते हैं। लेकिन वह प्रयत्न पर्याप्त नहीं है, उसमें और प्रगति होनी चाहिये।

भ्रष्टाचार दो प्रकार का होता है। एक भ्रष्टाचार तो होता है इल्लीगल ग्रेटीफिकेशन। इल्लीगल ग्रेटीफिकेशन तो वह होता है जैसे कि कोई व्यक्ति कानून से बच कर अपनी खाल बचाने के लिये पुलिस को रिश्वत देता है, अपने स्वार्थ के लिये। मैं यह मानता हूं कि इसको दूर करने में काफी समय लगेगा और इसमें कठिनाईयां भी हैं। लेकिन इस भ्रष्टाचार का एक दूसरा स्वरूप भी है वह है एक्सटार्शन, यानी लोगों को मारपीट कर उनसे रुपया ऐठना। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि आज जो पुलिस और जनता में असंतुलन देखने में आता है उसमें एक्सटार्शन की बहुत गुंजाइश है और उसमें काफी हद तक कमी की जा सकती है। सदन में भी इस किस्म के प्रश्न आते हैं और सरकार को स्वीकार भी करना पड़ता है कि थानों में मारपीट होती है, महिलाओं के साथ बलात्कार होने के भी समाचार आते हैं, उनके शील भंग के भी समाचार यदा-कदा आते हैं। यह ऐसी बातें हैं कि यदि इनको दूर करने के लिये कोई कारगर उपाय किये जायं तो यह दूर हो सकते हैं। इनको दूर करने के लिये सरकार को जल्दी से जल्दी कोई उपाय करना चाहिये। इस प्रकार की बातें असह्य होती हैं। यह हमारे लिये भी शर्म की बातें होती हैं, माननीय मंत्री जी के लिये भी शर्म की बातें होती हैं और पूरे प्रदेश के लिये भी शर्म की बातें होती हैं। आज १४ वर्ष के स्वाधीन शासन के बावजूद भी हम इस भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर पाये हैं, यह एक विचारणीय बात है।

जैसा कि माननीय मंत्री जी स्वयं भी कह चुके हैं, मैं मानता हूं कि सुधार सम्बन्धी तमाम प्रश्न पुलिस आयोग के विचाराधीन हैं और उसकी रिपोर्ट के लिये हमें प्रतीक्षा करनी चाहिये। पहिले उसका प्रतिवेदन ३१ मार्च तक आने वाला था लेकिन अब शायद उसकी मीयाद ३१ मई तक बढ़ा दी गयी है। लेकिन मैं इतना कह दूं, माननीय मंत्री जी उसके लिये मुझे क्षमा करें, जो सच बात है उसको ही मैं कहना चाहता हूं, उस पुलिस आयोग से कोई विशेष आशा नहीं की जा सकती। इसके पहिले भी आयोग और कमेटियों के क्या परिणाम हुये हैं यह हमारे सामने हैं। अंग्रेजी राज्य के जमाने में भी हम देख चुके हैं और इसलिये कुछ विशेष आशा उससे नहीं की जा सकती। यह तो जरूर होगा कि कुछ पुलिस दल की संख्या में वृद्धि हो जायगी, कुछ साज-सज्जा में वृद्धि होगी, कुछ अधिकारियों की भी वृद्धि हो सकती है एक दो नये विभाग भी खुल सकते हैं, उनके वेतन भी बढ़ सकते हैं, ठीक है, यह बातें भी होनी चाहिये, इनकी जरूरत है, लेकिन इससे जनता की दृष्टि से, कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इसलिये हमें जनता की दृष्टि से यह देखना है कि कैसे सुधार किया जाय जिससे जनता का भी भला हो माननीय गृह मंत्री अंग्रेजी की इस कहावत को मानते होंगे कि "Radical disease requires radical remedies" यानी जो असाध्य बीमारी होती है, उसकी चिकित्सा भी उतनी ही उग्र होनी चाहिये, तभी वह रोग दूर हो सकता है। साधारण सुधारों से यह खराबियां दूर नहीं हो सकती हैं जो कि सैकड़ों वर्षों से चली आ रही हैं। यहां १९३७ से मंत्रिमंडल आया था। १९३७ से लेकर १९६१ तक, २४ वर्ष में नहीं दूर कर पाये और स्वतंत्र भारत में १४ वर्ष तक नहीं दूर कर पाये, तो इसके लिये कुछ विशेष उपाय करने होंगे, और मैं कुछ रचनात्मक सुझाव रखना चाहता हूं, पाये जैसा कि चाहा गया है।

पहला यह है कि पुलिस की भर्ती के नियमों में तब्दीली होनी चाहिये। ऐसा संशोधन होना चाहिये जिससे इस बात का पूरा-पूरा विश्वास हो जाय और समाधान हो जाय कि चरित्र-

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

वान व्यक्ति जो जनता और समाज की सेवा की भावना रखते हैं, वही पुलिस दल में भर्ती किये जायें। कम से कम इतना जरूर हो कि जिनकी क्रिमिनल टेंडेंसीज हैं उनकी भर्ती न हो। इस बारे में जांच हो कि उनका चरित्र कैसा है। यह सब को मालूम है कि हमारे यहां कुछ क्रिमिनल ट्राइब्स रहते हैं, उनको हटा करके सरकार ने अच्छा काम किया है, लेकिन जो व्यक्ति अपराधशील जातियों में कभी नहीं थे उनमें भी अपराधी वृत्ति के लोग हो सकते हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोगों में अपराधशीलता की प्रवृत्ति होती है। पुलिस विभाग में, जहां इतनी जिम्मेदारी होती है, ऐसे लोग भर्ती न किये जायं। इसलिये भरती के नियमों में परिवर्तन होना चाहिये।

दूसरे, प्रशासन में अगर पक्षपात से काम लिया जाता है तो उस प्रशासन का मोरेल, मनोबल, जिसकी कि गृहमंत्री ने चर्चा की कि इन स्कीमों से बढ़ा है, वह पक्षपात से गिरता है। व्यक्तिगत कारणों से भी होता है। कोई किसी का रिश्तेदार और कोई कृपा पात्र होता है। मैं अपने स्वभावानुसार नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से मालूम है कि अगर किसी अफसर का स्वार्थ इस बात में है कि अपने उच्च अधिकारी के हटा देने से उसको वह पद मिलने वाला है और संयोग से उसका रिश्तेदार पब्लिक सर्विस कमीशन का मेम्बर है तो वह इस प्रलोभन को नहीं छोड़ पाता कि उन मेम्बर के जरिये उनको हटवाने का प्रयत्न करे जिससे कि पद पहले से मिल जाय। इस बात के उदाहरण हैं और विषय आयेगा तो मैं बता भी दूंगा, निजी तौर पर भी बता सकता हूं कि यह भी हो जाता है कि अधिकारियों में भी गुट-बन्दी हो जाती है। उसमें पक्षपात किये जाते हैं और आरोप लगाते हैं और एक दूसरे का नुकसान करने और बदनाम करने की कोशिश की जाती है। ऐसी कोशिश यहां पर हो रही है और जाति-गत पक्षपात और सम्प्रदाय-गत पक्षपात भी होता है। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के कारण कुछ हद तक हमारी सरकार को सजग रहना पड़ता है और हम कुछ व्यक्तियों को संदेह की दृष्टि से देखने के लिये विवश हैं, लेकिन इतनी बात को छोड़ करके हमारा व्यवहार आदर्श होना चाहिये, यह नहीं कि बस यह कह दिया कि फिरकेवाराना जहनियत नहीं है, यह काफी नहीं है। हम यह विश्वास दिलादें कि हमारी धर्म निर्पेक्ष सत्ता है। यह दूसरों को भी विश्वास हो, ऐसा व्यवहार प्रशासन के सम्बन्ध में होना चाहिये।

एक सुझाव डाकू-ग्रस्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में रखना चाहता हूं और वह यह कि वहां इस तरह के क्षेत्र हैं जो कि मध्यप्रदेश और बोर्डर पर हैं जहां कठिनाइयां अधिक होती है और चम्बल आदि नदियों के खार हैं, वहां ग्राम रक्षा दल को सबल करें, जनता को हर हथियार दें, ऐसी शक्ति सामर्थ्य पैदा करें जिससे वह अपनी रक्षा कर सकें जब तक कि पुलिस वहां न पहुंचे। सशस्त्र पुलिस की कमी हो तो शहरों से हटा कर गांव में ही रख दें और शहरों में तो होम-गार्ड से भी काम चल सकता है।

कुछ बातों की ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहले भी मैं कह चुका और मांग कर चुका हूं। गृह मंत्री फिर विचार करें। एक तो पुलिस के लिये आचार संहिता, (कोड आफ कंडक्ट) रहे जिससे एक आदर्श उनके सामने रहे जिसपर चलने की उनमें प्रवृत्ति हो।

दूसरा यह, जैसा कि मैंने कहा कि पुलिस के विरुद्ध आरोपों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिये।

तीसरा यह कि गोलीकांडों के बारे में अगर सरकार अदालती जांच न करा सके, किसी कारण से तो जैसा कि मैंने सुझाव दिया था और सरकार ने किसी हद तक उसको माना भी कि उसकी जांच एक ऐसे अधिकारी से करायी जाय जो कमिश्नर के पद से कम का न हो और वह भी उस क्षेत्र का न हो, दूसरे का हो। मैं आशा करता हूं कि वर्तमान गृह मंत्री जी मेरे इस सुझाव पर पूरी तरह से अमल करेंगे।

जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, माननीय गृह मंत्री जी को मुझसे अधिक जानकारी है क्योंकि वे स्पेसिफिक केसेज को जानते हैं। उन्हें मंत्रि-परिषद् के स्तर पर जो भ्रष्टाचार है, उसकी भी जानकारी है क्योंकि उन्होंने मंत्रि-परिषद् के सदस्यों के बारे में भी कभी-कभी कांग्रेसी उच्च सत्ता से शिकायत की है और अपने विभाग के उच्चाधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की है ।

श्री चरणसिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन के तौर पर कुछ अर्ज करना चाहता हूं। मैंने जिन घटनाओं का जिक्र किया वह मंत्रि-मंडल से संबंधित नहीं थीं। मैंने जिक्र किया था, करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अब एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट में तो फर्क होता है। मैंने मंत्रि-परिषद् के किसी मेम्बर के बारे में अपनी जबान या लेखनी से कभी कुछ नहीं कहा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मैं माननीय मंत्री जी के संशोधन को स्वीकार करता हूं, लेकिन पत्रों में यही निकला था कि उन्होंने मंत्रि-परिषद् के सदस्यों पर भी संदेह किया था। फिर भी मैं आपकी बात को ही मान लेता हूं। फिर करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की ही होती है। यह तो मंत्री जी को मालूम ही होगा कि राजनीति के आचार्य कहते हैं कि अगर किसी मंत्री महोदय के विभाग का कोई कर्मचारी कोई करप्ट प्रेक्टिस करता है, और मंत्री महोदय की जानकारी में भी वह न हो, तो भी उनकी ही जिम्मेदारी समझी जाती है। इंगलैंड में तो यह प्रथा है कि अगर किसी मंत्री जी के विभाग में ऐसी चीज साबित हो जाय तो मंत्री स्वयं इस्तीफा दे देता है। लेकिन फिर भी मैं उनकी बात को मान लेता हूं ।

यह बात सत्य है और माननीय गृह मंत्री जी की यह कीर्ति रही है कि वे भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिये जनता को उनसे बड़ी-बड़ी आशायें हैं। मैं उनको यह बात अच्छी तरह बता देना चाहता हूं कि यह उनका परीक्षा का समय है। जनता उनसे यह आशा करती है कि पुलिस के दोषों को, चाहे वे कोई भी हों, दूर करने के लिये वे कोई कारगर कदम उठायेंगे और अपने प्रदेश की पुलिस को इंगलैंड की पुलिस की भांति बनाने में कामयाब होंगे ।

इसके साथ ही मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि पुलिस में सुधार होने में देर लगे, यह बात तो मानी जा सकती है लेकिन यह ताज्जुब की बात है कि १४ वर्ष हो गये आजादी प्राप्त हुए लेकिन पुलिस रेग्युलेशन्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह चीज न तो सरकार के लिये, न मेरे लिये और न आपके लिये ही कीर्तिकर और शोभनीय है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्रीजी पुलिस रेग्यूलेशन्स को बदलने की ओर कारगर कदम उठाने का प्रयास करेंगे ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने सदन के सामने जो पुलिस का अनुदान पेश किया है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और मैं बधाई देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में यह स्वीकार किया कि पुलिस में दोष हैं, भ्रष्टाचार और खराबी है। लेकिन यह दूर कैसे हो, इसके लिये उन्होंने सुझाव मांगे हैं और माननीय मंत्री जी का यह दावा भी है कि जो भी सजेशन्स आवेंगे उन पर वे विचार करेंगे और जो कुछ भी कदम उठा सकते हैं उठावेंगे ।

श्रीमन्, पुलिस विभाग के तीन हिस्से हैं। एक तो सी० आई० डी० है, दूसरा विभाग रेगुलर पुलिस का है तथा तीसरा विभाग पी० ए० सी० और प्रान्तीय रक्षक दल का है। बहुत दिनों से इस बात की मांग थी और गत वर्ष स्वयं मैंने भी कहा था कि सी० आई० डी० के हिस्से को बिलकुल अलग कर दिया जाय इस रेगुलर पुलिस विभाग से। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपको याद होगा कि गत वर्ष आपने भी पुलिस विभाग के अ दान

[श्री नेकराम शर्मा]

पर बोलते हुए कहा था कि माननीय मंत्री जी का सी० आई० डी० विभाग इतना होशियार हो कि हर चीज के बारे में माननीय मंत्री जी को पता हो कि उस गांव में या उस शहर में क्या हो रहा है, कहां किस तरह का भ्रष्टाचार है, किस तरह के वहां अत्याचार हो रहे हैं और किस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं। समाज की गतिविधियां क्या हैं।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने गृहमंत्री बनते ही जो सबसे बड़ी बात की, वह यह कि उन्होंने सी० आई० डी० के लिये एक आई० जी० की अलग से नियुक्ति की और इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। मैं उनसे आशा करता हूं कि वे अपने समय में ही इस विभाग को पूर्णतः अलग कर देंगे। इसमें कुछ दिक्कतें और परेशानियां हो सकती हैं लेकिन मुझे मालूम है कि माननीय मंत्री जी की दिली इच्छा है कि यह विभाग अलग हो जाय और जो भी कंट्रोल थोड़ा सा ओवर आल आई० जी० का है उसको भी वापस ले लेंगे।

जहां तक पी० ए० सी० का सवाल है, हमारे प्रदेश में यह एक बहुत बड़ा पुलिस संगठन है, जो यहीं नहीं काम कर रहा है सीमा पर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है इसलिये उनको वे सुविधायें मिलनी चाहिये जिससे वहां पर वे लोग आराम से रह सकें। अपराधों के बारे में माननीय मंत्री जी सजग हैं और वे चाहते हैं कि क्राइम्स रूकें। क्राइम्स बढ़ी हैं और कुछ छिपायी भी जाती हैं लेकिन यह सब कैसे दूर हों? यह भी कोशिश की गयी कि एफ० आई० आर० सही मिले, जितनी क्राइम्स होती हैं उनकी रिपोर्ट लिखी जाय लेकिन हुआ क्या? एक योजना निकली कि क्राइम होने पर उसकी फौरन रजिस्टरी कर दी जाय लेकिन वह नहीं चल पायी। माननीय मंत्री जी से मेरा सुझाव है कि गांव सभा में एक रजिस्टर हो और वहां गांव में जो भी क्राइम्स हों उसमें दर्ज हो जाने चाहिये। अगर उन क्राइम्स को पहले से गांव सभा के रजिस्टर में लिखा जाता रहेगा तो उससे पता चलेगा कि कितने क्राइम्स देहातों के, गांव सभा के रजिस्टर में दर्ज हुए और कितने पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए।

दूसरी बात यह है कि अगर कहीं डकैती हो, या कत्ल हो तो उसके दर्ज करने का जो सिस्टम है, जैसा कि पालीवाल जी ने कहा—पुलिस रेगुलेशन में चेंज होना चाहिये। आजकल एफ० आई० आर० नामजद रिपोर्ट होती है, यह सिस्टम गलत है, इसलिये इसको बदलना चाहिये। फारेन कंट्रीज में अगर कहीं कोई मर्डर हो जाता है तो पुलिस को टेलीफोन द्वारा सूचना दे दी जाती है। पुलिस आकर पता लगाती है, जांच करती है और एक, दो, तीन और चार चार महीने तक खोज करती है कि इसका मर्डर करने वाला कौन था और क्यों मर्डर हुआ? लेकिन हमारे यहां का इनवेस्टिगेशन का जो प्रेजेंट सिस्टम है वह डिफेक्टिव है। अगर कोई चीज ऐसी की जाती है और एफ० आई० आर लाज हो जाती है तथा नामजद रिपोर्ट हो जाती है तो पुलिस कप्तान यह मानते हैं और जानते हुए भी कि यह सब गलत है, कुछ कर नहीं पाते। तो इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी से बड़ी आशा है, जैसा कि पालीवाल जी ने कहा—सन् ४७ में जब कांग्रेस हुकूमत आयी, उस वक्त सरकारी कर्मचारियों की जो हालत थी वही हालत आज माननीय मंत्री जी के गृह मंत्री बन जाने के बाद है और आम जनता यह विश्वास करती है कि माननीय मंत्री जी पुलिस पर जरूर कंट्रोल कर पावेंगे। आपके द्वारा मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि यदि वे असफल हो गये तो वर्षों तक शायद ही पुलिस पर कोई कंट्रोल कर पावेगा। अगर आपको धन की जरूरत है तो आदरणीय सदन इसके लिये आपको धन देगा लेकिन आप ऐसा इतिहास कायम कीजिये कि आज पुलिस से जो लोग डरते हैं वह आगे पुलिस को मित्र मानें और वह नागरिकों की रक्षक हो, भक्षक न हो। पुलिस में जो छोटे से छोटा यूनिट है वह चौकीदार है और बड़े से बड़े यूनिट आई० जी० हैं। क्या सिस्टम हो, कई बार चौकीदार के पद को तोड़ने की मांग की गई और दो एक जिलों में उस के पद

को तोड़ा भी गया और उस के बाद वहां शिकायतें और बढ़ीं। इसलिये मेरी राय में उसका रहना निहायत जरूरी है और हो सके तो उसका वेतन भी बढ़ाया जाय ताकि हर एक गांव का थोड़ा बहुत हाल पुलिस को मिलता रहे।

दूसरे, माननीय मंत्री जी यह भी पता लगायें कि जितने भी आर्म्स ऐन्ड एम्यूनशन्स डकैतों से बरामद होते हैं वह लेटेस्ट जो बन कर निकलते हैं उन के पास कैसे पहुंच जाते हैं। इस का पता मंत्री जी को लगाना चाहिये और जिन के पास हथियार हैं उन की जांच होना चाहिये कि उन्होंने कितने कारतूस खरीदे, कितने इस्तमाल किये और कितने चोरी गये। जितने भी डकैत गिरफतार होते हैं या मारे जाते हैं उन के पास फौज के लेटेस्ट सन् के इश्यू हुये हथियार मिलते हैं, प्रश्न यह है कि आखिर उन तक वह पहुंचते कैसे हैं? माननीय मंत्री जीने कहा कि डिफेंस सोसाइटीज बनेंगी, वह जरूर बनाई जांय? गत वर्ष भी कोशिश की गई थी कि उन को हथियार मिलें लेकिन बहुत सी दिक्कतें आज हैं। एक आदमी लाइसेंस की कोशिश करता है तो थानेदार को १०० रुपया चाहिये, तहसीलदार की सिफारिश होती है उसको भी रुपया देने को चाहिये और आर्म्स क्लर्क को भी देने को पैसा चाहिये बरना लाइसेंस का प्रार्थना-पत्र ही रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा हो कि माननीय मंत्री जी कोशिश करें कि डिफेंस सोसाइटीज में जो गांव के कुछ भले आदमी होते हैं उन के पास एस० पी० या एस० डी० एम० या और अधिकारी जो तहकीकात को जाते हैं जाकर पूछें कि कितनी आबादी है और किस तरह के वहां के वे लोग हैं और तब वहीं पर लाइसेंस दे दिये जांय। वहां जा कर सही बात का पता चल सकता है और ठीक आदमियों को लाइसेंस मिल सकते हैं और फिर लोगों को कोई दिक्कत न हो। आज महीनों इन प्रार्थना पत्रों में लग जाते हैं और अक्सर वह रिश्वत न देने पर खारिज हो जाते हैं और लोग परेशान होते हैं। अतः लाइसेंस देने के तरीके को बदलिये। जितनी पुलिस के खिलाफ आप के पास शिकायतें आती हैं उनमें आप कोशिश करते हैं जांच करने की, लेकिन पुलिस के खिलाफ जो स्ट्रिक्चर्स पास होते हैं उन में से किसी एक के भी खिलाफ कभी कार्यवाही की गई? सदन में क्वेश्चन्स भी किये गये इस सम्बन्ध में और जवाब भी दिया गया लेकिन आजतक कोई कार्य-वाही नहीं की गई। हो सकता है कि पुलिस में बहुत से अच्छे अफसर भी हों लेकिन जो जनता के भक्षक हैं मंत्री जी को ऐसे कर्मचारियों को सजा देना जरूरी है, वह जरूर ऐसा उपाय निकालें जिस से ऐसे गलत लोग सजा पायें। अच्छे अफसर तो अच्छे हैं ही अगर थोड़े से ऐसे लोगों पर कंट्रोल तो जिस जो पुलिस विभाग को बदनाम किया जाता है जनता को उस पुलिस पर भरोसा हो जायगा।

यह ठीक है कि पुलिस की संख्या बढ़ी है लेकिन सिपाहियों के रैंक में संख्या नहीं बढ़ी है। एस० एस० पी०, एस० पी०, डी०-वाई० एस० पी० और अफसरों की संख्या बढ़ी है। मैं चाहता हूं कि बड़े पदों को कम किया जाय और इन सिपाहियों को अधिक भर्ती किया जाय। इस के अलावा हर पुलिस स्टेशन पर फोन और एक जीप की या घोड़े की व्यव-स्था की जाय ताकि अगर कहीं से कोई चोरी, बलवे या डकैती की सूचना मिले तो फौरन जीप के द्वारा फोर्स पहुंच सके और मुकाबला कर सके। यह भी आदेश जाने चाहिये कि पुलिस ब्लाकों की जीप का भी प्रयोग कर सकती है।

यह बड़ी खुशी की बात है कि जो लोग ड्यूटी पर काम करते हुये किसी तरह मारे जांयगे या डाकुओं आदि के मुकाबले में मारे जांयगे उनके बच्चों को वही वेतन दिया जायगा जो उन को जीवित रहते मिलता। इस के अलावा मेरी यह भी प्रार्थना है कि जनता के भी जो आदमी इस तरह से डाकुओं आदि का मुकाबला करने में मारे जायं उन के बच्चों के लिये भी इसी प्रकार व्यवस्था की जाय। उन को भी कम से कम इतनी संख्या में धन उपलब्ध कराया जाय जिस से उनके आश्रित जीवित रह सकें यदि उसके बच्चे योग्य हों तो उन को पुलिस विभाग में भर्ती करने के लिये भी विचार किया जाय।

[श्री नेकराम शर्मा]

श्रीमन्, बहुत-सी पुलिस की खराबियां दूर हो जायेंगी यदि माननीय मंत्री जी जिस तरह से कि स्वर्गीय श्री रफीग्रहमद किदवई करते थे कि मंडियों में दौरा करते थे, सरप्राइज विजिट करते थे, उसी तरह से कार में दौरे पर जाते हुये किसी थाने में अपनी कार मोड़ दें। वह वहां देखेंगे तो उन्हें रोजनामचे खाली मिलेंगे। रिपोर्ट आती है तो एक कागज पर लिख लेते हैं, रोजनामचे में दर्ज नहीं करते। अगर माननीय मंत्री जी इस तरह से सरप्राइज विजिट करें तो उससे बड़ा सुधार होगा। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे।

हैवी एडमिनिस्ट्रेशन कम करने के लिये इंस्पेक्टर को तो आप तोड़ेंगे ही जैसी कि मेरी सूचना है, लेकिन मैं समझता हूं कि डी० आई० जी० के पदों को भी खत्म कर देना चाहिये। यह व्यर्थ की पोस्ट है। आज पुलिस के एस० पी० और डी० एम० में संघर्ष है। डी० एम० जिम्मेदार है ला ऐन्ड आर्डर का। जवाब तलब होता है डी० एम० से और एस० पी० अपने को बिलकुल स्वतंत्र फील करते हैं। उसका कैरेक्टर रोल वगैरह डी० आई० जी० के यहां से भरा जाता है। तो जैसा कि पालीवाल जी ने कहा, अगर कमिश्नर के पद को तोड़ने वाले नहीं हैं तो कमिश्नर उनका कैरेक्टर रोल भरे। कमिश्नर के मातहत एस० पी० और डी० एम० दोनों ही हैं। जिले में एस० पी० डी० एम० के अधीन रहे। डी० एम० के पास काम बहुत है, यह एक समस्या है। लेकिन एडीशनल डी० एम० भी तो दे रखे हैं। तो जिसकी जिम्मेदारी है ला ऐन्ड आर्डर की उसको एस० पी० पर अधिकार देना चाहिए और उसको न दें तो कमिश्नर के सिपुर्द कर दें। श्रीमन्, अतरौली में पुलिस ने झगड़ा कराया। जांच की गई। पुलिस की रिपोर्ट एकतरफा आ गई। लेकिन इसी सदन की मांग पर जब कमिश्नर को उसके लिये नियुक्त किया गया तो उसने लिखा कि थानेदारों का कसूर था।

श्रीमन्, मैंने कहा था कि साम्प्रदायिकता बढ़ती जा रही है, उसके लिये कोई कानून बनाया जाय तो मंत्री जी ने कुछ दिन पूर्व उत्तर दिया कि यह दिल और दिमाग की बात है, कानून से असर नहीं हो सकता। लेकिन श्री ए० पी० जैन की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी है और उसमें इस बात पर विचार हुआ है कि ऐसी संस्थाओं पर पाबन्दी लगाई जाय जो साम्प्रदायिकता फैलाती हैं, तो चाहे कोई भी पार्टी हो उसको आप बैन करें। हर जगह आपके जिले में जो सी० आई० डी० के दफ्तर हैं वहां उन लोगों की एक लिस्ट होनी चाहिये जो साम्प्रदायिकता फैलाते हैं। अगर क्राइम्स को रोकना है तो सदन की सभी पार्टियों के सदस्यों को भी उसमें सहयोग देना पड़ेगा। आज जितने क्राइम्स बढ़े हैं उनमें राजनैतिक दलों के वह लोग भी हैं जो कि पोलिटिकल पार्टीज में रहकर जुर्म करते हैं। चाहे वह कोई भी पार्टी हो उसके मेम्बर बन कर काम करते हैं। ऐसे जो हिस्ट्री शीटर हैं, जो गलत आदमी हैं, वह किसी पार्टी में भी आयें तो यह बैन होना चाहिये कि ऐसे लोगों को मेम्बर न बनाया जाय।

आयोग की सिफारिशों की बात है। पालीवाल जी ने कहा कि वह ज्यादा कुछ नहीं कर पायेंगे लेकिन मेरा खयाल है कि जितने मसले हैं और जितनी गवाहियां आदि हुई हैं उनसे बहुत लाभ होगा। माननीय मंत्री जी उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और जैसे ही रिपोर्ट आ जायगी वह कदम उठायेंगे। इसलिये मैं अन्त में उनसे दो-तीन बातें ही कहूंगा---एक बात तो यह कि माननीय मंत्री जी के पास शिकायत आये या कोई शिकायत करता है और वह शिकायत गलत साबित हो तो फिर उसका यकीन न किया जाय लेकिन वह सही बात है तो तुरन्त ऐक्शन लेना चाहिये और उसकी जांच उसी पुलिस के कर्मचारी से न कराकर कम्लेन्ट आफिसर से या अन्य एजेंसी से या सी० आई० डी० से या किसी अन्य संस्था से कराना चाहिये जो सारी शिकायतों की जांच करे। कम्पलेंट आफिसर पुलिस विभाग के न हों, जो पुलिस विभाग के हैं उन्हें समाप्त कर देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी और रुपया इस विभाग के लिये मांगेंगे तो सदन उसके लिये स्वीकृति देगा किन्तु हिम्मत के साथ उन्हें इस विभाग को कंट्रोल में लाना चाहिये।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय पालीवाल जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह बात बिलकुल सत्य है और इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि आजादी के बाद हमने इस बात को सोचा था कि पुलिस अब अंग्रेजी काल की तरह आम जनता के लिये भय का प्रतीक न हो कर सहायता का प्रतीक बनेगी। उस लक्ष्य को हम आज तक पूरा नहीं कर सके। आज भी जनता पुलिस को भय की निगाह से देखती है बनिस्बत इसके कि जहां जनता मुसीबत में हो और जहां रक्षा की जरूरत हो वहां पुलिस सहायक के रूप में पहुंचे।

श्रीमन्, आज आजादी के बाद पुलिस के ऊपर एक दूसरा बड़ा कर्त्तव्य आ पड़ा है क्योंकि शांति और व्यवस्था देखना ही अब उसका काम नहीं है बल्कि समाज के अन्दर गरीब वर्ग जो हमेशा से सबल वर्ग द्वारा दबाया जाता रहा है उसमें पुलिस न्याय के लिये उस व्यक्ति की सहायता करे, जिसके साथ ज्यादती और अत्याचार हो रहा है। लेकिन आज का अनुभव यह है कि देहातों के अन्दर जहां भी इस प्रकार के वर्ग संघर्ष हो रहे हैं, जहां अमीर और गरीब जनता के बीच में पीड़ित और दबने वाले तबके में झगड़ा है, वहां पुलिस सबल का साथ देती है, जिसके पास सारे साधन उपलब्ध होते हैं, जिसके पास ताकत है और समाज में जिसका प्रभाव है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिये। जब हमें वर्गविहीन समाज की स्थापना करनी है, जब हम इस बात की गारन्टी देते हैं कि जो गरीब है उसके साथ न्याय हो तो हमें इस बात को देखना चाहिये कि पुलिस अपने इस बड़े कर्त्तव्य का पालन ठीक से करे। जो सी-आर० पी० सी० के अन्दर दफायें हैं---१०७, ११७, १०९ और ११० तथा १५१, सभी जानते हैं कि इन दफाओं का इस्तेमाल खुल कर गरीब जनता के खिलाफ होता है। सही मानी में जो मुजरिम नहीं होता उसी को पुलिस इन दफाओं के अन्दर चालान करके अपराधी बनाती है और उनको आगे चल कर हैबिचुअल अफेंडर बनने के लिये मजबूर करती है। मैं चाहूंगा कि हमारे गृह मंत्री जी जो इस पद को संभाले हुये हैं और जनता के अन्दर उनके प्रति जो यह भावना फैली हुई है कि हमारे गृह मंत्री मजबूती के साथ कदम उठाते हैं और पुलिस के अन्दर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है व्यापक तौर पर और गरीब जनता के साथ जो ज्यादतियां की जाती हैं उन तमाम चीजों को वे खत्म करेंगे, उसी के अनुरूप वे कड़ाई के साथ कार्य करेंगे। इसी के साथ-साथ मैं यह भी चाहूंगा कि हमारे गृह मंत्री इस विभाग में फैले हुई लालफीताशाही को दूर करेंगे जिसकी वजह से पुलिस अपने उन कर्त्तव्यों का पालन नहीं कर पाती है और जहां उसे फौरन एक्शन लेना चाहिये वह नहीं ले पाती है।

मैं इस सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा कि १५ दिन पहले कानपुर के एक गरीब मजदूर की नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ और वह लड़की लखनऊ आई। मैंने माननीय गृह मंत्री को उस सम्बन्ध में ध्यान दिलाया। उसके बाद दो दिन की छुट्टी पड़ने वाली थी। गृह मंत्री इस पसोपेश में पड़ गये कि विभाग के जो कायदे कानून हैं उनका पालन किया जाय तो वह लड़की मिल नहीं सकती। विभाग के जितने कायदे कानून बने हैं वे सब उनके रास्ते में अड़ंगा बने लेकिन अर्जेंसी को समझते हुये उन्होंने कायदे-कानून की विशेष परवाह न करते हुये प्राम्प्ट एक्शन लेने के लिये अधिकारियों को आदेश दिया। मुझे पता नहीं कि गृह मंत्री को यह सूचना है या नहीं कि उनके वह आदेश देने के ९ घंटे के अन्दर वह लड़की बस्ती जिले से बरामद हुई। तो अगर इस तरह से प्राम्प्ट ऐक्शन लिया जाय तो निश्चित रूप से इस विभाग के अन्दर सुधार हो सकता है। मैं चाहता हूं कि हमारे गृह मंत्री, जिन्होंने इस सम्बन्ध में कदम उठाने के लिये कहा है, जिसके लिये वे प्रयास कर रहे हैं उन्हें केवल यही नहीं करना चाहिये कि चूंकि वे गृह मंत्री हैं इसलिये पुलिस विभाग कुछ सचेत रहे और उनके बाद कोई दूसरे गृह मंत्री आयें तो फिर उसकी हालत वही होने लग जाय। इसलिये मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी ऐसे कदम उठायें जिससे पुलिस मे स्थायी रूप से सुधार हो, और पुलिस और जनता के बीच में गहरा सम्बन्ध हो, सही माने में पुलिस जनता को अपने मित्र की हैसियत से देखे और इसके लिये यह जरूरी

[श्री चन्द्रजीत यादव]

है कि आम जनता और पुलिस के सम्बन्ध गहरे हों, जनता की आयी हुई शिकायतों को पुलिस केवल नजरअन्दाज न करे बल्कि गम्भीरता के साथ उनकी छानबीन करे ।

श्रीमन्, एक बात की ओर मैं और माननीय गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा कि आज हमारे देश और प्रदेश में साम्प्रदायिकता जिस प्रकार से बढ़ रही है वह हमारे देश के लिये खतरा है । साम्प्रदायिकता को कैसे रोका जाय इसमें पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है । मुझे इस बात को अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले वर्षों का अनुभव यह बतलाता है कि जहां-जहां साम्प्रदायिक दंगे हुये वहां दो सम्प्रदायों के बीच में जो झगड़ा था वह कम था । लेकिन पुलिस ने जिस गलत ढंग से उसमें हस्तक्षेप किया उसने उस साम्प्रदायिता को ज्यादा बढ़ाया और इसका कारण यह है कि पुलिस के अन्दर भी ऐसे तत्व हैं जिनमें साम्प्रदायिकता की भावना है और ऐसे मौकों का इस्तेमाल वे करते हैं । मैं चाहूंगा कि मननीय गृह मंत्री पुलिस के ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ जो ऐसे मौकों को एक्सप्लायट करते हैं सख्त कदम उठायें । मैं यह भी चाहूंगा कि इस समय प्रदेश के अन्दर जहां भी साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति है वहां ऐसे लोगों की लिस्ट हमारे गृह विभाग को तैयार करनी चाहिये और जो हीनस क्राइम करने वाले लोग होते हैं उनकी श्रेणी में उनको रखना चाहिये, क्योंकि यह मामूली बात नहीं है, यह एक दो व्यक्तियों की बात नहीं है बल्कि पूरे समाज की जिन्दगी और मौत का सवाल है । इसलिये हमारे गृह विभाग को इस ओर विशेष ध्यान रखना चाहिये ।

एक बात की तरफ और मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जमींदारी टूटने के बाद हमारे देहातों के अन्दर पुलिस के दलालों का एक क्लास पैदा हो गया है जिनका काम है थाने के थानेदार से सम्बन्ध रखना, गलत लोगों को फंसाना, पुलिस को घूस दिलाना और उसमें से अपना हिस्सा लेना । ये लोग आज देहात के गरीब लोगों की छाती पर एक चक्की की तरह से हैं । यह एक ऐसा क्लास है जो समाज विरोधी तत्व है । मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री अपने विभाग को इस बात का आदेश दें कि वहां के जन-प्रतिनिधियों के सहयोग से और अपने खुफिया विभाग के जरिये से ऐसे लोगों की एक लिस्ट तैयार करें और उनके खिलाफ भी कर्यि वाही करें ।

एक बात और मैं कहना चाहूंगा । पिछले दो, तीन वर्षों के अन्दर एक बड़ी खतरनाक मनोवृत्ति पुलिस विभाग के अन्दर देखने को मिली है । अभी थोड़े दिन हुये जब हमारे पूर्वी जिलों में एक पत्रकार सम्मेलन हुआ था । उसमें पत्रकारों ने इस बात पर क्षोभ प्रकट किया था कि जहां पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया जाता है पुलिस ने गुन्डों की मदद से कहीं किसी को मरवाया, कहीं किसी प्रदर्शन को तोड़ने की साजिश की है, यह खतरनाक स्थिति है । किसी भी जनवादी व्यवस्था के अन्दर अगर किसी राजनीतिक पार्टी को या किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं मिलता है कि वह जुल्म और ज्यादतो के खिलाफ आवाज उठा सके और जब वह आवाज उठाये तो उसका जीवन खतरे से खाली न हो, अगर यह भय उसके अन्दर पैदा हो जायगा तो इससे जनवाद की सुरक्षा नहीं हो सकती । श्रीमन्, पिछले दिनों में आजमगढ़ जिले में मुबारकपुर, मुहम्मदाबाद और रौनापार की पुलिस ने जिस प्रकार अपने इलाकों में जुल्म बढ़ा रखा था और जनता को परेशान कर रखा था उसके खिलाफ स्थानीय कम्युनिस्ट पार्टी ने एक प्रदर्शन संगठित किया था । मुझे यह देखकर चकित रह जाना पड़ा कि वहां थ ने के अन्दर हथियारन्बन्द गुन्डे छांट छांट कर पुलिस ने बुला रखे थे और उन लोगों को पुलिस ने खुली छूट दे रखी थी । उन लोगों ने वहां की जनता को परेशान करना शुरू किया । पुलिस ने २ साल पहले हुये एक साम्प्रदायिक दंगे का बदला उस समय उठाना चाहा जब पुलिस के जुल्म और ज्यादती के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था । उसने वहां हिन्दू-मुसलमान फीलिंग पैदा की (शेम शेम) । हिन्दू पूजा के नाम पर लोगों को गुमराह किया गया और यह कोशिश की गयी कि ऐसे मौके पर हिन्दू-मुसलिम दंगे कराये जावें । मैं, माननीय झारखंडे राय जी और माननीय जयबहादुर सिंह जो जो वहां थे, ने जब यह देखा तब हमने यही उचित समझा कि हम जनता को पुलिस के हथकंडे

का शिकार नहीं होने देंगे। हमने प्रदर्शन को रोक दिया क्योंकि हम जानते थे कि पुलिस चाहती है कि हिन्दू मुसलिम दंगे कराये और इस प्रकार से हमें बदनाम करने की कोशिश करे। श्रीमन्, यह खतरनाक स्थिति है और ऐसी बातों की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। मुझे अफसोस है कि हमने तार द्वारा मुख्य मंत्री जी को यहां और वहां के जिलाधीश को भी लिखकर दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी। श्रीमन्, पूर्वी जिलों में चाहे चकबंदी के खिलाफ प्रदर्शन हो, या ब्लाक अधिकारी की कार्यवाहियों के खिलाफ लेकिन इन सब में वहां के पुलिस और दूसरे अधिकारी मिल जाते हैं और ऐसा रवैया बन गया है, ऐसी परम्परा बन गयी है कि गुन्डे बुला लिये जाते हैं और ऐसे प्रदर्शनों को उनके द्वारा रोकने की कोशिश की जाती है। मैं चाहता हूं कि ऐसी प्रवृत्तियां जो पैदा हो रही हैं वह विद आइरन हैन्ड्स (with Iron hands) रोकी जायं।

कई सदस्य—वह हैं ही नहीं, कौन रोकेगा ? वह तो चले गये।

श्री चन्द्रजीत यादव—श्रीमन्, शायद हमारे माननीय गृह मंत्री जी सुझाव सुनने के लिये विकल रहते हैं लेकिन वह तथ्य और असलियत को जानना नहीं चाहते हैं। इसलिये चले गये हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस का जो अपराधों की जांच-पड़ताल करने का तरीका है इसके अन्दर आमूल परिवर्तन होना चाहिये। आज यह एक बिलकुल मामूली सी चीज हो गई है कि जब कहीं अपराध होता है तो पुलिस पहला काम यह करती है कि जो रिपोर्ट लिखाने जाता है उससे कहती है कि पहले तुम लोगों को नामजद करो और अगर रिपोर्ट लिखाने वाला नामजद नहीं करता है तो पुलिस फिर चाहे कितना बड़ा जुर्म क्यों न हो उसको मिनिमाइज करके नोट करती है और फिर उसकी केयर नहीं की जाती है। डकैती तक के जुर्म को मिनिमाइज कर दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि सरकार को इस बात को घोषित करना चाहिये कि जो लोग क्राइम को मिनिमाइज करके दर्ज करते हैं वे अपराध करते हैं, इससे अपराधियों का हौसला बढ़ता है, इसको रोकना चाहिये।

इसके अतिरिक्त, जो आर्म्स लाइसेंस मिलने के रूल्स बने हुये हैं उनमें है कि जिसके पास प्रापर्टी हो उसी को आर्म्स मिलते हैं या जिसको जिलाधीश ठीक समझें। मैं चाहता हूं कि आर्म्स रूल्स के अन्दर भी परिवर्तन होना चाहिये और ऐसे लोग जो सही माने में डिफेन्स सोसाइटीज में काम करने को तैयार हों उनको आर्म्स मिलने चाहिये ताकि वे समाज विरोधी तत्वों का मुकाबला कर सकें।

साथ ही, जहां सीमायें हैं, सूबे से सूबे मिले हैं या जिले से जिले मिले हैं—जैसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश, या मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, या बिहार और उत्तर प्रदेश की जहां सीमायें मिलती हैं वहां पर रोज घटनायें बढ़ती चली जा रही हैं। गम्भीर डकैतियां पड़ रही हैं और कत्ल हो रहे हैं। यही स्थिति है वहां भी जहां दो जिलों की सीमायें मिलती हैं। वहां दोनों जिलों के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। इसलिये सरकार को चाहिये जहां बार्डर वाले जिले हैं और थाने के बार्डर हैं वहां विशेष सतर्कता रखनी चाहिये। एक बात माननीय मंत्री जी की इच्छा के अनुकूल होगी जो बचत के और औस्टेरिटी के बहुत बड़े समर्थक हैं। मैं इस बात को समझने में असमर्थ रहा कि जिलों में पुलिस कप्तान को हार्स एलाउन्स दिया जाता है। शायद ही कभी किसी ने जिले में कप्तान को घोड़े पर बैठे देखा हो। यह श्रीमन्, फिजूल की चीज है। मैं समझता हूं कि सरकार को इसे खत्म करना चाहिये।

इसी प्रकार से और भी सुझाव हैं। पुलिस कमीशन के सामने हमने अपने सुझाव रखे हैं। लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि इस कमीशन का भी वैसा ही हाल न हो जो कि अक्सर कमीशनों का होता है। उनकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं लेकिन सरकार उन पर कोई कार्यवाही नहीं करती है

[श्री चन्द्रजोत यादव]

और वह वर्षों पड़ी रह जाती हैं। यह बात पुलिस कमीशन के साथ नहीं होनी चाहिये। मेरा निवेदन है कि पुलिस कमीशन के सुझावों पर सरकार तत्परता से कदम उठाये।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने आदरणीय गृह मंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आज यह पहला अवसर है जो विरोधी पक्ष के और इधर के लोग समान आशायें मंत्री जी से रखते हैं कि वह पुलिस में अवश्य सुधार लायेंगे और हमारा विश्वास है कि मंत्री जी ने जैसा वक्तव्य दिया है और इस विभाग में अपना ध्यान दिया है, उससे जरूर सुधार होगा।

(इस समय १ बजकर ३२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री चन्द्रजीत यादव, पीठासीन हुये।)

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी उन पर ध्यान देंगे। पहली बात यह है कि पुलिस और जुडीशियरी का ५० वर्षों से युद्ध हो रहा है और आपस में दोनों ने कुछ मान्यतायें प्राप्त कर ली हैं। जुडीशियरी ने अपनी मान्यता बना रखी है कि फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट में यदि अभियुक्त का नाम न आया और बाद में आया तो उसकी गणना बहुत छोटे अर्थों में होती है। जमानत के सम्बन्ध में यह है कि पहले ही जमानत स्वीकार कर ली जाती है और बाद में यदि सब इंस्पेक्टर इंवेस्टीगेशन कर लेता है तो जुडीशियरी द्वारा हेस्टी ईवेस्टीगेशन कह कर मुकदमा छोड़ दिया जाता है। यदि पहली रिपोर्ट में अभियुक्त का नाम न आया तो यह कहा जाता है कि बाद में अभियुक्त का नाम आया और इस कारण से मुकदमा छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार की अनेक बातें हैं।

मैं आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पुलिस के रिफार्म्स के साथ-साथ जुडीशियरी का भी रिफार्म होना अत्यन्त आवश्यक है। जुडीशियरी के अन्तर्गत एवीडेंस ऐक्ट में भी सुधार होने की आवश्यकता है। जब दोनों समान रूप से चलेंगे तभी पुलिस में सुधार हो सकता है। जैसा पुलिस का ढांचा है उसको देखते हुये यह कभी सम्भव नहीं है कि जुडीशियरी का रिफार्म हुये बिना पुलिस का रिफार्म हो जाय। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि १०० मुकदमें पुलिस ने चालान किये और ७०—७५ छूट गये और जो बाकी रहते हैं तो पुलिस के उच्च अधिकारी वरबल तरीके से अपने विभाग के कर्मचारियों को इजाजत देते हैं कि छोड़े हुये आदमियों को प्रिवेंटिव सेक्शन्स में बांधो। पुलिस के छोटे कर्मचारी मजबूर होकर ऐसे लोगों को १०९ और ११० में बांधते हैं। लेकिन बात यह है कि १०९/११० में यदि पुलिस चालान करती है और साक्षी ठीक से नहीं मिलते हैं तो जुडीशियरी उनको छोड़ देती है। अगर वह १०९/११० में नहीं आ पाते तो प्रिवेंटिव सेक्शन्स में बांधते हैं।

आज श्रीमन्, यह परिपाटी हो गई है कि पुलिस के उच्च अधिकारी अपने निरीक्षण में कहते हैं कि लोगों को प्रिवेंटिव सेक्शंस में बांधो और जो सब इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव सेक्शन में एक्शन नहीं लेता है उसको नालायक समझा जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि सब-इंसपेक्टर विवश होकर अपनी उन्नति के लिये, थाने के अन्तर्गत लावारिसों की एक सूची बनाता है और वह १०९ और ११० में लोगों के खिलाफ मुकदमे चलाता है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ऊपर से यह चीज चलती है। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को ईमानदार बनी रहने दें। लेकिन इसके लिये कानून-कायदे में काफी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। सब इंस्पेक्टर को जो वैज्ञानिक शिक्षा दी जाती है उसके लिये उसको साधन नहीं दिये जाते।

सब इंस्पेक्टर के जीवन में आकर्षण इस कदर कम है कि मुर्गी का इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर उससे ज्यादा तनख्वाह पाता है। इसका स्केल १२० रुपये से शुरू होता है। इसलिये उसके जीवन में कोई आकर्षण नहीं रहा। सब इंस्पेक्टर तरक्की करके इंस्पेक्टर के बाद अगर डी०एस०पी० हो भी गया तो वह वहां जा कर मुस्तकिल नहीं होता है। उसके सामने का बच्चा जो यूनिवर्सिटी में फाउन्टेनपेन इधर उधर किया करता था वह अगर परीक्षा में पास हो

गया तो उसका उच्चाधिकारी दूसरे ही क्षण बन जाता है। सब इंस्पेक्टर तो डाकुओं का मुकाबिला करता है और वह छोटा बेंत ले कर इधर उधर घूमा करता है।

आज रिपोर्ट ठीक लिखी जाने लगी है। आज का सब इंस्पेक्टर इस बात की कोई परवाह नहीं करता है कि चाहे मुकदमा छूट जाय या सजायाब हो जाय। अगर ठीक ठीक रिपोर्ट लिखायी गयी, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सैकड़ों मुकदमे जुडीशियरी, जैसी उसकी मान्यताएं हैं, उनके अनुसार छोड़ दिया करेगी। आर्ट आफ इन्वेस्टीगेशन बड़ा मुश्किल काम होता है। आधी रात को डकती होती है। कब डाका पड़ा, क्या हुआ, दूसरे दिन मालूम होता है। जैसी रिपोर्ट लिखी जाती है, अगर कानून कायदे में तब्दोली नहीं हुई और जुडीशियरी की मान्यताओं में परिवर्तन न हुआ तो जैसे सब इंस्पेक्टर रिपोर्ट लिख लेता है, आज उनके छूटने की काफी गुंजायश होती है। कोई पढ़ा लिखा आदमी गवाही में जाना नहीं चाहता। नतीजा यह होता है कि कुछ दलालों को रखना पड़ता है। मामला सच्चा, गवाह झूठे। फिर वह करप्शन पैदा करते हैं, जिनसे वह नाजायज काम लिया करता है। वह नाजायज फायदा जरूर उठायेगा।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह जो सर्किल इंस्पेक्टर की पोस्ट, है यह निरर्थक है। जैसे लेखपाल के ऊपर कानूनगो होता है, उससे ज्यादा सर्किल इंस्पेक्टर कोई काम नहीं करता है। कोई-कोई खराब सर्किल इंस्पेक्टर तो थानों से रकम भी बांधे रहते हैं। जब कोई साधारण जन एस० पी० से सब इंस्पेक्टर की शिकायत करता है तो वह उस पर मोहर लगा देता है। सर्किल इंस्पेक्टर की पोस्ट बिलकुल निरर्थक है। चाहे सर्किल इंस्पेक्टर रहे या न रहे कोई उसकी वास्तविकता नहीं है।

रह गया रिपोर्ट लिखने के सम्बन्ध में, उस सम्बन्ध में मेरा यह सुनिश्चित मत है कि रिपोर्ट लिखने की अथारिटी और हो और इन्वेस्टीगेशन की अथारिटी और हो, यह जो सुझाव है, इस सम्बन्ध में मेरा सुनिश्चित मत है कि जब तक जुडीशियरी का रिफार्म नहीं होगा, सारे केसेज उसके अन्दर फेल हो जाया करेंगे। जब तक जुडीशियरी का रिफार्म नहीं होगा, जब तक इंडियन एवीडेंस ऐक्ट में संशोधन नहीं होगा तबतक यह सम्भव नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में छोटी-छोटी मिसालें दे दूं। इंडियन एवीडेंस ऐक्ट में जो कुत्तों से पकड़वाया जाता है, उस की कोई मान्यता नहीं है। उसमें बड़ा लूपहोल होता है। इसको भी कहीं लाना पड़ेगा। कुत्तों की ट्रेनिंग जो पुलिस लाइन पर होती है, इसके बहुत कम अफसर हैं, केवल एक डी० आई० जी० या कोई हैं और दो तीन शायद और कोई हैं। मैं माननीय मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहता था कि इसके अन्दर एक जाल बिछा देने की आवश्यकता थी। यदि कुत्ते इसका पता लगा सकते हैं तो उनको इस बात की ट्रेनिंग काफी दिलवायी जाय और उसके जरिये से पता चलाने का काम लिया जाय।

मेरा एक यह सुझाव है कि एस० पी० को चाहिये कि प्रत्येक थाने की वह एक क्राइम लिस्ट तैयार करायें और इसके बाद प्रत्येक जिले में अपराध निरोध की एक एकवर्षीय योजना बननी चाहिये। एस० पी० को अपने जिले के अन्तर्गत प्रत्येक थाने की क्राइम लिस्ट को देख कर के इस अपराध निरोध योजना के अनुसार कार्य करना चाहिये और उसके बाद प्रत्येक बर्ष उसका निरीक्षण करना चाहिये। तब जाकर अपराध निरोध का कोई काम हो सकता है।

दूसरी बात यह है कि सिटी के थानों को छोड़कर ग्राम के थानों में ८ से लेकर १२ तक ज्यादा से ज्यादा कांस्टेबिल रखे जाते हैं। उनमें तीन तो थाने ही पर पहरा देने के लिये रहते हैं, उनकी ड्यूटी लगी रहती है। केवल वही ९ इधर उधर जा सकते हैं। यह इतनी कम संख्या है, जनसंख्या की वृद्धि को देखते हुए कि जिसके द्वारा अपराध निरोध का कार्य नहीं हो सकता है। वह तो सरकार का एक रोब कायम है वरना अपराध निरोध का बड़ा कठिन कार्य है। प्राचीन हिन्दस्तान में नैतिक अपराध करने वाले को, पापी कहा जाता था

[श्री रामलखन मिश्र]

और राज्यविधान को तोड़ने वालों को अपराधी कहा जाता था। एक के लिये प्रायश्चित का विधान था और दूसरे के लिये राजदंड का। उस समय इसके लिये कई तरह के विभाग थे, सी० आई० डी० आदि बहुत से रहते थे और कुछ योगबल इत्यादि से तथा और तरीकों से यह काम होता था। परन्तु इस समय तो हमें उसका समुचित प्रबन्ध करना है। अंग्रेजों के समय में डाइरेक्ट एविडेंस के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया कि प्रत्यक्ष शहादत हो और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर जोर बहुत कम है। उस सम्बन्ध में भी हमें सुधार करना होगा। तभी हम समझते हैं कि हम उसके अन्तर्गत कोई रूपरेखा नयी ला सकते हैं।

कान्सटेबिल्स का रिक्रूटमेंट करते समय हमें बहुत ध्यान देना चाहिये। कुछ तो कांस्टेबिल्स में हम उन लोगों को रिक्रूट कर लेते हैं जिनके रक्त में यह चीज होती है कि वह वंशानुक्रम से तस्कर होते हैं और वह प्रवृत्ति उनमें आगे चलकर और भी विकसित होती है। इसलिये वह वहां जाकर भी उपद्रव किया करते हैं। तो इस विषय में भी सुधार करना चाहिये और मैं समझता हूं कि यह पुलिस के शुद्धिकरण में प्रवृत्ति बड़ा सहायक होगा। मैंने यह भी सुना था कि इस तरफ भी शायद माननीय मंत्री जी का ध्यान है--मैं कोई प्रामाणिक तौर से नहीं कह सकता लेकिन शायद ऐसा है कि कांस्टेबिलों में अगर कोई पढ़ा लिखा है और वह तरक्की करना चाहे तो ऊंचे से ऊंचा पद उसको मिल सकता है। ऐसा अगर हो जाय तो उसके जीवन में एक विशेष आकर्षण उत्पन्न हो जागया। ऐसी अनेक बातें हैं और अन्त में मैं कहूंगा कि केवल १२ कांस्टेबिल और कुछ हथियारों के बल पर बिना नैतिक स्तर और प्रचार का सहारा लिये हुए अगर सरकार यह समझती है कि अपराध बन्द हो जायेंगे तो यह असम्भव है। सरकार को प्रचार के दृष्टिकोण से भी जनता के अन्दर ऐसी भावना भरनी होगी जिससे कि उनका मारल ऊंचा हो सके।

श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं पालीवाल जी का जो कटौती का प्रस्ताव है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा आ हूं। पहले जब यहां अंग्रेजों की हुकूमत थी तो अपने स्टेट का पुलिस का बजट पौने दो करोड़ का था। लेकिन आज बजट ९ करोड़ ६४ लाख ८ हजार २ सौ रुपये का हो गया है। उस पर भी जनजीवन गांवों में इतना भयभीत हो चुका है कि किसी भी गांव में चले जाइए तो आपको यही कहते हुए लोग मिलेंगे कि आजकल तो नून, खून और कानून बड़ा ही सस्ता है। इसका क्या कारण है? इस पर आपको विचार करना है। आज पुलिस में जो भरती की हालत है, जो पुलिस में लोग भरती किये जा रहे हैं वह जाति, बिरादरी के नाम पर कुनबापरस्ती के नाम पर भरती किये जाते हैं, जिससे उनके खिलाफ शिकायतें होते हुये भी कार्यवाही नहीं की जाती है। यह एक बहुत बड़ा दोष है।

जैसा कि हमारी रिपोर्ट में है आज डकैती और राहजनी की तादाद बढ़ी है लेकिन माननीय मंत्री जी को यह मालूम होना चाहिये कि यहीं तक नहीं है। आज जो भी रपट थाने पर लिखाने जाता है वहां पर कम से कम ५ रुपया उससे लिया जाता है। जब यहां पर अंग्रेजी राज्य था तो उस समय ज्यादा से ज्यादा १ रुपया और नहीं तो--२ रुपये उनसे लिये जाते थे। लेकिन आज ५ रुपये से कम नहीं लिये जाते हैं। हमारी यह सरकार अपने १४ साल के शासन के अन्दर इस चीज को कम नहीं कर पाई, तो इसके लिये क्या बताया जाय? आज भी यह सरकार अपने सूबे को इस तरह से जर्जरित कर रही है। आज गांव के अन्दर जो बड़े लोग होते हैं उनके यहां जाकर पुलिस ठहरती है। उनसे ही पता लगवाती है कि गांव में कौन-कौन से ऐसे आदमी हैं जो पैसा देने के लायक हैं। ज्यादातर मुकदमों में निर्दोष आदमी फांसे जाते हैं और उनको फांस कर रुपया वसूल किया जाता है। ज्यादातर थानों में ही उनको बन्द करके २४ घंटे या १२ घंटे रखकर छोड़ दिया जाता है। यह रवैया समझ में नहीं आता है कि आखिर सरकार के पास सी० आई० डी० विभाग इतना बड़ा है, वह क्या करता है।

यह बिलकुल सही नहीं है कि पुलिस में सभी आदमी खराब हैं। बहुत से आदमी अच्छे भी हैं। अभी हमारे निचलौल में जो पहले थानेदार थे उनके वक्त में वहां पर डकैती और चोरी एकदम बन्द हो गई थी। उसका कारण यह था कि वह आदमी बहुत ही ईमानदार था। मैंने यहां तक सुना है कि एक चौकीदार जब एक आदमी को उस थाने में साथ लेकर आया तो वह आदमी २ मन चावल और कुछ पैसा लेकर आया। उस थानेदार ने उस चौकीदार को खूब पीटा और जो आदमी चावल लाया था उसको भी बहुत फजीहत किया। उस चौकी से वह चला गया, लेकिन वह थानेदार बहुत ईमानदार था और काम करने वाला था। जब तक वह रहा तब तक कोई गड़बड़ी नहीं हुई। वहां पर एक भूतपूर्व विधायक के उम्मेदवार जो सत्ता पार्टी के थे, एक आदमी को लेकर वहां गये थे। उन्होंने एक आदमी से १०० रुपया दिलाया तो थानेदार ने उस रुपये को फेंक दिया और आर्डर दिया कि उसको बन्द कर लो। उसने कहा कि आप इस तरह का काम करते हैं यह बड़ी गलत चीज है। इसके बाद उन्होंने कहा कि साहब, मैं तो आपसे मिलने आया था। यह काम करने नहीं आया था। इसके बाद उसने घंटों सिफारिश की तब जाकर वह छूटा। इस तरह से आपके यहां भी थोड़ी बहुत गलती है।

हमारा इलाका जो है वह नैपाल के इलाके से मिला हुआ है। हम सरकार से यह कहेंगे कि बार्डर पर इस तरह की पुलिस रखनी चाहिये जिससे नैपाल राज्य की हमारे राज्य के प्रति सद्भावना हो। वहां पर अधिक चोरी, डकैती का कारण यह है कि नैपाल राज्य से चोरी और डकैती करके लोग इधर आ जाते हैं और इधर से चोरी और डकैती करके नैपाल राज्य के अन्दर लोग भाग जाते हैं। इसलिये मंत्रीजी को चाहिये कि वह ऐसी पुलिस वहां पर रखे जिससे वहां पर चोरी की संख्या न बढ़े। हमारे क्षेत्र में एक जगह गाड़ी पर डकैती हुई। महाराजगंज थाने में गाड़ीवान रपट लिखाने गया। उसकी रपट नहीं लिखी गयी और उसे खदेड़ दिया गया। वह एस० पी० के यहां गया और उनको एक अर्जी दी। उसकी इंक्वायरी शुरू हुई। तब थानेदार बहुत परेशान हुए और उन्होंने काश्तकारों के घर जा कर उन से फिर लिखवाया कि हम बे-पढ़े लिखे हैं और मुंशी ने जो रपट लिखी है वह गलत है और इस तरह से एक फर्जी मुकदमा बनाया गया कि मोटरों के आ जाने से हमारे बैल चिहुक गये थे, डकैती नहीं हुई जब कि सच बात यह है कि उनका सारा सामान लूट लिया गया और ८ बैल चुरा लिये गये। इस तरह थाने में जो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है उसके कारण भी माननीय मंत्री जी को यह कहने का मौका मिला है कि हमारे यहां ये अपराध कम हुए हैं, लेकिन उन को मालूम होना चाहिये कि चोरी, कत्ल और डकैती आदि काफी तादाद में बढ़ी हैं।

हमारे यहां एक जंगल का एरिया पड़ता है और डाकू उसी रास्ते से आते हैं। वह स्थान चौक है। अगर वहां एक पुलिस चौकी कायम कर दी जाय तो डकैती काफी कम हो सकती है। इसके अतिरिक्त पुलिस में हरिजनों और बैकवर्ड क्लासेज की भरती काफी तादाद में करनी चाहिये। गांवों में पुलिस के अत्याचार अधिकतर इन्हीं पर होते हैं। यदि ये लोग ही पुलिस में रहेंगे तो उन अत्याचारों में कमी हो सकती है और उन्हें पुलिस की सद्भावना मिल सकती है। पुलिस के जरिये जो मुकदमे चलते हैं उनमें से अधिकतर के छूट जाने का कारण यह है कि कोर्ट इंस्पेक्टर अक्सर मुलजिमों की तरफ से मिल कर मुकदमे को खराब कर देते हैं। पुलिस में बड़े-बड़े अधिकारियों के भत्ते और तनख्वाहें बढ़ायी गयी हैं, लेकिन छोटे कर्मचारियों का टी० ए० और डी० ए० नहीं बढ़ाया गया है, उसमें कमी कर दी गयी है। माननीय मंत्री जी उत्तर में बतलाने का कष्ट करें कि ऐसा क्यों किया जा रहा है?

थानों में अक्सर जो गरीब रपट लिखाने जाता है उसकी रपट नहीं लिखी जाती। इतने दिन के प्रशासन के बाद भी पुलिस का रवैया बदला नहीं है। पुलिस छोटे आदमियों से तो बात भी नहीं करती है। यह शासन इतने दिनों में यह भी नहीं कर सका कि पुलिस

[श्री दुर्योधन]

और जनता का अच्छा सम्पर्क हो पाता, संबंध अच्छे हो पाते। पुलिस समाज की, जनता की रक्षक है किन्तु गांव में जब पुलिस पहुंचती है लोग उसके सामने आने की कोशिश नहीं करते। अगर वे समझ लें कि यह हमारी रक्षक है, हमें फंसायेगी नहीं, हम को झूठे मुकदमें में नहीं लड़ायेगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जनता का सहयोग पुलिस के साथ होगा और जुर्म भी कम होंगे। माननीय मंत्री जी को चाहिये कि वे बेषभूषा बदल कर, थानों में जायें और उनकी गलतियों को पकड़े। अगर वे अपना भेष बदल कर जनता में जायेंगे, थानों में जाकर वहां की बातों को देखेंगे तो अवश्य जुर्म भी कम होंगे और जनता का कल्याण भी होगा। केवल बंगलों में बैठ कर अफसरियत झाड़ने से प्रदेश का भला होने वाला नहीं है।

श्री लोकनाथ सिंह (जिला वाराणसी)—मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कुछ बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं, माननीय गृह मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है और उसकी जन-संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। हमारे प्रदेश में आये दिन विकास के कार्य-क्रम चल रहे हैं अगर हमारे यहां विकास के कार्य-क्रम तेजी के साथ बढ़ रहे है तो उसके लिये पुलिस भी जिम्मेदार है और उसमें उसका भी सहयोग है। प्रदेश में विकास के कार्यों का बढ़ना तभी सम्भव है जबकि पुलिस आन्तरिक शान्ति व्यवस्था कायम रख सके। आन्तरिक शान्ति व्यवस्था का कायम रखना उसका मुख्य कर्त्तव्य है।

इस विषय में यहां पर बहुत-सी बातें कही गयी हैं मगर उन पर विचार करने से पहले हमें यह भी सोच लेना चाहिये कि पुलिस में जो नवयुवक भर्ती होते हैं छोटी-छोटी तन्ख्वाहों पर वे प्रायः२४ घन्टों के लिये नौकर होते हैं और उन्हें हर तरह के अपराधियों से मुकाबला करना पड़ता है। गुन्डे, चोर, बदमाशों से, कभी-कभी तो अकेले उनको मुकाबला करना पड़ जाता है। उनके कर्त्तव्यों को देखते हुये उनकी मुसीबतों को भी सोचना है यह ठीक है कि एक थाने में जिसमें १२ सिपाही और दो सब-इन्सपेक्टर होते हैं, जिनको अपने क्षेत्र की, जिसमें तीस ३०-४० हजार आदमी रहते हैं पूरी जिम्मेदारी होती है और उनका यह कर्तव्य होता है कि वे वहां लोगों के अमन और सुरक्षा का ख्याल रखें। अगर वहां पर उन लोगों की जान माल की सुरक्षा नहीं हो पाती तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस पर ही आती है। इसके लिये उसकी भर्त्सना भी की जाती है।

अब सोचना यह है कि क्या उसके लिये केवल पुलिस ही जिम्मेवार है? क्या हम यह सोचते हैं कि कोई कानून बनाकर या उसके वेतन में कुछ वृद्धि करके, इस समस्या का कोई हल निकाल सकते हैं? आपको मालूम है कि वहां पर एक थाने के अतिरिक्त जिसमें १२ सिपाही और २ सब इंसपेक्टर होते हैं, उस क्षेत्र में, ग्राम पंचायतें, सेक्रेटरी, ग्राम सेवक, बी० डी० ओ० और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी होती हैं जिनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी अमन चैन कायम रखने की है। बहरहाल, सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन जब हम इस अनुदान पर बहस करते हैं तो उस जिम्मेदारी को हम पुलिस पर ही फेंक कर हम अपने को बरी कर लेते हैं। गो उनकी जिम्मेदारी तो है ही, उनकी ड्यूटी है और उनकी जिम्मेदारी समझ कर ही हम छींटा-कशी करते हैं और कहते हैं कि अमन चैन खतरे में है। मुकदमें बढ़ रहे हैं, लेकिन वह क्या करें? किन्हीं माननीय सदस्य ने तो यहां तक कहा कि गरीब जनता के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, १०७, १०९, ११० और १५१ के मुकदमें चलाये जाते हैं। लेकिन जो माननीय सदस्य देहातों से चुन कर आते हैं वह अपने-अपने सर्किलों की तरफ नजर रखें तो अच्छा होगा। पुलिस ने किसी मुजरिम को चोरी में पकड़ा, गुन्डई के अपराध में पकड़ा, किसी सिलसिले में पकड़ा और पुलिस ने मुकदमा चलाया। ज्योंही पुलिस ने मुकदमा चलाया, गांव में दो पार्टियां हो जाती हैं। एक तो उस अपराधी के पक्ष में और दूसरी चाहती है कि उसको सजा हो। यही सिलसिला आपकी कचेहरियों तक जाता है। वकील तो हमारे समाज के अग्रणी हैं और कानून कायदा,

ऐडमिनिस्ट्रेशन में आगे बढ़े हुए हैं, मिनिस्टरों में भी ज्यादातर वकील हैं, उनको केवल पैसों से मतलब है, समाज से नहीं। वे बहस करके मुलजिम का मामला जीत लेते हैं। गांव के लोग भी सब-इंसपेक्टर के खिलाफ उस अपराधी के पक्ष में गवाही दे आते हैं और वह छूट जाता है। नतीजा यह होता है कि पुलिस भी हताश हो जाती है और जरायम बढ़ते हैं।

हमसे और आपसे छिपा नहीं है कि गांव की पार्टीबन्दी का, गांव पंचायत में जो ग्रुपिज्म हो जाती है, उसका पूरा-पूरा नाजायज फायदा वह अपराधी उठाते हैं और कहीं-कहीं ऐसा देखने में आता है कि कुछ पार्टियां भी इसमें शरीक हो जाती हैं, मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगा। हां, खामियां जरूर हैं और उनको सुधारने की आवश्यकता है। पुलिस का विभाग जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही वह कर्त्तव्यपरायण होना चाहिये। अगर उसका नैतिक स्तर ऊंचा होगा और उसमें लगन होगी तो प्रदेश में शान्ति कायम रहेगी और प्रदेश के विकास के कार्यों में उन्नति होगी--इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं।

कुछ और भी शिकायतें थाने में आया करती हैं, जैसे कि हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है वह हमें भी देखने को मिलती है, कि प्रायः चोरी की रिपोर्ट जैसे थाने में की जाती है तो नजराना जरूर लिया जाता है। दूसरी बात यह कि सेंध वगैरह की रिपोर्ट जो होती है उसमें पुलिस इस बात की कोशिश करती है कि कम से कम रिपोर्ट लिखी जाय थाने में। माल जो चोरी में जाता है तो पुलिस कोशिश करती है कि वह कम से कम लिखा जाय। पता नहीं, क्या कानून है, कुछ बैंड एंट्री वगैरह होती है शायद इसमें। इतना ही नहीं, देखने में यह भी आता है कि केसेज के सिलसिले में कहीं कहीं १०९,११० के मामले झूठे भी चलाये जाते हैं। इस शिकायत पर कि वह आदमी जो समाज के लिये कुछ खराब साबित हो रहा है, उसकी रिपोर्ट सुनते सुनते ऊब जाते हैं और क्रियात्मक रूप से जब पकड़ नहीं पाते तो उसको गिरफ्तार करते हैं और यह भी कोशिश की जाती है कि उनके खिलाफ गवाहियां मिलें।

इसी तरह की बहुत सारी बातें हैं जिनको जानना हमारे गृह मंत्री के लिये बहुत आवश्यक है।

(इस समय २ बजकर ५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये।)

श्री मोतीलाल अवस्थी--मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि पुलिस विभाग पर बहस के समय उसका कोई मंत्री या उपमंत्री यहां नहीं है। अगर यह कहा जाय कि काम चलाऊ मंत्री यादव जी हैं, तो मैं समझ नहीं पाया कि वह किस विभाग के जिम्मेदार हैं। कार्य-वितरण की लिस्ट में यादव जी के नाम शिक्षा विभाग लिखा है। पता नहीं वह किस अन्दरूनी समझौते से हर विभाग में मौजूद रहते हैं। कम से कम इस सदन का आदर करने के लिये विभागीय मंत्री या उपमंत्री मौजूद रहने चाहिये।

श्री सूरतचन्द रमोला (जिला गढ़वाल)--यादव जी काम-चलाऊ मंत्री नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष--जिन माननीय मंत्री का विभाग है उन्हें यहां रहना चाहिये।

श्री चरणसिंह--मैं भी आपकी आज्ञा से कुछ अर्ज करना चाहता हूं। मैं अकेला ही हूं। मैंने यादव जी से दरख्वास्त की थी कि मेरी गैरहाजिरी में मौजूद रहें।

श्री लोकनाथसिंह--मैं यह कह रहा था कि किन-किन स्थितियों में जरायम बढ़ते हैं। ३०,३५ हजार की जनसंख्या में १२ सिपाही और २ सब-इंस्पेक्टर काफी नहीं हैं। हर क्षेत्र में बहुत सारी पार्टियां, ग्राम पंचायतें, ग्राम सभायें हैं, उनके सेक्रेटरी हैं, फिर ग्राम सेवक हैं, बी० डी० ओ० हैं जो ५०,००० के मकान में ठाठ से बैठे हैं। वहां सिपाही २४ घंटे का नौकर है और छोटी-सी तनख्वाह में। कैसे डाकुओं का और चोरों का मुकाबिला कर सकता है। केवल उसके भरोसे शांति कायम नहीं हो सकती है। बड़े-बड़े वकीलों और बैरिस्टरों को भी झूठे मामले

[श्री लोकनाथसिंह]

में रुपये–पैसे से अपने को अलग रखकर समाज को भी देखना पड़ेगा। अगर वे गलत मुकदमे न लेकर जनता की सेवा कर सकें तो अच्छा है।

हमारे बुजुर्ग पालीवाल जी ने कहा था कि इतने दिनों के कांग्रेसी शासन के बाद भी जनता पुलिस से डरती है। लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि जनता नहीं डरती है। अपराधी या अपराधियों की मदद करने वाले जरूर डरते हैं। जनता पुलिस को अब अपना समझती है। हमें यह देखना है कि चोरी करने वालों और गुन्डई व डकैती करने वालों को कौन मदद देता है। जहां पुलिस का इतना बड़ा गैंग मध्य प्रदेश, और यू० पी० की बार्डर पर पड़ा है फिर भी डकैत भाग जाते हैं। इसका कारण यही है कि उन्हें जनता के ही लोग शैल्टर देते हैं, छिपाते हैं। तो केवल पुलिस के भरोसे ही प्रदेश में शांति कायम नहीं हो सकती है।

हमारी पुलिस ने डाकुओं का मुकाबिला करके और दूसरे प्रदेशों में ख्याति प्राप्त करके प्रदेश का नाम उज्जवल किया है। बिहार, बंगाल, पंजाब, मदरास, बम्बई वगैरह में, जहां कहीं भी अच्छी पुलिस की जरूरत पड़ती है, हमारे यहां की पुलिस वहां भेजी जाती है। यह हमारे प्रदेश के लिये गौरव की बात है। झगड़े बढ़ने के कारणों पर भी हमें विचार करना होगा। जमींदारी इबालीशन के बाद, सीर और अधिवासी के बड़े-बड़े कानून बने, कुछ तो उनसे झगड़े बढ़े। कुछ इस लिये बढ़े कि पहले सबल और सम्पन्न लोग गरीबों को दबाते थे लेकिन गरीब कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन अब वह जनप्रिय सरकार के आने पर जवाब देने की हिम्मत करने लगे हैं। यही कारण है झगड़े ज्यादातर बढ़ने के।

श्री उपाध्यक्ष––आपका समय समाप्त।

श्री लोकनाथसिंह––इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

***श्री रूमसिंह** (जिला शाहजहांपुर)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने इस वर्ष साढ़े दस करोड़ रुपया खर्च करने के लिये मांगा है जनता की जान माल की हिफाजत पुलिस द्वारा कराने के लिये। क्या वास्तव में प्रदेश की जनता की जान-माल की हिफाजत हो रही है? बहुत दिनों से मांग की गयी कि पुलिस का सुधार होना चाहिये। जब मांग करते-करते इस सदन के सदस्य परेशान हो गये तो पुलिस आयोग मुकर्रर किया गया कि पुलिस में, उनके सुझाव आने पर, सुधार किया जायगा। मगर लगूर बन्दर की तरह उसका समय बढ़ता चला जाता है और सन् ६२ के बाद मंत्रीजी का समय खत्म हो जायगा हमारे चरण सिंह जी वैसे ही रह जायेंगे, कोई सुधार नहीं कर पायेंगे। उनके आने पर पुलिस में सुधार की आशा हुई थी, जो बहुत ही मेहनत के साथ फाइलों को देखते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शाहजहांपुर के बारे में सारी तस्वीर मंत्रीजी के सामने रखी। उन्होंने मुझसे इकरार भी किया कि उत्तर प्रदेश में इस जिले की हालत बहुत खराब है। इस छोटी सी पुस्तिका में बतलाया गया है कि पुलिस ने बहुत सफलता के साथ अपराधों को रोका है। आये दिन विधान सभा में बहुत से सवाल होते रहते हैं। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जब शाहजहांपुर की हालत इतनी खराब है तो ऐसी हालत सारे प्रदेश में प्रत्येक जिले की होगी। यह पुस्तिका गलत आंकड़ों से भरी पड़ी है और इसके द्वारा जनता को भ्रम में डालने की कोशिश की गयी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां १०० डकैतियां पड़ती हैं वहां २५ की भी मुश्किल से रिपोर्ट लिखी जाती है। अगर मंत्री जी को यकीन न हो तो मेरे साथ चलें मैं इस बात को साबित करूंगा कि डकैती पड़ी और फौजदारी लिखी गयी या उसको कतई गायब ही कर दिया गया और मामला झगड़े का लिखकर समाप्त कर दिया गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चरणसिंह--अभी पांच दिन हुये माननीय मित्र मुझ से मिले थे और जो बात इस समय कह रहे हैं वे ही बातें उन्होंने मुझसे भी कहीं थीं। मैंने उनसे कहा था कि अगर आप ३ केसेज भी ऐसे लिखकर देंगे तो मैं वहां के सब इंस्पेक्टर को तत्काल सजा दूंगा। आज इस बात को ५ रोज हो गये लेकिन उन्होंने कोई चीज मुझे लिखकर नहीं दी। कहने को तो यहां चाहे जो कह सकते हैं।

श्री रूमसिंह--मैं मंत्री जी को अभी बता देना चाहता हूं। वैसे मैं सबूत इकट्ठा कर रहा हूं। मंत्रीजी नोट करें। जैतीपुर में विक्रमपुर गांव में डकैती पड़ी और उसको चोरी लिखा गया।

जैतीपुर थाने में ही बंथरा में डकैती पड़ी, २८ फायर हुये, माल असबाब गया, लेकिन उसको फौजदारी लिखा गया। मौजा जुझारपुर में एक डकैती पड़ी, दो घर लूट लिये गये लेकिन रिपोर्ट चोरी में लिखी गयी। राहजनी तो सैकड़ों होती रहती हैं लेकिन एक भी रिपोर्ट दर्ज नहीं है। गांवों के लोग बहुत डरे हुये हैं।

राहपुरा गांव में एक कहार को लूट लिया गया। वह गांव छोड़ कर गड़िया में जाकर आबाद हो गया है। कुनियां मौजे में डकैती पड़ी, एक कायस्थ को लूट लिया गया, वह डर के मारे गड़िया रंगीन में जाकर आबाद हो गया है। लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। रमापुर कलां में सुखलाल कुर्मी गुन्डों के डर की वजह से कस्बा मीरनपुर कटरा में जाकर आबाद हो गया है। शाहजहांपुर में इस प्रकार के सैकड़ों वाकये होते हैं और हुये हैं। मैंने जो वाकये बतलाये हैं, अगर वे झूठ साबित हों तो मंत्रीजी को अधिकार है कि वे मुझ पर मुकदमा चलायें और मैं उस जुर्म का भागी हूंगा जो पुलिस पर आयद होता है।

२२-२३ फरवरी को मेरे गांव के पड़ोस जगतियापुर में डकैती पड़ी और डकैत आजादी के साथ डेढ़ घंटे तक गोली चलाते रहे। तारीख २५ को मुझे चिट्ठी मिली। मैं वहां गया। एस० पी० महोदय भी मौके पर गये। जब गुन्डों ने देखा कि डकैती खुली जा रही है तो मेरे लिये ऐलान कर दिया कि एम० एल०ए० साहब को कत्ल कर दिया जायगा। हम जैसे लाखों आदमियों ने जेल यात्रा की, जेल की चहारदीवारी में बंद रहे, बीबी-बच्चों का मोह छोड़ा और श्रीमान् चरणसिंह जी को पुलिस का मंत्री बनाया। आज गुन्डों की कत्ल करने की साजिस की वजह से ये सारे कारनामे होते हैं। कौन नहीं जानता है एस० पी० महोदय को, सर्किल इंस्पेक्टर को और थानेदार को माहाना मिलता है और फिर सारी चीजें होती हैं। फिर कह दिया जाता है कि पुलिस को कोई सहायता नहीं देता। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जब रक्षक ही भक्षक हो जायं तो फिर किस का सहारा हो सकता है ? सच बात यह है कि जनता के दिमाग में पुलिस की तरफ से कोई भरोसा नहीं रह गया है। अगर कोई पुलिस की गवाही देने जायगा तो उसको दूसरे दिन ही गुन्डे मार डालेंगे।

बझेरा भगवानपुर में, जैतीपुर इलाके में, ३-४ चोर पकड़े गये, रिपोर्ट दर्ज हुई, उनको जेल भी भेजा गया, वे जमानत पर छूट कर आये। जिन लोगों ने उनके खिलाफ गवाही दी थी उनकी फसल को काट लिया। गंगासिंह और हरभजन सिंह ने कहा कि अच्छा हुआ उन लोगों को पकड़ लिया गया तो उनकी भी २२ बीघा फसल को काट लिया। इस तरह से ८० बीघा फसल गांव में काट डाली गयी। आज वहां काश्तकारों की यह हालत है कि डर की वजह से रात को नहीं निकलते। कच्ची फसलों को काट रहे हैं। जिस खेत में २० मन नाज होता वहां १०-१२ मन ही हो रहा है।

पीरी मौजा में ३० बीघा फसल काट डाली गयी। कलेक्टर, एस० पी० और पुलिस मंत्री जी को शिकायतें की गयी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

[श्री रूमसिंह]

इसी प्रकार से बंथरा के पड़ोस में एक ट्रक को गोली मार कर उसके पहियों को बर्स्ट कर दिया गया। और उस पर से शक्कर की बोरियां उतार ली गयीं। आज गांवों की हालत यह है कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। शाहजहांपुर जिले का जनजीवन खतरे में है और वहां किसी को यह इत्मीनान नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी के साथ घोषणा करके एक जगह से दूसरी जगह ५०० रु० लेकर चले तो वह उसे लेकर घर पहुंच सकेगा ? दिन के बारह बजे ही वह लूट लिया जायगा। इसकी वजह यह है कि वहां रिश्वत का बोलबाला है और पैसे की वजह से सारा मामला किया जा रहा है। जिन लोगों के सुख-सुविधा के साधन सरकार को जुटाने चाहिये आज उस गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का ज्यादा से ज्यादा पैसा कुछ लोग अपने पास लेने के लिये उतावले और बेचैन हैं और ज्यादा से ज्यादा आमदनी करने की कोशिश कर रहे हैं। भले आदमियों को पकड़ कर उन पर मुकदमे चलाये जाते हैं। लेकिन उन गुंडों, डकैतों और बदमाशों के लिये छूट है क्योंकि अधिकारियों के दिमाग में यह बात बैठ गयी है कि अगर गुंडों, डकैतों और बदमाशों को सजा मिल जायगी तो चोरी, डकैती, गुंडई व नकबजनी बन्द हो जायगी और उसकी वजह से उनको रिश्वतें नहीं मिलेंगी। इसलिये ये सारे के सारे वाकयात अधिकारी वर्ग की तरफ से हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो ताज्जुब होता है यह जान कर कि हमारे पुलिस के मंत्री महोदय की तनख्वाह तो एक हजार है और आई० जी० पुलिस की तनख्वाह ३ हजार रु० है। समझ में नहीं आता कि मालिक ये हैं या वे हैं। जहां तक योग्यता का सवाल है, मैं समझता हूं कि हमारे पुलिस मंत्री ही अधिक योग्य हैं। अगर आई० जी० बड़े योग्य हैं तो फिर अमन क्यों नहीं कायम हो जाता ? लोग कहते हैं कि सिपाही और थानेदार कम हैं लेकिन अगर ईमानदारी से काम लिया जाय तो दो थानेदार और १२ सिपाही बहुत हैं। अगर ये सब ईमानदारी से काम करें तो थाने की पब्लिक आज भी इनकी पूजा करने के लिये तैयार है।

आज हमारे यहां की पब्लिक हर तरह से डरी हुई है। मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि वह लुट जाती है, डकैती हो जाती है, नकब लग जाते हैं लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वह थाने में जाकर उसकी रिपोर्ट दर्ज करावे। आज ज्यादा से ज्यदा जितने साधन सुख-सुविधा और नौकरी व तनख्वाह के दिये हुए हैं, वे ज्यादा से ज्यादा अपनी जिन्दगी ऐश के साथ गुजारते हैं। आज कई स्थानों पर जुए के अड्डे बने हुए हैं जहां अक्सर जुए खेले जाते हैं।

अब मैं क्या कहूं, हमारे यहां नशा निषेध के सम्बन्ध में मीटिंग हुई जिसमें श्री देवनारायण भारतीय ने एक प्रस्ताव किया कि एक ऐसी कमेटी बनायी जाय जो कमेटी शराब पीने वालों से इस बात के लिये सिफारिश करे कि शराब पीना गलत काम है इसलिये इसको छोड़ देना चाहिये। फिर सवाल पैदा हुआ कि इस कमेटी में ऐसे लोग रखे जायं जो खुद शराब न पीते हों। आपको जान कर ताज्जुब होगा कि एक बहुत बड़ी तादाद में अफसरों ने एक तरह से अपने आपको कमेटी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया कि हमारा नाम इसमें न रखें। तो जहां शराब पीने वालों और जुआ खेलने वालों की इतनी तादाद सरकारी अधिकारियों के अन्दर हो, माननीय मंत्री जी स्वयं सोच सकते हैं कि वे कहां तक जनता की रक्षा का काम कर सकते हैं ? माननीय मंत्रीजी बड़े परिश्रमी हैं और मैं जानता हूं कि वे रातदिन यहां की फाइलों में अपने दिमाग को लगाये रहते हैं जिसके लिये मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन आज की मांग के अनुसार उनको अपने पुराने इतिहास की ओर जाना चाहिये। जैसे विक्रमादित्य कम्बल की घोंपी मार कर गांव-गांव में खुफिया तौर से जनता के दुख-दर्द का पता लगाया करते थे उसी तरह से वे भी शहर छोड़ कर गांव-गांव में खुफिया तौर से जाकर जनता की तकलीफों के बारे में पता लगायें। अगर वे एक दिन में तीन-चार गांव में भी चले गये और वहां की जानकारी सही प्राप्त कर ली तो इसका पता जब आपके पुलिस अधिकारियों को लगेगा तो वे भी अपने काम से चौकन्ना

हो जायेंगे और ईमानदारी से अपने काम को करने लगेंगे। अभी-अभी जिन-जिन गांवों के नाम मैंने बतलाये हैं उन्हीं गांवों में माननीय मंत्रीजी पुलिस को बिना इत्तिला दिये हुए चले जायं और तहकीकात करने पर मेरी बात गलत साबित हो तो मैं हमेशा के लिये उनसे अपनी कोई बात कहने का अधिकारी नहीं रहूंगा।

इसलिये जो हमारे यह आई० जी० हैं, डी० आई० जी० हैं वह अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, सारी सुखसुविधा आज उन को जनता के पैसे पर मिली हुई है तो वह पूरा-पूरा बन्दोबस्त करें ताकि जो वाकयात होते हैं, राहजनी, डकैती और चोरी वगैरह, उनकी रपट दर्ज होने की पूरी व्यवस्था हो सके। क्यों न यह जिम्मेदारी लेखपाल पर डाली जाय, जहां वह सैलाब की, खुश्की की और ओला आदि की तमाम रिपोर्ट करते हैं वहां वह अपने हल्के में डकैती की, चोरी की भी कर सकते हैं, पंचायत मंत्रियों पर और जो भी गांव के जिम्मेदार लोग हैं उन पर यह रपट लिखाने की जिम्मेदारी डाली जा सकती है। इन के अलावा जो आप के दूसरे लोग हैं बी० डी० ओज० और ए० डी० ओज० वगैरा जो कि जीपों पर मारे-मारे फिरते हैं उन पर भी यह जिम्मेदारी डाली जाय कि वह रिपोर्ट लिखाने की व्यवस्था करें। अगर सब पर जिम्मेदारी डाल कर यह सारे साधन उपयोग में न लाये जायंगे तो रपट का लिखाना कठिन हो जायगा। मैं बहुत अदब के साथ माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि हमारे जैसे साथियों ने ही उन को इस योग्य बनाया है कि वह आज मंत्री की कुर्सी पर रौनक अफरोज हैं। आज हालत यह है कि पुलिस और गुंडे भले आदमियों को परेशान करते हैं। अतः मंत्रीजी इस तरह के अन्याय और जुल्म को रोकने का प्रयत्न करें और अपने यहां विक्रमादित्य जैसा तरीका इस्तेमाल करें, थाने में आई० जी०, डी० आई० जी० और चौधरी चरणसिंह धोखे से जायं और देखें कि वहां क्या हो रहा है। इस तरह से वह १ मास में ही सारा प्रदेश कवर कर सकते हैं और सारे थानेदारों को कर्रा कर सकते हैं। जरा वह पुलिस कप्तान को कर्रा करें तो यह सब आप ही ठीक हो सकता है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्रीजी इन सुधारों पर जरा अमल करें तो पुलिस में काफी सुधार हो सकता है।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने जो अनुदान सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। आज हमारे साथी जो उधर बैठे हैं उन्होंने बताया कि आज से कुछ साल पहले थानों में रिपोर्ट लिखने का एक रुपया लिया जाता था और अब ५ रुपया लिया जाता है। मुझे भी दस, पंद्रह सालों से गांवों में घूमने का मौका मिल रहा है लेकिन मैंने कहीं भी ऐसी शिकायत नहीं सुनी कि रिपोर्ट लिखाने का थानों में ५ रुपया लिया जाता है। हो सकता है कि उन के गांव में ऐसा होता हो और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि यदि कहीं माननीय सदस्य की जानकारी में यह बात आई थी तो ५ रुपये जिस थाने में लिये गये वहां के अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने नोटिस में लाकर कार्यवाही क्यों नहीं की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वास्तव में हम अपने दोषों को दूर करना चाहते हैं और पुलिस को उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं तो हमें दो जगह देखने की बड़ी आवश्यकता है। एक तो ऊपर से नीचे तक के जितने छोटे बड़े अधिकारी हैं उन में और जनता में परस्पर सद्भाव हो और उन का चरित्र, ईमानदारी और नियत ठीक रहे।

कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस में वेतन कम हैं। मैं यह बात मानता हूं। आज पुलिस विभाग के कान्सटेबिल का जितना वेतन है उस से ज्यादा तो चारबाग स्टेशन की मेहतरानी का है। मैं नाम तो नहीं बताऊंगा लेकिन एक हरिजन सब-इन्सपेक्टर के विषय में मेरी जानकारी है क्योंकि वह मेरे बिल्कुल करीब के थे। वह बड़ी मुश्किल से अपने कम वेतन में घर का खर्च बरदाश्त करते थे लेकिन वह एक पैसा भी रिश्वत नहीं लेते और मुश्किल से गुजर करते थे। ऐसा चरित्र सराहनीय है। कहा गया है कि आज जनता पुलिस से बड़ी भयभीत है। मैं कहता हूं कि वह इस लखनऊ में आज शाम को हजरतगंज और लालबाग के चौराहे से निकलें। अगर आज से १५-२० साल पहले साईकिल पर डबल सवारी और बिला बत्ती निकलने वाले घबराते थे और

[श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि]

चौराहे पर उतर पड़ते थे तो आज पुलिस वाला खड़ा रहता है और डबल क्या चार-चार सवारी बैठाकर निकलते हैं और बत्ती तो किसी साइकिल में रहती ही नहीं है। तो एक ओर लोगों को भयभीत बताया जाता है और दूसरी ओर यह परिवर्तन भी है। यह कहा जाता है कि जब से कांग्रेस सरकार आई, पुलिस का अत्याचार बढ़ा है लेकिन यह सही नहीं है। कुछ लोगों ने जो शिकायतें कीं उनमें कुछ बातें तो सही हैं लेकिन तस्वीर का एक ही पहलू देख कर कोई धारणा बना लेना कम से कम मैं तो इससे सहमत नहीं हूं।

अभी एक सज्जन ने नशा निषेध की बात की। मेरी भी जानकारी में ऐसी बात है। चौक के थाने में आज से चार-पांच साल पहले की बात है। एक हरिजन स्त्री को किसी ने भगा दिया। जांच करने पर यह पता चला कि वह अलीगढ़ में है। यहां से पुलिस कांस्टेबिल गया। तो किसी तरह से ट्रेन छूट गई थी या मुझे दिखाने के लिये उसको मेरे कम्पाउन्ड में लाया गया। वह बुरी तरह से नशे में था। चल भी नहीं पाता था, गिर गिर पड़ता था, वहीं लेट गया। तो उसको मुझे दिखलाया गया। एक बात मैं यहां पर बता दूं कि हमारे वाल्मीकि समाज में अगर कोई साधू बनता है तो उसके ऊपर यह प्रतिबन्ध लगाया जाता है कि वह चारपाई पर नहीं सो सकता है, तख्त पर लेटेगा, आजन्म शादी नहीं कर सकता है, क्वारा रहेगा और जो उसका शिष्य होगा उसी के घर पर खाना खायेगा, आम लोगों के यहां नहीं खाएगा। इतना कड़ा प्रतिबन्ध है उस पथ में इसलिये बहुत कम साधू बनते हैं। तो मेरा सुझाव है कि जब कोई पुलिस विभाग में कांस्टेबिल रखा जाय या सब-इन्सपेक्टर की ट्रेनिंग में भेजा जाय तो उसी तरह से उसकी पूरी जांच करा ली जाय कि वह शराब पीता है या नहीं, उसका करैक्टर कैसा है और तब उसे नौकरी दी जाय। इससे काफी सुधार हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष---आर्डर-आर्डर।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि---श्रीमन्, मैं मंत्री जी से आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि हमारे यहां शाहाबाद में आंझी स्टेशन और शाहाबाद तक सवा दो मील का एक रास्ता है उस पर अक्सर राहजनी की घटनाएं हो जाती हैं और जब कभी ये दुर्घटनाएं हो जाती है तो दो-दो, चार-चार पुलिस वाले वहां पहरा देने चले जाते हैं और जब नहीं जाते हैं तो फिर दुर्घटनाएं होती हैं। तो मेरा सुझाव है, और उस क्षेत्र की जनता की मांग भी है कि, शाहाबाद और आंझी के बीच में कोई पुलिस चौकी बना दी जाय तो ये दुर्घटनाएं रुक सकती हैं।

श्रीमन्, जहां पुलिस चौकी है वहां सिर्फ १४ कांस्टेबिल और सब इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं वह कम हैं। अगर कहीं १०-५ मील से किसी गांव से चोरी, कत्ल या डाके की इत्तला आती है तो वहां फौरन पहुंचना मुश्किल होता है। इसके लिये सरकार को खर्च तो बर्दाश्त करना पड़ेगा लेकिन मेरा सुझाव है कि इस तरह के थानों में एक जीप कार का प्रबन्ध किया जाय तो पुलिस फौरन उस जगह पर पहुंच सकती है और अपराधी का पता लगाकर रोक-थाम की जा सकती है।

श्रीमन्, एक बात यह अवश्य है कि जहां पर हरिजनों का सवाल आता है वहां पुलिस लापरवाही बरतती है। लखनऊ में आलम बाग थाने के अन्तर्गत एक हरिजन लड़की है जो करीब एक महीने से ज्यादा हो गया गायब कर ली गई, आज तक उसका पता नहीं लगा, काफी शिकायतें की गई जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। उसी थाने के अन्तर्गत इससे पहले, साल भर हुआ जब कि एक लड़की गायब की गई उसकी भी रिपोर्ट लिखाई गयी उसकी जानकारी पुलिस को करा दी गयी लेकिन उसका आज तक पता नहीं चला। मेरी प्रार्थना है कि जब इस तरह की शिकायत आये तो सी० आई० डी० के जरिये उसका इंवेस्टिगेशन किया जाय सभी अपराधी डरेंगे। बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां अपराधी लोग बड़े खुले तरीके से अत्याचार करते हैं और उनकी रोकथाम के लिये आवश्यक है कि उच्च अधिकारी

इसमें दखलन्दाजी करें। एक सज्जन ने शाहजहांपुर की बात कही। इसमें कहां तक सत्य है मैं नहीं जानता। लेकिन हरदोई भी शाहजहांपुर से कम पिछड़ा जिला नहीं है और अपराधों के आधार पर देखा जाय तो यह बात जरूर है कि पुलिस जितनी सतर्क होना चाहिये उतनी नहीं हो रही है जिससे वह कामयाब नहीं होने पा रही है।

एक बात यह भी है कि प्रतिद्वंदिता की वजह से लोग एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। वे बदमाशों तथा गुंडों का सहारा ले कर कत्ल तक करवा डालते हैं और दूसरी ओर पुलिस से भी बातचीत कर ली जाती है। यह चीज तभी बन्द हो सकती है जब यह चरित्र पुलिस में पैदा हो कि वह ४, ५, १० रुपये के लिये हाथ नहीं फैलाये।

माननीय मंत्री जी आर्य समाज के बहुत बड़े प्रचारक रहे हैं और वे पक्के आर्य समाजी हैं। उन्हों ने जितना अध्ययन किया उतना मैंने सुना भी नही होगा। अगर आर्य समाज की तरह वे पुलिस दलों में भी ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ इस प्रकार के प्रचार की व्यवस्था करें कि बुरे काम का बुरा नतीजा मिलता है और अच्छे काम का अच्छा नतीजा निकला है तो इससे पुलिस में काफी सुधार होने की आशा है। जो पब्लिक वर्कर है जब उनके ऊपर आ कर पड़ती है तभी उनको चिन्ता होती है कि उसने बुरा किया वर्ना वह कोई ख्याल नहीं करता। इसलिये माननीय मंत्री पुलिस कर्मचारियों को आदेश दें कि गरीबों पर अत्याचार करना वे बन्द करदें और बेगुनाहों को फंसाना बन्द कर दें।

मैं हरदोई जिले के ग्राम सआदत नगर थाने की बात करता हूं। वहां एक थानेदार साहब जब देहात में गये तो एक हरिजन बाल्मीकी जो चारपाई पर बैठा हुआ था उसे सलाम करने के लिये उठने में थोड़ा विलम्ब हो गया तो सब-इंसपेक्टर साहब ने उसके घर में घुस कर उसे पीटा और औरतों तक को मारा। जमींदारों के जमाने में तो ये चीजे चलती थीं। लेकिन आज इस तरह का रवैया अख्तियार पुलिस वाले करें यह कहां तक उचित है? कन्हैयालाल भंगी जब किसी थानेदार के साथ, डिप्टी कमिश्नर या पुलिस कप्तान के साथ बैठ सकता है तो क्या गांव का भंगी अपनी चारपाई पर भी नहीं बैठ सकता?

श्री चरणसिंह---कब की बात है?

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि---३,४, साल पहले की बात है। तो मेरा यह सुझाव है कि समय-समय पर इन पुलिस अधिकारियों को इस बात की ताकीद की जाय कि वे गरीबों पर अत्याचार करना छोड़ दें। यह बात मैं मानता हूं कि पुलिस की तनख्वाह बहुत कम है। लेकिन पुलिस की तनख्वाह कम होने का मतलब यह नहीं है कि उसकी पूर्ति वह रिश्वत लेकर या बेईमानी कर के करें। तो इनका चरित्र बनाने के लिये इन्हें उपदेश देना चाहिये। तभी हमारे प्रदेश की प्रगति होगी जब हमारे नेतागण और पुलिस बिलकुल ईमानदार हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

***श्री शिवराजबहादुर** (जिला बरेली)---उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के अनुदान पर मैंने कभी बोलने की हिम्मत नही की लेकिन मुझे एक बात याद है। चौधरी चरणसिंह साहब जिस वक्त रेवेन्यू मिनिस्टर थे तो हमारी कांस्टीटुएंसी में तशरीफ ले गये थे। वहां उन्हों ने दो बातें कहीं थीं। मुझे आज भी वे दोनों बातें वैसे ही याद हैं। एक तो मुझे तनकीद की थी कि मैं इस चकबन्दी के मामले में वकालत न करूं और मैंने कहा था कि मैं नहीं करूंगा। दूसरी बात उन्होंने और कही थी जिसे सुन कर मुझे हैरत भी हुई थी और ताज्जुब भी हुआ था। उन्होंने कहा था कि जिस अफसर को हम कहेंगे कि बेईमान है और अपनी तहकीकात के बाद कहेंगे उसे मैं बरखास्त कर दूंगा। उसके बाद मुझे अपनी जिन्दगी में सिर्फ एक दफा चौधरी साहब से बातें करने का मौका मिला है और वह उस वक्त जब वे मंत्री नहीं थे। उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि एम० एल० एज० का भी कुछ रुतबा हो। आज मैंने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवराज बहादुर]

जो उनकी बात सुनी उससे मुझे हैरत हुई। मैं देखना चाहता हूं कि जो भी पब्लिक के नुमाइन्दे हैं वे भी जो बात कहेंगे सही कहेंगे। मैंने कभी भी उनको कुछ लिख कर नहीं दिया, किसी अफसर की शिकायत नहीं की। मैं समझता हूं कि आज भी चौधरी साहब इस बात की हिम्मत करेंगे कि अगर कोई शिकायत कोई नुमाइन्दा भेजे उस वक्त भी वे कह दें कि अगर किसी नुमाइन्दे ने कोई बात कहीं तो उस पर हम तहकीकात करेंगे और वैसे ही अमल करेंगे जैसे कि जब वे रेवेन्यू में थे तब कहा था।

आज यह बात मुसल्लमा अमर है कि जिस तरह से दाखिल खारिज के मामलों के लिये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जरूरत है उसी तरह से दाखिली मामलात के लिये पुलिस जरूरी है। लेकिन आज इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि आज पुलिस के शासन में शान्ति नहीं है, उसमें झगड़ा है। अभी थोड़ी देर पहले--मैं किसी भी प्वाइंट को दोहराना नही चाहता, यह मेरी आदत भी नहीं है--- जिस वक्त कट मोशन मूव किया तो पालीवाल जी यह कह चुके हैं कि आज कत्ल में डकैती में, राइजनी में इजाफा हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि ये आंकड़े सही हैं लेकिन यह सब को मालूम है कि कंसीलमेंट आफ क्राइम्स होता है। मेरी ही कांस्टीटुएंसी के एक गांव में डकैती पड़ी लेकिन उसको डकैती नहीं लिखा। यह चन्द महीने की बात है। इस पर और हैरत होती है कि हमारे यहां कुछ लोग आये और उन्होंने कहा कि हमारे यहां इश्तहार लगे हैं कि डकैती पड़ने वाली है। मैंने एस० पी० साहब को टेलीफोन किया। वे बात सुनते भी हैं, अच्छी तरह से बात भी करते हैं, लेकिन फिर भी डकैती पड़ी। कुसुआ एक गांव है जहां डकैती पड़ी। उसके बाद दूसरे गांव में डकैती पड़ी। तो एक इत्तला होने के बाद भी डकैती पड़ती है। ऐसा मालूम होता है कि आमतौर से डाकुओं को छूट है डकैती डालने की।

पुलिस के महकमे में जो एक बड़ी खामी नजर आती है वह यह है कि इस महकमे के जितने भी अफसर हैं, खासतौर से थानेदार वगैरह, उनके अन्दर रिवेन्जफुल स्पिरिट बहुत है। अगर इन्तकाम का जज्बा उनके अन्दर रहा तो मैं कहता हूं कि एक चौधरी साहब क्या ७५ चौधरी साहब भी आ जांय, जब तक इन्तकाम का जज्बा उनके अन्दर है तब तक कुछ काम हो नहीं सकता। अभी ८-१० दिन की बात है सोशलिस्ट पार्टी के एम० एल० ए०, श्री जंगबहादुर वर्मा साहब के यहां डकैती पड़ी। और भी लोगों के यहां डकैती पड़ी। यह गवर्नमेंट को खुला हुआ चैलेंज है कि हम डकैती डालेंगे और जो हमारे मन में होगा सो करेंगे। जैसा हमारे दोस्त रूमसिंह जी ने कहा था कि तुलना करना मुश्किल है। शाहजहांपुर हो, हरदोई हो, बाराबंकी हो कहां ज्यादा पड़ती है इसका तवाजुम करना मुश्किल है।

श्री उपाध्यक्ष---आप बरेली को क्यों छोड़े जा रहे हैं? (हंसी)

श्री शिवराजबहादुर---बरेली में तो डकैतियां बहुत ज्यादा पड़ी हैं, इतनी ज्यादा पड़ी हैं जिनका शुमार किया जाय तो बहुत ज्यादा दिक्कत पड़ेगी। ऐसी भी सूरतें वाकय हुई हैं कि डकैतियों की इत्तिला दी जाती है लेकिन उसके बाद भी डकैतियां पड़ जाती है। मैंने जैसा कहा कि मैं पुलिस के अनुदान पर कमी नहीं बोला हूं। आज पहली मरतबा जसारत की है। लेकिन यह समझ लिया है क्योंकि जो बोले वह पहले समझ ले कि उसके यहां डकैती पड़ सकती है और वह कत्ल किया जा सकता है तब लबकुशाई की जुरअत करे वरना चुप हो कर बैठ जाय। जब तक यह इंतकाम का जजबा नहीं निकल जाता पुलिस के विभाग से उस वक्त तक ला आफ डिमारकेशन बना देना कि कहां जरायम कम हैं और कहां ज्यादा हैं बहुत मुश्किल है।

जहां तक मेरी इत्तिला है इन लोगों का रवैया पब्लिक के नुमाइन्दों के साथ भी बहुत अच्छा नही है। एक तरफ हम यह कहें कि हम पब्लिक के नुमाइन्दों की बात वे (पुलिस वाले)

मानेंगे और दूसरी तरफ उनके साथ यह रवैया हो। मैं समझता हूं कि हम पब्लिक के नुमाइन्दे हैं इनकी बात को वह मानेंगे। अगर चौधरी साहब इस बात का तहैया कर लें कि ३ आदमियों को एक कमेटी बना दें, तीन पब्लिक के आदमियों की तो ३ पब्लिक के आदमी तो ऐसे चौधरी साहब को मिल ही जायेंगे जो पुलिस के कर्मचारी न हों, जो सरकारी अफसर न हों, उनके मातहत क्राइम की छानबीन का काम कर दें। आज जितने भी आपके पब्लिक प्राजीक्यूटर्स हैं उनमें ज्यादातर ऐसे हैं जिनके मुकदमे छूट जाते हैं? तो भी उनको पैसे मिलते हैं। मैं ऐसे केसेज जानता हूं, मेरे पास ऐसी मिसालें हैं जिनका मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता हूं, अगर किसी वक्त मौका होगा तो मैं चौधरी साहब की खिदमत में पेश कर दूंगा जहां डकैतियां सजायाब हुई हैं तो उन्होंने कहा कि रुपया रख दिया जाय और जहां डकैतियां छूट गई तो भी उनको फायदा मिला। मुझे मालूम होता है कि लोगों को रिश्वत के नाम से तकलीफ होती है, जब भ्रष्टाचार की बात कही जाती है तो वह सुनना नहीं चाहते कि फलां जगह भ्रष्टाचार है लेकिन जनाब, जो होता है वह कहा जरूर जायगा, अच्छा लगे या बुरा लगे।

मैं कहता हूं कि जस्टिस और न्याय की बात करते हैं। लेकिन वहां भी ठीक नहीं है दो तरह के जरायम होते हैं एक कागनीजेबिल जो पुलिस की दस्तन्दाजी के होते हैं और दूसरे नान-कागनीजेबिल जो पुलिस की दस्तन्दाजी के नहीं होते हैं। अब जो दस्तन्दाजी पुलिस के केसेज चालान भी होते हैं उसमें यह देखा गया है कि गलत आदमियों का चालान होता है और सही आदमी छूट जाते हैं। शिनाख्त का तरीका भी डिफेक्टिव है। यहां तक कि डकैत आये असली आये उनको पहचान नहीं पाये। जो मौजूदा तरीका आइडेंटीफिकेशन का है वह नाकिस है और इससे बहुत ज्यादा खतरा है। अकसर आदमी ऐसा सोचते हैं कि यह ऐसी चीजें हैं जिनपर गौर ही नहीं किया गया है। तो मैं समझता हूं कि अगर इन सब चीजों को ठीक नहीं किया गया और पुलिस का रवैया इंतफाम का नहीं बदला तो हमारा देश रसातल को चला जायगा।

मेरे जिले में जितनी डकैतियां पड़ी हैं। वह ज्यादातर ऐसी जगहों में पड़ी हैं, जहां फायर आर्म्स के लाइसेंस नहीं हैं। आप देखें कि कनवा एक गांव है जहां १२ दिसम्बर को डकैती पड़ी। हमने कई दरख्वास्तें लिखीं। फायर आर्म्स नहीं मिले। हथियार मिलने का हाल तो यह है जनाब

"तातिरियाक अजईराकआवुर्दा शवद, मारगुज़ीदा मुर्दा शवद"

जब तक बन्दूक नहीं आयेगी तब तक हम मारे जा सकते हैं, कत्ल किये जा सकते हैं। आज ऐसे सैकड़ों गांव मिल जायेंगे जहां सैकड़ों लाइसेंस मिल जायेंगे और ऐसे भी गांव दूसरी तरफ हैं जहां एक भी लाइसेंस नहीं है। कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में कहा था कि हमारे हाथ में जब हुकूमत आवेगी तो फायरआर्म्स पर लाइसेंस नहीं रहेगा। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है जहां फायर आर्म्स पर लाइसेंस नहीं है। लेकिन हमें दरख्वास्तें देने पर भी लाइसेंस नहीं मिल सकता है। किस-किस के पास जांय। कलेक्टर साहब के यहां जांय वह कभी होते हैं, और हर एक के दरवाजे खटखटाना अच्छा भी नहीं लगता। उपाध्यक्ष महोदय, फायर आर्म्स की नयी समस्या पैदा कर दी गयी है। डिफेन्स कमेटियां बनी हैं। कहा यह जाता है कि लाठियों से, डंडों से डाकुओं का मुकाबिला करो। किस तरह से मुकाबिला करें यह मेरी समझ में नहीं आता? कायदा यह है कि जहां दो आदमियों में लड़ाई होती है और एक के पास तलवार है, दूसरे के पास लाठी है तो तलवार वाला आदमी जीतेगा। इसी तरह से एक के पास तलवार है और दूसरे के पास बन्दूक है तो बन्दूक वाला आदमी जीतेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिसके पास शक्ति ज्यादा होगी वही जीतेगा। अब डकैतों के पास बन्दूकें होती हैं और गांव वाले निहत्थे होते हैं तो वह कैसे मुकाबला कर सकते हैं।

[श्री शिवराजबहादुर]

मैं आप से कहता हूं कि कम से कम ९५ फीसदी ऐसे मुकदमे होते हैं जो झूठे हैं, गलत हैं। दूसरी बात आप देखें कि १०९ में दो चीजें होती हैं। एक तो यह कि उसका मीन्स आफ लिवलीहुड कुछ न हो और दूसरा यह कि उसका कोई मकान न हो। आज कल सैकड़ों आदमी ऐसे हैं कि जिसके पास न तो मकान ही हैं और न कोई पेशा ही है। आजकल झूठे चालान किये जा रहे हैं और अच्छे-अच्छे आदमियों को फंसाया जा रहा है। अभी यह कहा गया था कि भेष बदल कर लोग घूमें तो इसमें यह आशंका है कि अगर पुलिस वालों ने न पहचाना तो उसका चालान हो जायगा और इस तरह एक दूसरी ही समस्या पैदा हो जायगी। आज कल सरे शाम से ही गांव में कोई निकलने की जुर्रत नहीं कर सकता है। मैं अक्सर घूमता हूं और मेरे पास फायर आर्म्स का लाइसेन्स भी नहीं है? लोगों ने मुझे से कहा कि इस ईख में लोग छुपे हुये हैं और दरोगाजी ने उनको पकड़ा लेकिन बाद में छोड़ दिया। यह हमारा दुर्भाग्य है। इस पर भी आप चाहते हैं कि उनकी पीठ ठोकी जाय और कहा जाय कि हमारा शासन बहुत अच्छा है और हमने बड़ी क्रान्ति की है। मैं आपको बताऊं कि आपने भले ही और मामलों में प्रगति की हो लेकिन शान्ति स्थापित करने में सरकार कासिर रही है। हम न्याय नहीं कर सकते हैं, सही आदमी का चालान नहीं कर सकते हैं और गलत आदमियों को जेल में सड़ा देना चाहते हैं।

आजकल पुलिस के अख्तियारात बहुत ज्यादा हैं और जिस आदमी को वह चाहे छुड़ा सकती है। वह कोई भी रिपोर्ट बिगाड़ दे कुछ नहीं हो सकता है। क्रिमिनल वकील होने के नाते मैं कह सकता हूं कि अगर एफ० आई० आर० ठीक नहीं है तो केस छूट जायगा। अगर एफ० आई० आर० कमजोर है तो वह जरूर छूट जायगा। जैसे एक के यहां डकैती पड़ी, वह मामूली पढ़ा लिखा था और उसका हाथ टूटा हुआ था तो उससे अपने हाथ से एफ० आई० आर० लिखने को कहा। उसे एफ० आई० आर० लिखने की वाकफियत नहीं थी। इसका नतीजा यह हुआ कि केस छूट गया। एस० पी० से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि एफ० आई० आर० डिफेक्टिव थी। तो, वह बड़ी मुश्किल चीज हो जाती है।

अब लाल बत्ती जल गई है। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन वक्त नहीं है। आखिर में मैं निवेदन करूंगा कि जिस सूरत से माल मंत्री होते हुये वह हमारा विश्वास करते थे और हमने उनको तकलीफ नहीं दी। फिर एक मर्तबा वह हमारा विश्वास करें ताकि हम उनके सामने असलियत ला सकें। बात इतनी ही है कि हम दहन करते हैं लेकिन लबे फरियाद नहीं।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह (जिला बहराइच)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान गृह मंत्री जी ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। मेरा संबंध इस पुलिस विभाग से काफी समय तक रहा है और मैं उसके मुताल्लिक बहुत सी बातें जानता हूं। मैं समय-समय पर सुझाव भी, जो मेरी समझमें आये, उनको लिखता रहा हूं। पुलिस का महकमा राज्य में ला एंड आर्डर कायम रखने के लिये बहुत जरूरी है और यह भी जरूरत है कि इसमें ऐसे लोग हों जो समाज की रक्षा कर सकें और समाज का चरित्र भी ऊंचा कर सकें। डकैतियां पड़ती हैं, इसमें शक नहीं कि कम लिखी जाती हैं, चोरियां होती हैं, लिखी कम जाती हैं। उनका सही तौर से इन्वेस्टीगेशन भी कम होता है। कत्ल भी होते हैं। कुछ गलत रिपोर्ट भी होती हैं। कुछ गलत चालान भी होते हैं। सही रिपोर्ट भी होती है, सही चालान भी होते हैं। मुकदमे छूट जाया करते हैं। न मैं, न सदन का कोई आदमी, न चौधरी चरणसिंह इस बात को कहने को तैयार हूं कि पुलिस की जैसी व्यवस्था होनी चाहिए वैसी है। चौधरी साहब जब से आये हैं तब से वह काफी कोशिश कर रहे हैं और जो तरीके वह अख्तियार कर रहे हैं वह भी मुझे मालूम हैं। उनका प्रचार बराबर जारी है और जारी रहेगा।

मैं समझता हूं कि यह रोग बहुत पुराना है। इस रोग को वह चाहे जितनी कोशिश करें साल-छः महीने में दबा नहीं सकते और न उसका इलाज कर सकते हैं। कारण इसके बहुत से

हैं। सबसे पहला कारण यह है कि कुछ अपनी ओर ही देख लें। हमारे अन्दर जो सबसे बड़ी आदत पड़ गयी है वह यह है कि हम अपनी ओर तो देखते नहीं हैं, हम तो यह सोचते हैं कि हम ज्यों के त्यों बने रहें और सारा समाज बड़ा ऊंचा हो जाय। हमारी सेल्फ ऐनालिसिस करने की आदत नहीं रही है। कुछ खराबियां हमारे अन्दर भी हैं। खराबियां समाज के अन्दर भी हैं। नैतिक पतन काफी बढ़ गया है। पुलिस के आदमी हमारे ही लड़के, भाई, भतीजे इत्यादि सम्बन्धी हैं। जब उनमें से कोई चक्कर में पड़ता है तो हम भी दौड़ा करते हैं, हमारे साथी भी दौड़ा करते हैं कि यह तो निरपराध है। इसको वैसे ही फांसा जा रहा है। मैं समझता हूं कि पुलिस का नैतिक पतन है। लेकिन उसके साथ साथ मैं यह भी कहने को तैयार हूं कि उसमें बड़े बड़े अच्छे आदमी भी हैं। उसमें ऐसे वीर भी हैं जो डकैतों के साथ मुकाबला करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं।

एक सज्जन ने कहा कि पिछड़े वर्ग के आदमी कम हैं। मैं कहता हूं कि चाहे वह पिछड़े वर्ग का हो या किसी वर्ग का हो, नमक की खान में सब नमक बन जाते हैं। मैं समझता हूं कि पुलिस में जो कमी है, उसके बहुत से कारण हैं। उनमे से एक कारण यह है कि हमारा नैतिक पतन हो गया है।

दूसरा कारण यह है कि आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गयी है। स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद उद्दंडता बढ़ गई है, और पुलिस फोर्स जो १९५८-६० में था वही अब भी है। मेरे क्षेत्र में पहले दो थाने थे। दो थाने तोड़ कर एक थाना बनाया गया। एक पुलिस स्टेशन पर जितने कांस्टेबिल रहते थे उतने ही अब भी हैं। अबादी पहले से करीब-करीब ड्योढ़ी, दूनी हो गयी है। लेकिन कांस्टेबिलों की संख्या पहले के बराबर है। हमारे प्रदेश में दो, एक प्रदेशों को छोड़ कर सबसे कम पुलिस है। मैं समझता हूं कि सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा कि पुलिस फोर्स बढ़ायी जाय। अगर पुलिस फोर्स न बढ़ायी गयी तो ला ऐण्ड आर्डर पोजीशन इस जमाने में जब कि स्वतंत्रता के बाद उद्दंडता बहुत बढ़ती जा रही है, ठीक न हो सकेगी। पुलिस का फोर्स जितनी इस वक्त है वह काफी नहीं है। एक चीज और मैं सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं और मैं सन् ४७ से इस बात की कोशिश करता रहा हूं, बराबर लिखता भी रहा हूं उसके लिए, वह यह है कि ला ऐण्ड अर्डर की पोजीशन को अच्छा करने के लिये हमको पुलिस को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इस ओर शायद सरकार का ध्यान पहुंच चुका है। एक तो वह पुलिस होगी ऐडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस जो कि सिर्फ एला ऐंड आर्डर की पोजीशन को देखेगी और दूसरी वह पुलिस होगी जो कानून का काम करेगी। गलत मुकदमों का सजायाब होना भी उतना ही बुरा है जितना कि एक सही मुकदमें का छूट जाना। सही मुकदमें भी अक्सर छूट जाया करते हैं। उनका कारण यह है कि पुलिस का इन्वेस्टीगेशन ठीक नहीं हो पाता। उसकी वजह यह है कि पुलिस को कई काम करने पड़ते हैं। एक थाने में १७,,१८ ज्यादा से ज्यादा कांस्टेबिल होते हैं और वह कांस्टेबिल बहुत से तो उन कामों में लगे रहते हैं जो कि उनके लिये एक सेकेन्डरी काम है लेकिन अब वह प्राइमरी इम्पार्टेंस के हो गये हैं जैसे कि कोई वी० आई० पी० आवे तो उसके साथ पुलिस घूमती रहती है। इलाके में अगर कोई काम खराबी का होता है तो वह पुलिस उसे नहीं देख पाती है। तो जो पुलिस ला ऐंड आर्डर की मेंटेन करने के लिये जरूरी है वह ऐसे कामों में लगी रहती है जिसके कारण उनको मुकदमों के देखने का मौका नहीं मिलता। मैं यह समझता हूं कि वह पुलिस जिसका ताल्लुक इन्वेस्टीगेशन और प्राजीक्यूशन से हो वह तो अलग कर दी जाय और वह पुलिस जिसका ला ऐण्ड आर्डर से ताल्लुक हो वह अलग कर दी जाय। लेकिन इस तरह से न किया जाय जैसे कि कुछ डिस्ट्रिम्ट्स में इसका एक्सपेरीमेंट किया गया। वह एक्सपेरीमेंट न तो इधर का हुआ न तो उधर का हुआ। मैं तो यह समझता हूं कि ला ऐण्ड आर्डर को मेंटेन करने वाली पुलिस का जो हेड हो वह बिलकुल एक सेपरेट आदमी हो और जो प्राजीक्यूशन और इन्वेस्टीगेशन से ताल्लुक रखने वाला हो वह एक बिल्कुल सेपरेट हेड हो जिसका कि ला एंण्ड आर्डर वाले से कोई ताल्लूक न हो। उसका कारण यह है कि

[श्री हरिश्चन्द्र सिंह]

मुकदमों के इन्वेस्टीगेशन में पुलिस को टाईम न मिलने की वजह से बड़ी देर हो जाया करती है और जितनी ही मुकदमें में देर होगी उतना ही मुकदमा खराब होगा। अगर इन्वेस्टीगेशन एक हफ्ते के अन्दर पूरा हो जाय और एक हफ्ते के अन्दर वह मुकदमा कोर्ट में चला जाय तो उस हालत में उस गवाह पर जो कि बाद को सैकड़ों बाधाओं की वजह से टूट जाया करता है, वह दबाव पड़ने का मौका कम मिलेगा। मैंने देखा है कि मर्डर के कसेज में चार-चार, पांच-पांच महीनों के बाद प्राजीक्यूशन शुरू होता है और वह पहले मैजिस्ट्रेट के यहां जाता है। वहां दो, चार महीन लगते हैं। उसके बाद सेशन में जाता है और वहां आठ-सात महीने के बाद उसमें तारीखें पड़ा करती हैं। इस दौरान में जो मुजरिम के घर के लोग होते हैं, रिश्तेदार और सम्बन्धी वगैरह वह गवाहों पर दबाव डाला करते हैं और इतना टाईम गुजर जाने पर वह गवाह टूट जाता है, और गवाही देने को तैयार नहीं होता।

एक चीज मैं और कहना चाहता हूं और वह यह है कि पुलिस रिपोर्ट लिखने के बाद इन्सवेस्टीगेशन शुरू करती है। आजकल जैसा कि हमारा नैतिक पतन हो गया है, हम रिपोर्ट में अक्सर ऐसे इन्नोसेंट, बेगुनाह लोगों के नाम लिखा दिया करते हैं जिनका कि उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर पुलिस का सब-इन्सपेक्टर उनका चालान नहीं करता है तो यह समझा जाता है कि वह बेईमान है, इस बात का प्रिजम्पशन (Presumption) नहीं किया जाता कि ईमानदारी से उसने इन्वेस्टीगेशन किया है। हमारे अन्दर पुलिस के प्रति जितनी दुर्भावना है वह तो अपनी जगह है ही, लेकिन जबतक कि हम सद्भावना उनके प्रति अपनी तरफ से शुरू नहीं करेंगे तबतक हम जिस लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं वह लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। पुलिस ठीक है, वह खराब नहीं है, यह कहने को मैं तैयार नहीं हूं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा है कि अच्छे आदमी भी उसके अन्दर हैं। तो जबतक हम किसी आदमी को ट्रस्ट नहीं करेंगे, उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, उसको हम बुरा ही कहते रहेंगे तो वह सदैव ही बुरा रहेगा। अब समय बदल गया है। अपनी ही सरकार है, अपनी ही पुलिस है और अपने ही मुलजिम हैं। यह सब होते हुए जब तक हम ठीक तरह से अपने आपको ठीक करके सही बात सही तरीके से सोचने की बात नहीं करेंगे तब तक हम कामयाब नहीं हो सकेंगे।

पुलिस विभाग में कांस्टेबिल की तनख्वाह बहुत कम है। एक कांस्टेबिल को जितनी तनख्वाह मिलती है वह केवल उसकी रोटी दाल के वास्ते भी काफी नहीं है। उसके बच्चे हैं और बीबी है। वह अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है और अपने बच्चों को कपड़ा भी पहनाना चाहता है। जहां हम पुलिस को इतनी गाली देते हैं वहां कभी-कभी दो लफ्ज भी अगर हम कह दें जिससे उसकी तारीफ हो जाय तो उसके लिये कुछ दिलासा हो जाय। उनके लिये कुछ ऐसी तनख्वाह दी जाय जिससे वह गुजर कर सके। "बुभुक्षितः किं न करोति पापम्" जो भूखा है वह संसार में क्या पाप नहीं करता। यह चीज हम भूल जाते हैं। मैं यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि पुलिस ईमानदार है। मैं जितना समझता हूं और जितना मैंने बहैसियत पब्लिक सर्वेन्ट होने के देखा है उतना शायद बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा लेकिन साथ ही साथ उसमें बुराई है। वह बुराई होने पर भी वह अच्छा काम करती है लेकिन हम देखते हैं कि अच्छे काम के लिये उसको कोई मुबारकबाद नहीं देता है। वह डकैतों से मुकाबला करते हुए अपनी जान गंवाते हैं लेकिन कुछ भी उनकी तारीफ नहीं करते। क्या उनके जान नहीं है? हमें जरा भी खटका हुआ तो घबरा जाते हैं। उनको तो चोरों और डाकुओं से मुकाबला करना पड़ता है। मैं ऐसा समझता हूं कि इस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिये।

एक चीज और कहना चाहता हूं। मैंने लोकेलिटी में जाकर इस बात की जांच की कि डकैती कहां पर पड़ती है। तो यह पता चला कि डकैती केवल उन गांवों में पड़ती है, जिन गांवों में हथियार नहीं होते हैं। जिस गांव में कई बन्दूक हों, आज तक मैंने नहीं सुना कि ऐसे गांव में या इलाके में कोई डकैती पड़ी हो। मैं चौधरी साहब से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि अगर वह डकैती बन्द करना चाहते हैं, वह चाहते हैं कि डकैती कम हो, तो वह इस किस्म के आदेश जारी करें कि लाइ-

सेन्स लिबरेली लोगों को दिये जायं। अगर इस मेरी बात में उनको कोई गलती मालूम हो तो वे इन्क्वायरी करा सकते हैं। जिन गांवों में आर्म्स के लाइसेंस हैं उन गांवों में कोई डकैती नहीं पड़ी है। डकैती उन गांवों में पड़ती है जिन गांवों में लोगों के पास हथियार नहीं होते हैं। उनके पास अपने बचाव का कोई साधन नहीं होता है। मेरे इलाके में एक गांव में थोड़े बहुत हथियार थे वहां पर लोगों ने ६ घंटे तक डाकुओं से बन्दूक चलाई। नतीजा यह हुआ कि १० डाकू, जो वहां पर मय हथियार के थे, जिनके पास अंग्रेजी बन्दूक थी, जिनके पास हजारों कारतूस थे, ६ घंटे तक लड़कर गांव के लोगों ने उनको पकड़ा। इसका नतीजा यह निकलता है कि जितने ज्यादा आर्म्स लिबरली दिये जा सकते हैं उतने दिये जांय ताकि डकैती बन्द हो सके। इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत दिनों के बाद यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि माननीय चरणसिंह जी ट्रेजरी बेन्च पर विराजमान हैं और मैं उनको कुछ सुना सकूं। श्रीमन्, मैंने यह सुना है कि ६० फीसदी, जो खामियां पुलिस में थीं, उनको माननीय चरणसिंह जी ने दूर कर दिया है और बाकी जो ४० फीसदी बची हैं वह कुछ महीनों में बिलकुल साफ कर देंगे। लिहाजा यह पुलिस साफ, दोषविहिन और गंगा की तरह से पवित्र करने की वह क्षमता रखते हैं। श्रीमन्, हमने देखा है कि माननीय मंत्री ने माल मंत्री की हैसियत से प्रदेश में क्या भूमि सुधार किया है। चकबन्दी अपनाकर उसमें कितना सुधार किया है और पटवारियों की जगह लेखपालों का प्रादुर्भाव करके इस प्रदेश का कितना हित किया है। लिहाजा हम उनसे भलीभांति परिचित हैं और वे हम से भलीभांति परचित हैं।

श्री चरणसिंह---अब आस्तीन को ऊपर चढ़ाने की गुंजायश नहीं रही।

श्री अवधेश प्रतापसिंह---श्रीमन्, दोष केवल हम दोनों का यह है कि मैं यह समझता हूं कि वे क्रोधित हो रहे हैं और वे समझते हैं कि मैं अपना संतुलन खो रहा हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि हम दोनों अपनी जगह पर अडिग हैं।

माननीय मंत्री ने जहां मुर्दों के लिये इंतजाम किया है, मैं समझता हूं कि उनको जिन्दों के लिए भी कुछ करना चाहिये। जो सिपाही मार डाला जाय उसके लिये तो हमदर्दी है, लेकिन सरकार अभी भी यह नीति नहीं अपना सकी है कि डी० एस० पी० या एस० पी० अगर मारा जाय तो क्या उसके लिये भी वही प्राविजन होगा। उसके लिये सरकार को सोचने का मौका होना चाहिये।

पुलिस, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें भ्रष्टाचार है, मैं समझता हूं कि उसकी ज्यादा जिम्मेदारी उस तरफ के लोगों पर है। अगर मंत्री जी उनकी तनख्वाहें बढ़ा दें, उनको सुविधायें दें तो यह दूर हो सकता है। पुलिस की मनोवृत्ति में कोई अंतर नहीं हुआ है और मेरे दोस्त कह रहे थे कि ७५ चौधरी साहब भी आयें तो भी वह तब्दील नहीं हो सकगी। मेरी मुश्किल यह है कि एक चौधरी को समझने में तो यह कठिनाई है, अगर इस प्रदेश में ७५ हो जायंगे तो नातका बंद हो जायगा। (हंसी) श्रीमन्, माननीय मंत्री महोदय मेरे दोस्त को चैलेंज कर रहे थे कि यह कहां है? हम बजट स्पीच देने के लिये क्या पूरे सूबे का व्योरा लेकर यहां आये हैं? मैं कहना चाहता हूं कि जिस जगह पुलिस पहले जैसी थी वैसी ही आज भी है। डी० एस० पी० कंप्लेन्ट्स जो जिले में नये अफसर बनाये गये हैं, मैं समझता हूं कि वे करप्शन दूर नहीं कर पाये हैं।

मेरे दोस्त जज साहब फरमा रहे थे कि असलहा ज्यादा दिये जांय, लिबरली दिये जांय। ब्रिटिश हुकूमत में कहा जाता था कि असलहा बिना लाइसेंस के दिये जायं। लेकिन यह हुकूमत १९३७ में रही और फिर १९४७ से आज तक चल रही है, फिर भी लाइसेंस देना कलेक्टर साहब एक अहसान करना समझते हैं। कई एम० एल० एज० को लाइसेंस दिलाने के काम से ही फुरसत नहीं मिलती। जब तक १०० रुपया सब-इंस्पेक्टर को न दिया जाय उस आदमी का चरित्र अच्छा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

नहीं होता। तहसील में हैसियत हैसियत नहीं मानी जाती जब तक कि वहां घूस न दी जाय। तो भले ही जज साहब के यहां ऐसे गांव हों कि जिनमें काफी असलहा हों, हमारी तरफ तो आप भी श्रीमन् जानते हैं, उसी जिले से आते हैं, असलहा हैं ही नहीं और अगर दिये भी जाते हैं तो उनको जिन्हें मिलना नहीं चाहिये। पुराने हिस्ट्री शीटर्स जो हैं वे असलहा पाते हैं, नेक आदमी नहीं पाता इसलिये कि वह निर्धन है, वह घूस नहीं दे सकता। मैं तो कहता हूं कि देहातों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको सन् ६२ का इलेक्शन लड़ने के लिये चन्दा दे देंगे अगर उनको असलाह दे दिये जायं। मैं यह जानता हूं कि माननीय गृहमंत्री जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं, वे सुनते भी हैं जब वे सुनना चाहते हैं। श्रीमन्, उस आदमी को जगाया जा सकता है जो आदमी सो रहा हो, मगर जो आदमी सो न रहा हो, केवल सोने का बहाना ही कर रहा हो, उस आदमी को नहीं जगाया जा सकता। माननीय मंत्री जी उन व्यक्तियों में से हैं जो प्रदेश की परिस्थितियों से भलीभांति परिचित हैं।

श्रीमन्, मैं एक बात और इस सरकार से कहना चाहता हूं। आज सरकार एक प्रश्न के उत्तर में यह कह चुकी है कि कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भ्रमात्मक प्रचार करते हैं तथा ऐसी रूपरेखा खड़ी कर रहे हैं जिससे सतर्क रहने की तथा वैधानिक कार्यवाही करने की जरूरत है और सरकार उसे कर रही है। मैं यह जानना चाहूंगा कि कितने कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने भ्रमात्मक प्रचार किया है, जो भारत के हित में नहीं हैं? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अगर यह सत्य है तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की? अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? मैं समझता हूं कि मुल्क के साथ, चाहे कोई भी हो, उसकी जिन्दगी के साथ, कोई भी खिलवाड़ नहीं करेगा, उसकी जिन्दगी से कोई नहीं खेलेगा। मैं ऐसा समझता हूं।

श्रीमन्, यह भी कहा गया कि साम्प्रदायिकता बढ़ती जा रही है और इसको रोका जाना चाहिये। इस सरकार से मैं यह कहना चाहता हूं कि वह यह न भूले कि उसने केरल में इलेक्शन को जीतने के लिये मुस्लिम लीग के साथ गठबन्धन किया। वहां तो आपने उसके साथ समझौता किया, लेकिन अगर आपने मुस्लिम लीग को उत्तर प्रदेश में जीवित किया तो एक खलीकुज्जमां नहीं अनेकों खलीकुज्जमां पैदा हो जायेंगे। इसलिये इस ओर सतर्क रहने की आवश्यकता है। मैं यह महसूस करता हूं कि गृह मंत्री ऐसे ही मजबूत आदमी को होना चाहिये जो इस प्रकार के एलीमेंट्स को दबा सके। मुस्लिम लीग के लिये आज न इस प्रदेश में जगह है, न इस देश में जगह है, उसके लिये केवल पाकिस्तान में ही जगह हो सकती है।

कुछ झगड़ों के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। बहुत सी जगह कम्युनल फीलिंग्स बढ़ गयी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके लिये जिम्मेदार हैं और वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। चाहे कोई भी सरकार हो, मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी इसे क्रोध न समझें, उसे मुस्लिम लीग से सतर्क रहना होगा। श्रीमन्, आपकी जो एन्टी करप्शन ब्राडी है उसका संबंध एडमिनिस्ट्रेशन से रहता है। वह कमेटियां करप्शन के मामले में जांच करती हैं। आपने इसके लिये डी० वाई० एस० पी० कम्पलेंट्स को नियुक्त किया है जो इसमें कतई कामयाब नहीं हुआ है। पुलिस में सभी बेईमान नहीं हैं। मैं यह भी मानने को तैयार नहीं हूं कि सभी ईमानदार हैं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि उन्होंने कितने ऐसे केसेज हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही की?

श्री चरणसिंह—आप तो कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्यों किसी के खिलाफ कार्यवाही की जाय?

श्री अवधेशप्रताप सिंह—मैं देखता हूं कि जब माननीय मंत्री जी इस मेन्टेलिटी के हैं तो क्या कहूं।

श्रीमन्, हमारी मजबूरी यह है कि हमको चोरी, डकैती और राहजनी आदि के जो आंकड़े दिये जाते हैं वह सब गलत होते हैं, सही नहीं होते। हर मननीय सादस्य, चाहे वह इधर बैठता हो

या उधर बैठता हो, यह जानता है कि पुलिस में रिपोर्ट सही नहीं लिखी जाती। मैं यह भी मानता हूं कि सब लोग रिश्वत नहीं लेते। मगर यह कहना कि पुलिस बदली है, गलत है। जब सन् ३७ के बाद में पुलिस न बदली और सन् ४७ के बाद भी पुलिस नहीं बदली तो इन ४ महीनों में पुलिस कैसे बदल सकती है ?

श्रीमन्, अभी एक माननीय दोस्त बतला रहे थे कि पुलिस फोर्सेज बहुत कम हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि पुलिस की तादाद बढ़ा देने से ही कोई फायदा होने वाला नहीं। केवल इसी से आप उनके प्रति और आस्था नहीं कर सकते। उनमें चरित्र होना चाहिए। उनका मारेल बढ़ाने के लिए यह अच्छा काम किया गया, उसके लिए मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। लेकिन मुझे शिकायत है इस कांग्रेस सरकार से कि यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मंत्री महोदय कह रहे हैं कि अगर यह पहले नहीं सूझा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन इसके लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। मैं यह जरूर चाहता हूं, जैसा कि माननीय सदस्य बता रहे थे कि इंसपेक्टर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं समझा कि डी० वाई० एस० पी० हैं, ए० एस० पी० हैं, बहुत सी जगह एस० एस० पी० हैं, बहुत सी जगह स्टाफ बढ़ा दिया गया, तो कम से कम ऐडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो जाना चाहिए था। मैंने यह भी सुना कि कोई ऐडीशनल आई० जी० होने वाले हैं, लेकिन इससे क्या फायदा ? टाप-हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन होता जा रहा है, लेकिन पुलिस थाने पर जाइये तो हमेशा यह शिकायत कि हर चीज के लिए जवाब मिलता है कि स्टाफ इतना कम है कि परिस्थितियों को कोप नहीं कर पाते। यह सच है कि सब-इंसपेक्टर के पास कम से कम २००, ३०० दरख्वास्तें इतवार के दिन भी मुतफर्रिक हुआ करती हैं और जहां तक आमदनी करने का सवाल है, वह होती रहती है, और फैसला कुछ नहीं, काम कुछ नहीं। सिर्फ फर्जी, जैसे कि लेखपाल अपने घर में बैठता है और खसरा लिखा करता है खेतों का, वैसे ही दारोगा जो थाने पर रहते हुए मौका हर जगह का लिखते हैं और नक्शा बनाकर तैयार रखते हैं। लिहाजा, इस तरह से काम नहीं चलेगा।

मैं एक चीज जरूर आपसे समयाभाव होते हुए भी कहूंगा, क्योंकि मंत्री महोदय को शिकायत है कि सुझाव क्यों नहीं आते हैं ? सुझाव तो तब आवें, जब कोई सुनने वाला हो। पहली चीज तो यह है कि अगर कोई आदमी जाता भी है, कुछ कहता भी है तो जिले में एक सिलसिला सा बना हुआ है। जो दारोगा कहता है, वही एस० पी० भी कहता है। सुबह से शाम तक चिल्लाये जाओ, कोई यह कोशिश नहीं करेगा कि तहकीकात अच्छी तरह से करा ले। अगर मंत्रीजी असलियत को जानना चाहते हैं तो सी० आई० डी० को स्ट्रेंगथन कीजिये, नहीं तो पुलिस को कुछ पता नहीं चल सकता और न थानेदार इस पोजीशन में है कि हर जगह तहकीकात कर ले। फिर तो पुलिस झूठी गवाही तैयार करती रहेगी।

जो सब से बड़ी चीज सरकार को करनी है, वह यह है कि जनता में एक भावना पैदा कीजिये, ताकि वह पुलिस की मदद करे। अभी यूनाइटेड किंगडम की बात करता हूं। वहां पुलिस को "बाबी" कहते हैं और हर दम मदद करने के लिये तैयार रहते हैं। आज आदमी मर जाता है, कत्ल किया जाता है और अगर कहीं दस गुंडे आमादा इस बात पर हो जायं तो पुलिस शहादत नहीं पाती। मैं एक पहलू नहीं देखता हूं। आप, देहातों में जो गुन्डा एलीमेंट है, शहर में भी होते हैं, उसको कर्ब कीजिये नहीं तो भले आदमी का देहात में रहना असम्भव हो रहा है।

श्री चरणसिंह—कैसे कर्ब किया जाय, उसके लिये सुझाव दीजिये।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—मन्त्री महोदय कहते हैं कि वह कैसे किया जाय ? आज तो यहां तक हो रहा है कि वह गुंडे चाहें तो गांव भर को मारें। अगर दारोगा पुलिस से कहा जाय कि उनको १०७, ११७ में बन्द करो तो हरगिज जिले में कोई सुनने वाला तैयार नहीं होता है। या तो फिर आप इंडियन पीनल कोड, सी० आर० पी० सी० बदलिये, वरना

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

यह तो फिर ऐसा ही नेशनल कैरेक्टर है। न मैं, न आप, १० दिन में, न १५ दिन में कुछ कर सकते हैं।

श्री चरणसिंह---असली बात तो वही है।

श्री अवधेशप्रतापसिंह---लेकिन गुंडों की कार्यवाहियों को रोकने की कोशिश तो कीजिये। यदि सब-इंसपेक्टर चाहे तो गुंडों का आतंक कम हो सकता है। लेकिन अगर घूसखोरी की बुनियाद पर दारोगा जी रहना चाहते हैं तो दिनोंदिन गुंडों का राज्य बढ़ता ही जायगा।

श्री अयोध्याप्रसाद आर्य (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस विषय पर मुझे बोलने का समय दिया। माननीय गृह मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। विरोधी पक्ष के महानुभावों के जो भाषण मुझे सुनने को मिले उनसे मुझे उस समय आश्चर्य हुआ जब कि एक माननीय सदस्य ने अंग्रेजों की गुलामी के समय के बजट की चर्चा करते हुये इस समय के बजट को अत्यधिक बताया, लेकिन उन्होंने बाद में यह भी कहा कि वेतन में वृद्धि होनी चाहिये। ऐसा विरोधाभास क्यों हुआ, यह मेरी समझ में नहीं आया। जब हम विधान सभा में आते हैं तो आवश्यक बातों की ही चर्चा यहां होनी चाहिये और इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि किस तरह से हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से किसी प्लेटफार्म पर अनर्गल बातें भी बोल दी जाया करती हैं उसी तरह से यहां भी कह दिया जाता है।

श्रीमन, राज्य में शांति और व्यवस्था कायम रखने के लिये पुलिस होती है। अगर उसका मैं थोड़ा सा दिग्दर्शन यहां करा दूं तो अनुपयुक्त न होगा। जिस वक्त अंग्रेजों की गुलामी का समय था उस वक्त गांव में अगर कोई कान्स्टेबिल भी चला जाता था तो लोग भय के मारे कांप जाते थे लेकिन अगर आज पुलिस कप्तान भी चला जाय तो लोगों में उसके प्रति भय की भावना नहीं होती। क्योंकि लोग जानते हैं कि यह स्वतन्त्रता के बाद की पुलिस है। स्वतन्त्रता के बाद जिस प्रकार से पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह जनता की रक्षा करे उसी प्रकार जनता का भी यह कर्तव्य है कि वह उचित बातों को पुलिस के कानों तक पहुंचाये। लेकिन देखा जाता है कि अगर किसी गांव में डकैती पड़ती है तो पास-पड़ोस के जिन लोगों के द्वारा डकैती कराई जाती है उनका नाम बतलाने के स्थान पर उनकी मदद की जाती है, उनकी जमानत की जाती है। इस तरह से प्रजातन्त्र का कैसे भला हो सकता है? इसलिये अगर पुलिस का कर्तव्य है कि वह शांति और व्यवस्था को कायम रखे तो हमारा कर्त्तव्य है कि हम उचित बातों को उसके कान तक पहुंचायें। प्रादेशिक सरकार की इच्छा है कि गांवों में शांति कायम हो और उसके लिये उसने कई एक विभाग खोले हैं। जैसे अपराध अनुसन्धान विभाग, कुत्तों का भी एक दल कायम हुआ है जिससे कई जगह अपराधों का पता लगाया जा सके और कई जगह सफलता प्राप्त भी हुई है। इसी तरह से राजकीय अपराध सूचना ब्यूरो है, प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबुलरी, सरकारी रेलवे पुलिस फोर्स, उत्तर प्रदेश अग्निशमन संस्था है, आदि आदि।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज एक थाने में केवल १०-११ पुलिसमैन रहते हैं और एक थाने के अन्दर सैकड़ों गांव रहते हैं। आप और हम सोचें कि उससे कम पुलिस से कैसे काम चल सकता है। मैं तो माननीय मन्त्री महोदय के सम्मुख यह सुझाव प्रस्तुत करता हूं कि पुलिस की संख्या में वृद्धि की जाय।

साथ ही एक चीज जो भ्रष्टाचार की कही जाती है इसमें कोई दो राय नहीं हैं लेकिन एक कहावत है कि जो पुराना मर्ज है वह थोड़ी सी औषधि से या कुछ दिनों में ही ठीक हो जाय, यह असम्भव सी बात है। यह बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे प्रदेश का पुलिस

विभाग एक ऐसे योग्य और कुशल गृहमन्त्री के हाथ में है। आज पुलिस के उच्च से उच्च कर्मचारी और छोटे से छोटे कर्मचारी के अन्दर यह भावना जाग्रत हो चली है कि उनके अन्दर इस बात की चिन्ता है कि अब उनको सम्भलना चाहिये।

जहां तक थाने की बात है, थाने में एक सब-इंसपेक्टर रहता है। वह चाहे ईमानदार हो या बेईमान हो, जैसा कि देहात में एक कहावत है--एक लकड़ी से सब को लोग हांकते हैं। अगर ईमानदार सब-इंसपेक्टर है तो भी लोग कहते हैं कि वह बेईमान होगा। अब आप सोचें कि एक व्यक्ति ऐसा है जो सच्चरित्र है, ईमानदार है, कार्यकुशल है, उसकी प्रशंसा करने की जगह उसका छिद्रान्वेषण करें, उसकी मुखालिफत करें तो उसके हृदय पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? ऐसी अवस्था में मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि आज भी हमारे प्रदेश में बहुत से ऐसे सब-इंसपेक्टर हैं जिनके अन्दर ईमानदारी है, कार्यकुशलता है और वे चाहते हैं कि गांवों के अन्दर चोरी डकैती, राहजनी, नकबजनी आदि बुराइयां न होने पावें। लेकिन वहां उनकी तारीफ करने की जगह हम आप ऐसे बहुत से नेता उनके पास गलत काम कराने के लिये पहुंच जाते हैं और जब वे अपनी ईमानदारी बरतते हुये गलत काम नहीं करते हैं तो उसकी शिकायत लेकर हम एस० पी० के पास पहुंच जाते हैं। जब एस० पी० भी नहीं सुनता है तो कलेक्टर के पास पहुंच जाते हैं और वहां के आई० जी० के पास और कभी-कभी मन्त्री महोदय के पास पहुंच जाते हैं। तो मैं कहूंगा कि ऐसे ईमानदार थानेदारों की इस प्रजातन्त्र में स्वराज्य मिलने के बाद कहां पूजा हो रही है उसका कहां मूल्यांकन हो रहा है? ऐसी अवस्था में माननीय मन्त्री जी से मेरा नम्र निवेदन है कि ऐसे थानेदारों की जो पूरी ईमानदारी और सच्चाई के बल पर काम कर रहे हैं उनकी सूची बनाई जाय तो उससे लाभ होगा। जो तरक्की भी की जाय वह उस सूची के लोगों को ही दी जाय और उन्हीं में से एस० पी०, डी० वाई० एस० पी०, आई० जी, और डी० आई० जी० सब बनाये जायें क्योंकि वह लोग ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन करने वाले होंगे। वही लोग मुख्य मुख्य स्थानों पर और गुप्तचर विभाग में उच्चाधिकारी बनाये जायं तो पुलिस विभाग का कल्याण होगा। इसका प्रभाव उन पर भी पड़ेगा जो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते से दूर चलते हैं, उनके अन्दर हृदय में भी भावना बनेगी कि ईमानदारी पर चलने का क्या असर होता है, वह भी सोचेंगे कि हम भी ईमानदारी से काम करें तो हम भी उच्च पदों पर पहुंच सकेंगे।

कुछ ऐसी बातें भी हैं, पता नहीं कहां तक सत्य हैं कि ऊपर से भी यह देखा जाता है कि अमुक थाने में कितनी डकैतियां और चोरियां हुई? जिन थानों में चोरियां और डकैतियां अधिक होती हैं उन पर थानेदारों की उन्नति की जगह अवनति की जाती है। लेकिन इससे हानि यह होती है कि जरायम को छिपाने के लिये रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। मैं चाहता हूं कि इस तरह का प्रतिबन्ध ऊपर से हटाना चाहिये ताकि सच्चाई के साथ चोरी और डकैतियों की रिपोर्ट लिखी जाने लगे। इससे कल्याण होगा और सही आंकड़ों को जानकर हम ठीक-ठीक व्यवस्था हर गांव में, थाने में, जिले में और प्रदेश में चला सकेंगे।

मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आज उन्होंने अपने पुलिस विभाग के लोगों के हृदय में यह भावना जागृत कर दी है कि वह ईमानदारी के साथ और जान को हथेली पर लेकर चोर और डकैतों का मुकाबला करें। यह इसलिये है कि उन्होंने उनके आश्रितों के लिये पेशन की व्यवस्था की है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस तरह से ड्यूटी पर सेवा में लोग मारे जांय उनको एकमुश्त रकम देना चाहिये ताकि कम से कम उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। इसके अलावा हर गांव में बन्दूक के लाइसेन्स की व्यवस्था होनी चाहिये। बहुत से ऐसे लाइसेन्सदार हैं कि उनके द्वारा बन्दूक के सदुपयोग की जगह उसका दुरुपयोग होता है। अच्छा हो कि बजाय इसके कि इन्कमटैक्स, सेल्सटैक्स और आय का प्रतिबन्ध लाइसेन्स देने में लगाया जाय, अच्छे ढंग के ईमानदार लोगों को लाइसेन्स दिया जाय।

[श्री अयोध्याप्रसाद आर्य]

जो कुछ पुलिस विभाग के सम्बन्ध में कहा जा रहा है वह ठीक है, आज स्थिति अच्छी है लेकिन लोग दत्तचित रहकर कार्य करें तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है। हमारे क्षेत्र के ग्राम कड़हवा बुजुर्ग में डकैती पड़ी। पुलिस वालों ने कई आदमियों को पकड़ा और चालान भी किया और मेरे क्षेत्र के एक गांव खडेसर में डकैतों ने गोली चलाई और उससे एक बुढ़िया का देहान्त हो गया और बन्दूक भी बरामद हुई है। इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल से ६ बार खड़ा हो चुका हूं, ऐसा न होना चाहिये कि बुड्ढे शेर का नम्बर ही न आवे। मैं तो जरूर बोलना चाहता हूं लेकिन नेता लोगों.....

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठ जायं, आप को भी समय मिलेगा।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन, छः छः बार खड़े होने पर भी.....

श्री उपाध्यक्ष—अगर आप बोलते रहेंगे तो जो समय मिलने वाला है वह भी नहीं मिलेगा।

श्री टीकाराम पुजारी—अगर आप कहेंगे कि निकल जाओ तो निकल जाऊंगा....

श्री उपाध्यक्ष—अब आप बैठिये।

*श्री हिम्मतसिंह—श्रीमन मैं पालीवाल जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं। साथ ही पुलिस विभाग के जो अच्छे-अच्छे कार्य हैं उनकी प्रशंसा भी करूंगा क्योंकि हर आदमी जो अच्छा कार्य करता है उसकी प्रशंसा भी की जानी चाहिये। बम्बई से सीतापुर को आने वाला १२ पेटी बारूद पकड़ा गया, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन उसको भेजने वाले और लाने वाले सब एक ही सम्प्रदाय के थे, तो वह किस लिये लाया गया और उसका क्या प्रयोजन था माननीय मन्त्री जी इसका उत्तर देने की कृपा करें।

श्रीमन्, पुलिस विभाग के वार्षिक कार्य-विवरण की जो पुस्तिका हमें मिली है उसमें परिवाद योजना का जिक्र है। इससे मालूम होता है कि बहुत सी शिकायतें आईं और उनमें अधिकतर पुलिस के ही खिलाफ निकलीं। आपकी आज्ञा से मैं इसकी कुछ पंक्तियां पढ़ देना चाहता हूं। इसमें लिखा है—"वर्ष के दौरान में उप-पुलिस अधीक्षकों (परिवाद) को ५,९१० मामले जांच के लिये सौंपे गये थे जिनमें से ४,६८३ मामले पुलिस विभाग तथा १,२२७ मामले अन्य विभागों के थे जबकि ऐसे मामलों की संख्या १९५९ में क्रमशः ५,३१५ तथा १,४२० और १९५८ में क्रमशः ५,४२४ तथा ९५७ थी। इनमें से पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध २,६८८ मामले घूसखोरी-भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में थे, ५८५ मामले बलात-घूस लेने (एक्सटारशन), १,२७१ मामले परेशान करने तथा ३८ मामले जानबूझकर प्रतिशोध की भावना से सम्बन्धित थे और अन्य विभागों के अधीनस्थ कर्मचारियों के विरुद्ध १,१६२ मामले घूसखोरी तथा भ्रष्टाचार के थे और ३२ मामले बलात घूस लेने (एक्सटारशन) के थे। इन श्रेणियों के अतिरिक्त पुलिस के विरुद्ध विविध प्रकार की १०१ शिकायतें और अन्य विभागों के कर्मचारियों के विरुद्ध २४ शिकायतें भी उप-पुलिस अधीक्षकों (परिवाद) को सौंपी गईं और उनके द्वारा उनकी जांच की गई। इन जांचों के परिणामस्वरूप १,४६७ मामले तत्वतः सही पाये गये, जिनके लिये १,८१४ कर्मचारियों को—१,५२२ पुलिस विभाग के और २९२ अन्य विभागों के—सजा दी गई।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आज भी थानों में प्रतिशोध की भावना मोजूद है। तो गांव का जो आदमी जाता है उसकी सही रिपोर्ट लिखा जाना कैसे सम्भव है? थाना डिवाई के अन्तर्गत अभी मार्च का किस्सा है। एक व्यक्ति रिपोर्ट लिखाने गया। लेकिन जो सही वाकया था उसको नहीं लिखा गया, और दूसरा लिखा गया जबकि घर में मार-पीट हुई और उसका सारा सामान ले लिया गया।

कहा गया कि जुर्म बढ़ रहे हैं। जुर्म बढ़ नहीं रहे हैं बल्कि जो जुर्म छिपे हुये थे वह प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि परिवाद योजना में आज गांवों के लोगों को शिकायत करने का मौका मिलता है। तो जो छिपे हुये जुर्म थे वह आज स्पष्ट हो रहे हैं। आज जनता की नेचर जुर्म कम करने की हो गई हो यह भी बात नहीं है क्योंकि कोई ऐसी योजना नहीं चलाई गई है। उसको कम करने का प्रयास किया जाना चाहिये। जनता जुर्म करती है, पुलिस का काम उसको रोकना है। जनता बढ़ रही है, जुर्म बढ़ रहे हैं लेकिन थाने कम हैं। इसलिये थाने बढ़ाये जाने चाहिये।

आज हम यह देखते हैं कि जो एफ० आई० आर० लिखी जाती है वह ठीक ढंग से नहीं लिखी जाती। आज सारा फौजदारी का मामला माल विभाग के खसरे और खतौनी पर आधारित रहता है। हमको एफ० आई० आर० लिखाने में गांव में ही सुविधा मिलनी चाहिये। जो प्रधान हों, गांव समाज के सेक्रेटरी हों वहीं से लिख कर जानी चाहिये। पुलिस में और दोनों का कम्बेरीजन फिर हो सकता है। अगर एफ० आई० आर० ठीक तरह से लिखी जायगी तो जो जुर्म करते हैं और पकड़े जाते हैं उनको पूरी तौर से जुर्म करने का दण्ड मिल सकेगा। वह दण्ड आज नहीं मिल रहा है जैसा कि इस पुस्तिका में दिया हुआ है कि होमिसाइड क्राइम्स की संख्या दर्ज हुई २१,५१७। २०,९४० का इंवेस्टिगेशन हुआ। ८,९९३ प्रासीक्यूट हुये। कोर्ट से ५,१०० कन्विक्ट हुये और १६,००० छूट गये। जुर्म करने वाला यह समझता है कि वह दो हजार देकर छूट जायगा। इसी हिसाब से थानों की नीलामी होती है। कोई ५०० पर, कोई हजार पर और कोई १५०० पर नीलाम होता है। इंवेस्टिगेशन पूरे तौर से नहीं होता इसके लिये पुलिस वालों से कोई जवाब-तलब करने वाला नहीं है। अगर माननीय मन्त्री सख्ती से काम लेंगे तो मुकदमों का इंवेस्टिगेशन ठीक तरह से हो सकेगा और पुलिस फिर ईमानदारी से काम करने लगेगी। आज हम देखते हैं कि इंवेस्टिगेशन ठीक तरह से नहीं हो पाता है क्योंकि उनके पास आने-जाने के साधन नहीं हैं। डकैती जब पड़ती है तो डकैतों पर बड़े से बड़े और अच्छे से अच्छे हथियार होते हैं, मोटर उनके पास होती है लेकिन पुलिस वालों के पास केवल घोड़ा वगैरह ही होता है। दो-दो जीपें बी० डी० ओ० के पास होती हैं लेकिन पुलिस वालों के पास कुछ नहीं। अगर एक जीप पुलिस वालों को भी दे दी जाय तो थानेदार मौके पर पहुंच कर इंवेस्टिगेशन ठीक से कर सकता है। जितनी देर होती है उतनी देर में इंवस्टिगेशन खराब होता है। जो सच्चे गवाह हैं, वे टूट जाते हैं और थानेदार अगर मिल गया तो फिर जो जी में आता है किया जाता है।

इंवेस्टिगेशन तथा रक्षा दोनों महकमे अलग होने चाहियें जिससे इंवस्टिगेशन ठीक तरह से पुलिस कर सके। इंवेस्टिगेशन करने के लिये थानेदार को कम से कम एल० एल० बी० होना चाहिये। कहीं साइट गलत दिखला दी जाती है। कहीं मौके का नक्शा नहीं होता है जिससे इंक्वायरी में सामंजस्य नहीं होता। थाने में झूठे आदमियों को फंसाने के लिये एजेन्ट मौजूद हैं और उन्हीं के द्वारा उनको छोड़ा जाता है।

इसके अलावा आज साम्प्रदायिकता की जो भावना बढ़ रही है जिससे झगड़े होते हैं इसके लिये भी पुलिस का कर्तव्य है कि मौके पर जा कर तहकीकात करे। उसको रोकने के लिये यही तरीका है कि अधिकारी वर्ग सतर्क रहे। साम्प्रदायिक झगड़े क्यों होते हैं इसके लिये मन्त्री जी से बार-बार यह प्रार्थना की गयी थी कि एक कमीशन बैठाया जाय जो उसके कारणों की जांच

[श्री हिम्मतसिंह]

करे । मंत्री महोदय अगर बिठालेंगे तो मालूम पड़ जायगा कि साम्प्रदायिक दंगे क्यों होते हैं । कहते हैं कि अखिल भारतीय जनसंघ दंगे कराता है । यह बिलकुल असत्य और मिथ्या है । आज कोई भी बता दे कि इन साम्प्रदायिक दंगों में एक भी भारतीय जनसंघ का आदमी या चवन्नी का मेम्बर भी पकड़ा गया हो । जब चवन्नी का मेम्बर भी नहीं पकड़ा गया तो फिर यह कैसे कहा जाता है कि जनसंघ दंगे कराता है ? लखनऊ से अगर एक महिला गुंडों द्वारा भगा कर सुल्तानपुर ले जायी जाती है और उसकी रिपोर्ट पुलिस में की जाती है तो उसकी कोई सुनवायी नहीं होती । हे दीनदयाल भगवान, तुम्हीं मालिक हो । मैं तो मंत्री जी से कहता हूं कि उनको, हमारी और जनता की रक्षा कैसे होगी । अगर कोई महिला सिनेमा जाती है और जबरदस्ती उसको कार में डाल दिया जाता है और वह केस छूट जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किस पर है ? जनता पर है या पुलिस के ऊपर है ? लेकिन अगर आज जनता किसी अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन करती है तो कहा जाता है कि साम्प्रदायिकता है । मंत्री जी स्वयं जानते हैं कि कौन क्या करता है । जालौन में डकैती पड़ती रही, पुलिस को फोन भी किया गया लेकिन मौके पर कोई नहीं पहुंचा । औरंगाबाद थाने के अन्तर्गत ६ बजे ठीक बाजार बन्द हो जाती थी लेकिन एस० पी० की मेहरबानी से कुछ पुलिस के सिपाही वहां भेज दिये गये जिसकी वजह से अब बाजार काफी देर तक खुली रहती है । तो अगर हमारे अधिकारीगण सतर्कता बरतेंगे तो मामले वहीं के वहीं रुक जायंगे, आगे नहीं बढ़ पायेंगे । जनता में जागृति हो गयी है, वह अपना काम करेगी, आपको अपना काम करना है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय पालीवाल जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि बड़ी मेहनत करने के बाद मुझे यह कीमती टाइम मिला है । ऐसी अहम मद पर बोलते हुये मैं यह उचित समझता हूं कि एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री श्री स्मिथ की बात से अपना भाषण आरम्भ करूं । उनका कहना है—

"Security of property is essential to prosperity. Its absence is most adverse to wealth production."

मैं समझता हूं कि उनका यह कहना अक्षरशः सत्य है । जिस सोसाइटी में शान्ति न हो, जिस सोसाइटी में गारंटी न हो कि हर आदमी सुरक्षित है उस सोसाइटी में पैदावार या उस सोसाइटी की तरक्की कभी नहीं हो सकती, इसमें दो राय नहीं हो सकतीं । जहां तक वर्तमान पुलिस सिस्टम का संबंध है, मैं समझता हूं कि कई दफा सन् १८५८ से ले कर आज तक बहुत से कमीशंस बैठे, कमेटियां बैठीं और तमाम विचारकों और विशेषज्ञों ने अपनी राय दीं और इस सब के आधार पर उसमें सुधार लाने की कोशिश की गयी । लेकिन फिर भी हमारे प्रदेश या देश में पुलिस का कोई ऐसा रूप नहीं आ सका जिससे कि जनता और पुलिस के बहुत ही निकट सम्बन्ध हो सकते । फिर भी जो सरकारें हैं वे अपनी जगह पर बराबर कोशिश कर रही हैं ।

मैं पुराने जमाने के पुलिस सिस्टम की तरफ जब देखता हूं तो उपाध्यक्ष महोदय मेरे सामने एक बात आती है । जो इस वक्त हमारा पुलिस का ढांचा है उसमें एक बड़े ताज्जुब की बात यह है कि पुलिस अधिकारी जुर्म के लिये जिम्मेदार नहीं है । कोई पुलिस आफिसर मुकर्रर कर दिया जाता है किसी इलाके में, लेकिन उसके ऊपर यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह जुर्म का पता लगावे या न लगावे । आजकल डेमोक्रेसी में यह खासकर टेंडेंसी हो गयी है कि टालने का बहाना ले लिया जाता है और नौकरी को सुरक्षित रखकर काम किया जाता है चाहे हित हो या न हो । मैं एक किताब पढ़ रहा था और उस जमाने की पढ़ रहा था जब कि चन्द्रगुप्त मौर्य का राज्य था । उस समय यह था कि ताले मकानों के खोलकर रखे जाते थे और कोई जुर्म नहीं होता था । इसके माने बहुत अच्छा पुलिस का प्रशासन था और उन जमाने के पुलिस के

सिस्टम को हमें देखना चाहिये। उस जमाने में पुलिस का क्या तरीका था ? माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं। मैं उस पुस्तक में से एक वाक्य पढ़ना चाहता हूं :—

"The practice of the State being responsible through its officers for the loss of goods is advocated by early law-givers. Apastambha says that the officers appointed to look after villages and towns must be made to pay what is stolen within their jurisdiction. Likewise, Gautama says that if the stolen property is not recovered the State shall pay its value out of the treasury."

मैं यह समझता हूं कि यह तरीका किसी बेवकूफी पर आधारित नहीं था। इससे एक लाभ अवश्य होगा कि इस तरह का सिस्टम लागू करने से जो पुलिस अफिसर्स हैं उनकी जिम्मेदारी हो जाती है और अगर वह सतर्क नहीं रहेगा और जुर्म को परसू नहीं करेगा और पता नहीं लगायेगा तो उसके ऊपर इस तरह की पिनाल्टी हो सकती है। आजकल जो हमारे मौजूदा मंत्री हैं, वे सब जगह से सब सकसेसफुल हो कर आये हैं और अब टेस्ट पर हैं क्योंकि पुलिस विभाग ऐसा है जिसमें कोई भी ज्यादा परिवर्तन नहीं ला सका। हमें उम्मीद है, सदन के लोगों को भी और जनता को भी उनसे उम्मीद है कि वे ऐसा तरीका लागू करेंगे। सब जगह नहीं तो कम से कम एक या दो थानों में लागू करके देखें। मैं समझता हूँ कि जब तक पुलिस आफिसरों पर जिम्मेदारी नहीं छोड़ी जायेगी यह जो जरायम दबाने का तरीका है वह सफल नहीं हो सकता। चाहे आप बरख्वास्त करते रहिये और रोज बरख्वास्त होते भी हैं। लेकिन जब आप इस सिस्टम को, जो हमने अभी आपके सामने रखा है, लागू करें, तभी यह हो सकता है कि प्रदेश और देश का कल्याण हो।

(इस समय ३ बजकर ५८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

दूसरी बात यह है कि उस जमाने में यह भी था कि पुलिस का जो आर्गेनाइजेशन था वह बहुत ही मजबूत और बहुत ही विशाल रहता था। हम आज पुलिस पर मौजूदा बजट में बहुत कम रुपया खर्च करते हैं और फिर हम उनसे उम्मीद करते हैं कि व पूरी जिम्मदारी के साथ हमारी रक्षा करें यह असम्भव सी बात है। उस जमाने में भी जो इतिहास मिलता है उसमें यह था कि पुलिस विभाग में तीन मिनिस्टर्स होते थे, और उनके ऊपर सारी जिम्मदारी होती थी। इससे यह जाहिर होता है कि पुलिस के तीन विभाग होते थे सी० आई० डी०, इन्वेस्टीगेशन और सिक्योरिटी। इतना बड़ा आर्गेनाइजेशन उनका होता था और गांव-गांव में जगह-जगह में उनका फैलाव होता था। साथ-साथ जो बात मालूम होती है वह यही होता है कि जैसा मैं पढ़ता हूं:—

"It is probable that the Commissioners were doing police duty, as the term is now understood, and that their duty was restricted to a particular class. Elsewhere we find that the detection of thieves and evil characters was done by the City Superintendent with his army of spies, and by a special Commissioner (Pradeshtri) assisted by *gopas* and *sthanikas*".

इसके माने यह हैं कि उस समय के जो रेवेन्यू आफिसर्स थे जिनको स्थानिकाज कहा जाता था वह भी पुलिस कमिश्नर की तरह से जिम्मदार होते थे और क्राइम को दूर करने में पुलिस की मदद करते थे। लेकिन आज हमारे यहां आर्गेनाइजेशन दूसरी तरह का है। जिले के लेविल पर डी० एम० को एस० पी० के ऊपर कुछ ज्यादा अखतियारात दे रखे हैं। इससे वह अपने को सुपीरियर समझता है और एस० पी० को इंफीरियर समझता है। उस समय सुपरिटेंडेंट पुलिस की पोजीशन बहुत अच्छी हैसियत रखती थी और इसके नीचे दूसरे स्टेटस के आफिसर्स रहते थे। मैं समझता हूं कि प्रश्न पर भी आज गौर करना होगा तभी यह हो सकता है कि आज जो भावना प्रजा में फैलती जा रही है उसको दूर कर सकें।

सबसे बड़ी जरूरी चीज यह है कि हमारी सरकार को भी स्पाइज के जाल को फैलाना है और मंत्री जी को खास किस्म के स्पाइज रखने पड़ेंगे। सारे प्रदेश में इनका एक जाल बिछाना

[श्री रामेश्वरप्रसाद]

होगा । जरूरत इस बात की है कि क्राइम होने से पहले ही उसको रोक दिया जाय । मैं समझता हूं कि यह सुरक्षा की सबसे अच्छी सीढ़ी है और इससे फायदा भी हो सकता है । स्पाइज का जाल फैलाने के लिये पैसे की जरूरत होगी । हमारे मंत्री जी घबरायें नहीं कि गुप्त जी आये हैं और वह इकोनोमी ड्राइव चला रहे हैं, इसलिये वह पैसा नहीं देंगे । अगर प्रदेश में स्पाइज का जाल फैला दिया गया और आपके इंफार्मेशन के सोर्सेज इतने अच्छे हो गये कि बदमाशों की पूरी रिपोर्ट आपको मिलने लगे तो जुर्म कम होंगे फिर आपको कोर्ट्स कम रखने होंगे । इसलिये कोर्ट्स का खर्चा बचेगा और जेल का खर्चा भी कम हो जायगा । इसको आप यहां खर्च कर सकते हैं । इसलिये आपको पैसे के लिये बाहर से मांग नहीं करनी पड़ेगी । मैं समझता हूं कि इस पर अवश्य गौर करना चाहिये ।

इसके साथ ही साथ कभी-कभी आलोचकगण यह भी कह देते हैं कि हमारे प्रदेश में काफी पुलिस हैं । लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे यहां पुलिस बहुत कम है । मैं इसको एक चार्ट के द्वारा बताना चाहूंगा । मदरास में एक पुलिसमैन की देखरेख में १,०७० आदमी आते हैं, वेस्ट बंगाल में १,०४२, पंजाब में ९१३, बम्बई में ५००, कानपुर में ४५०, मदरास शहर में ४३८, बम्बई शहर में २०३, लंदन में १७५, इटली में १८३ और उत्तर प्रदेश में ९८३ । इससे लाने हैं कि दो एक जगह को छोड़कर सबसे ज्यादा नम्बर आदमियों की देखरेख का हमारे यहां के पुलिसमैन पर पड़ता है । फिर कैसे यह संभव हो सकता है कि हम उम्मीद करें कि एक पुलिसमैन प्रदेश के रहने वालों के लिये अपनी पूरी सेवा दे सकता है ? यह असम्भव सी बात है ।

इसके साथ ही साथ मैं मंत्री जी का ध्यान शिकायती योजना की ओर ले जाना चाहूंगा । पुलिस की यह पीली रिपोर्ट बड़ी है । मुझे देखकर ऐसा लगा कि शायद यह शिकायती योजना गजटेड आफिसर्स पर लागू नहीं होती है । मुझे खुशी होती अगर इसमें दिखाई देता कि सुपरिंटेंडेंट और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के ऊपर भी कार्यवाही हुई होती लेकिन इसमें यह कहीं नहीं दिखाई देता । क्या मैं यह मान लूं कि एस० पी०, डी० एस० पी० यानी ऊपर के आफिसर्स तमाम दूध के धोये होंगे और नीचे के बदमाश । मैं समझता हूं कि सबकी जानकारी है कि तमाम कप्तान दारोगाओं से रिश्वत लेते हैं इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं । उनको (मंत्री जी को) भी जानकारी है, मेरी भी जानकारी है । लेकिन किसी मिनिस्टर की यह हिम्मत न हुई हो यह बात दूसरी है । माननीय मंत्री जी ने जैसे ही इस विभाग को अपने हाथ में लिया, मैंने अखबारों में पढ़ा था कि उन्होंने किसी एस० पी० को मुअत्तल कर दिया था । अगर इसी तरह से वह वाच करेंगे तो अपने प्रदेश की पुलिस का फ्युचर अच्छा है । उससे यह होगा कि पुलिस कप्तान का कान पकड़ा जायगा । सारी बातों की उसकी डाइरेक्ट जिम्मेदारी पुलिस मंत्री के प्रति होनी चाहिये । आई० जी०, डी० आई० जी० के द्वारा बातचीत नहीं होनी चाहिए । वह खुद पूछे कि तुम्हारे यहां इतने जुर्म क्यों बढ़ रहे हैं और इतनी शिकायतें क्यों आ रही हैं ? अगर ऐसा होगा तो पुलिस में काफी रिलीफ आयेगी । इसके साथ ही साथ यह सर्वमान्य है, जो हमें किताब मिली है उसके देखने से पता चलता है कि जितनी शिकायतें डी० एस० पी० कम्प्लेंट्स ने सन् १९६० में की हैं उनमें ७९ प्रतिशत पुलिस की पायी गयी हैं । इस ओर जरूर ध्यान देना होगा ।

इसके साथ ही साथ, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमको पुलिस का खर्चा बढ़ाना होगा । अगर हम पुलिस का खर्च न बढ़ाएंगे तो हमें एफीशियेंसी की भी उम्मीद नहीं करनी चाहिये । हमारा प्रदेश पुलिस पर सबसे कम खर्च कर रहा है—एक रुपया ५४ नये पैसे पर कैपिटा हमने १९६० के बजट में खर्च किया, जब कि बाम्बे में २ रुपये ५० नये पैसे और बंगाल ने २ रुपये ४४ नये पैसे तक खर्च किया । तो हमें इस खर्च को बढ़ाना होगा । अगर नहीं बढ़ाएंगे तो हम अच्छी बातों की उम्मीद नहीं कर सकते ।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सौभाग्य है कि मैं पुलिस कमीशन के सामने गवाही में पेश हुआ था । पुलिस कमीशन १६० प्रश्नों पर विभिन्न पहलुओं से विचार कर रहा है और बड़ी

मेहनत से विचार कर रहा है । मैं उनका बड़ा आभारी हूं कि कई उनकी इंटरिम रिपोर्टें आयी हैं उनमें उन्होंने कई ऐसे अहम प्रश्नों पर मेरी इस नाचीज की भी राय मानी है । इसके लिए मैं उनका आभार अवश्य प्रदर्शित करना चाहता हूं । मैंने कहा था कि पुलिस का सुरक्षा का काम और इनवेस्टीगेशन ब्रांच अलग अलग होना चाहिए । मैं समझता हूं कि कमीशन भी इस सिफारिश को मान रहा है । अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निश्चित मत है कि एफ० आई० आर० लिख जाने के बाद अगर वह एफ० आई० आर० इनवैस्टीगेशन करने वाली किसी दूसरी ब्रांच को दे दी जाय तो जितनी शिकायतें हैं वह दूर हो जायंगी ।

अध्यक्ष महोदय, यह जो किताब बटी है इससे पता चलता है, जैसा कि माननीय हिम्मत सिंह जी ने कहा था, कि इतने अधिक अपराध पुलिस द्वारा चालान किये गये और अदालतों से कनविक्शन बहुत कम हुए । तो यह सोचने का एक गम्भीर प्रश्न है इस सदन के लिए और माननीय मंत्री जी के लिए कि इतने कम परसन कन्विक्ट हुए हैं । इसमें दो ही बातें हो सकती हैं । या तो झूठा चालान हुआ हो, इसलिये अदालतों ने उनको छोड़ दिया हो । या दूसरी बात यह हो सकती है कि पुलिस ने चालान किसी तरह से अपनी जान बचाने के लिए कर दिया, जैसा कि आजकल पुलिस की टेंडेंसी ग्रोअप हो गई है कि अगर क्राइम हुआ तो उन्होंने चालान तो कर दिया और कहा चलो अदालत से छूट जायगा तो मेरा क्या नुकसान उसमें है और ढिलाई बरतते हैं पैरवी में । तो मैं समझता हूं कि गम्भीरता से इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए और इसके लिए कोई न कोई व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए ।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय पालीवाल जी ने रखा है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं । श्रीमान्, मैंने माननीय मंत्री जी का भाषण बड़े गौर से सुना और उन्होंने जैसा कहा कि यह पुलिस का जो बजट है यह जैसा पहले था वैसा ही है, उसमें कोई नई चीज वह नहीं रख रहे हैं और उन्होंने यह कहा कि अगर माननीय सदस्य कोई सुझाव दें या उसका विरोध करें या कोई चीज बतलायें जो मानने लायक हो तो उसके ऊपर वह गौर करेंगे । मैं आपके द्वारा कुछ चीजें उनको बताऊंगा ।

श्रीमन्, पुलिस का बजट तो बढ़ता जाता है लेकिन जो इन्तजाम है और जो सुरक्षा है हमारे प्रान्त की, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है । आज लखनऊ में या और शहरों में तो आप चलते फिरते नजर आते हैं, लेकिन अगर आप देहात में चलें श्रीमन्, तो मैं अपने जिले की बात बताऊं जिसके लिए कि मैं भवन में नियम ५२ के अन्तर्गत सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न भी रख चुका हूं हमारे जिले में यह हालत है कि दिन दहाड़े डकैतियां पड़ती हैं । चार-चार पांच-पांच ऐसी डकैतियां पड़ जायं और वह भी तब जब कि इसके पहले जो पुलिस मंत्री थे उनको मैं लिखित प्रार्थना दे गया था कि पी० ए० सी० का प्रबन्ध जालौन में नहीं किया गया तो उस क्षेत्र में जो कि मध्य भारत से मिला हुआ है वहां ऐसी सम्भावना है कि डकैतियां पड़ेंगी, तमाम लोग उससे परेशान होंगे, यह मैंने उनको लिखित दिया था । उनके बाद जब नये माननीय मंत्री जी आये तो उनको भी मैं उसकी कापी दे आया था । लेकिन श्रीमन्, इन्तजाम नहीं हुआ । हमारे यहां की जनता आज दुखी है । उनका यह हाल है कि फसल खड़ी है और वह काटने नहीं जा सकते डर के मारे क्योंकि उनके पास डाकुओं के लिखित पत्र आये हुए हैं कि हम तुमको पकड़ ले जायंगे । तुम इतना रुपया दो वरना मार देंगे । इस तरीके की चीजें वहां चल रही हैं । बात असल में यह है कि पुलिस का बजट तो बढ़ता जाता है लेकिन जिले के स्तर पर उतनी ही पुलिस हम आज भी देखते हैं जितनी पहले थी । देहातों में जो थाने हैं एक-एक थाने में सौ सौ गांव लगे हैं । अब आप समझिये कि एक थानेदार जहां ऐसी हालत हो, सौ-सौ गांवों का क्या प्रबन्ध कर सकेगा ? देहातों से टैक्स तो सबसे ज्यादा लिया जाय लेकिन उसकी सुरक्षा का इन्तजाम यह है कि लाइसेंस भी मिलने में दिक्कत । तो श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार इन्तजाम जो करना चाहे करे । मुझे प्रसन्नता है कि मैं आई० जी० से मिला और मंत्री जी को सुझाव दिया ।

[राजा वीरेन्द्रशाह]

उसका यह फल हुआ कि आई० जी० वहां गए और उन्होंने स्वयं निरीक्षण किया । उन्होंने यह माना कि यहां विशेष इन्तजाम होना चाहिए और वह इन्तजाम कर आये । मुझे इसकी प्रसन्नता है । लेकिन जिस तरह का इन्तजाम आज वहां हुआ है वह बहुत पहले ही हो जाना चाहिये था । तब यह हालत वहां की न होती ।

हमें दुख इस बात का हुआ कि माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि डकैतियां तो पड़ती ही हैं और पड़ती रहेंगी । लेकिन, अगर माननीय मंत्री जी चाहें और इस तरफ ध्यान दें तो यह सब चीजें बन्द हो सकती हैं । हमारे यहां के डी० आई० जी० साहब कानपुर में डटे रहते हैं । मैं यह कहता हूं कि जो उस रेंज के मालिक हैं और जिनके एरिया में इस तरह की विशेष स्थिति पैदा हो रही है उनको क्या केवल वहां तब जाना चाहिये जब बुलाया जाय ? उनका तो स्वयं यह कर्त्तव्य है कि वह प्रबन्ध ऐसे क्षेत्र में करें बजाय शहरों में पड़े रहने के । शहरों के लिये बहुत प्रबन्ध मौजूद है । हमारे जिले में तो यह हाल है कि वहां जो एस० पी० साहब हैं उनको राजनैतिक दलों के झंझटों के कारण फुरसत नहीं मिलती । कभी कोई झगड़ा कर दिया गया और कभी कुछ झंझट हो गया और कहीं कोई जलूस निकल रहा है, कहीं कोई साम्प्रदायिक दंगा हो गया । इन सब झंझटों के कारण उनको फुरसत नहीं मिलती है कि वह डाकुओं के इलाके में जायं और वहां की देखभाल करें । इसलिये मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि या तो एडीशनल एस० पी० वहां के लिये रखें जो देहाती क्षेत्र को देखें या फिर उनके लिये डी० आई० जी० रहें जो वहां के ला एन्ड आर्डर को देखें और देहात की सुरक्षा का प्रबन्ध करें ।

जब सरकार यह चाहती है कि गांव में अन्न अधिक पैदा हो, और वहां पर अमनोअमान रहे तो सरकार के लिये यह जरूरी है कि उन लोगों की सहायता की जाय और वहां पर जो चोरी वगैरह होती है उनको बन्द किया जाय । मैं यह तो देखता हूं कि रेडियो, यन्त्र, गाड़ी और मोटर में खर्च हो रहा है लेकिन जिले के स्तर पर पुलिस का वही हाल बना हुआ है । सौ-सौ गांवों पर एक थाना है । थानेदार चोरी होने के महीने भर बाद देखने के लिये पहुंचता है । कोई चोरी पकड़ी नहीं जाती है । हमारे यहां कितनी चोरी हुई है वह पकड़ी नहीं गई । उसका कारण यह है कि अंग्रेजी जमाने में जो नियंत्रण था वह आज हमारे देश में नहीं है । अगर यह कह दिया जाय कि तुमको सजा होगी यदि तुम्हारे इलाके में डाका पड़ेगा, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि डाके कम हो जायेंगे । माननीय मंत्री जी को यह कहना होगा कि अब डाके नहीं पड़ेंगे और गांव की सुरक्षा का प्रबन्ध किया जायगा और अवश्य किया जायगा । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी यदि विश्वास रखें तो डाके नहीं पड़ेंगे और चोरी भी नहीं होगी । तभी हम लोगों को उत्साह होगा । मंत्री जी इन्तजाम कर रहे हैं लेकिन यदि वे विश्वास के साथ चलें तो इसमें बहुत उनको सफलता प्राप्त हो सकती है ।

श्री चरणसिंह—बहुत से मामलों में जबान बन्द रखनी पड़ती है ।

राजा वीरेन्द्रशाह—आपको जबान खोलनी पड़ेगी और आपको सही बात कहनी पड़ेगी । जिले के अधिकारी और कामों में लगे रहते हैं और सुरक्षा के कार्य में कम रहते हैं । यही कारण है कि लोगों में सुरक्षा की भावना कम होती जाती है ।

मुकदमों में भी लोग छूट जाते हैं । उसका कारण यह है कि जितने भी प्लीडर सरकार की तरफ से रखे जाते हैं वह जिले के ही रखे जाते हैं । मेरा सुझाव है कि जब आप उनको ६, ७ सौ रुपये तनख्वाह देते हैं, तो आप अपने ही आदमी रखिये । जिले के आदमी को जिले में मत रखिये । जब एक आदमी उसी जिले का रखा जाता है और उसी जिले के मुकदमे उसके पास आते हैं तो उससे करप्शन बढ़ता है । यही वजह है कि ३०२ के केस छूट जाते हैं । कत्ल के जितने मुकदमे हमारे यहां थे उनमें से ५० फीसदी छूट गये । उसका कारण हम यही समझते हैं

कि उनके लोकल होने की वजह से वैसा हुआ क्योंकि वह इतने प्रभावित हो जाते हैं जिससे पूरी दिलचस्पी नहीं ले पाते । जब आप इतना रुपया देते हैं तो बहुत से वकील मिल सकते हैं जो दूसरे जिलों से आकर काम कर सकते हैं ।

दूसरी बात यह है कि जिलों में जो करप्शन अफसर रखे गये हैं वह बिलकुल बेकार हैं । वह जो रिपोर्ट देते हैं वह भी ठीक नहीं होती हैं । एक साहब ने मैजिस्ट्रेट के सामने गवाही नहीं दी तो जब वह अदालत से बाहर निकला, थानेदार ने मारना उसको शुरू कर दिया । मजिस्ट्रेट से कहा गया कि थानेदार उस आदमी को मार रहा है । उस थानेदार को तम्बीह देकर छोड़ दिया गया कि आइन्दा ऐसा नहीं करना । जो आदमी इस तरह से एक भले आदमी को मारे उसको इतनी सजा काफी नहीं है । जब तक उनको उचित दंड नहीं दिया जायगा तब तक यह करप्शन दूर नहीं होगा । माननीय मंत्री जी ने जो कदम उठाया है कि जो डाकुओं से मुकाबला करता हुआ पुलिस का आदमी मारा जायगा उसको पेन्शन दी जायगी और इसको उन्होंने बढ़ाया है वह चीज बहुत पहले हो जानी चाहिये थी । कोई आदमी क्यों अपनी जान दे जब तक उसको यह विश्वास न हो जाय कि उसके परिवार वालों को रोटी कपड़ा मिलता रहेगा ? अगर गांव वालों का सहयोग आप चाहते हैं तो गांवों वालों के लिये आपको यह करना होगा। हमारे गांव में कई लोग हैं जो मुकाबले में मारे गये, उनके परिवार के लिये मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। डाकुओं के मुकाबले में किसी भी गांव वाले की मृत्यु अगर हो तो उसके लिये वही पेन्शन होनी चाहिये, जैसी कि मंत्री जी ने पुलिस वालों के लिये की है । इससे उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा ।

इस प्रान्त में ८० फीसदी लोग देहातों में रहते हैं । उनकी सुरक्षा का इंतजाम, मैं समझता हूं शहर की सुरक्षा के इंतजाम से अलग होना चाहिये । शहरों में तो फौज भी रहती हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं जिनके पास असलहा होते हैं, लेकिन देहात में कोई भला आदमी नहीं रह पाता वे अपना माल और रुपया बैंक में जमा भी कर दें तो भी आज कल डाकू घर वालों को पकड़ ले जाते हैं और कहते हैं कि लाख, पचास हजार रुपया दो तो छोड़ेंगे नहीं तो जान से मार देंगे । मेरे जिले में ऐसे कई केसेज हुये और मैं जानता हूं उनको दो-दो, तीन तीन हजार रुपया देना पड़ा तब छूटे । तो अगर यह हालत है तो पुलिस का इंतजाम अच्छा है यह नहीं कहा जा सकता । देहात की हालत में अभी भी कोई सुधार नहीं हुआ है । चोरी की रिपोर्ट से तो कोई लाभ नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं होती इसलिये कि एस० पी० को फुरसत नहीं है और इंक्वायरी करने वही पुलिस अधिकारी आते हैं । अगर बाहरी कोई बड़ा अफसर आये तो उसके देखने पर इसमें कुछ हो भी सकता है ।

पुलिस में यह जो चौकीदारों को हटा कर कांस्टेबिलों की व्यवस्था की जा रही है, यह क्या है ? चौकीदार ५ रुपये में आपका काम करता था और वह इंतजाम ठीक था । वैसे तो बड़ी बड़ी बातें लोग कह देते हैं लेकिन वहां का प्रबन्ध उसी समय ठीक होगा जब कि सरकार यह निश्चय करेगी कि यह इंतजाम ठीक होना चाहिये । जिस तरह से आई० जी० ने वहां (मेरे जिले में) जाकर इंतजाम किया है उस से मुझे आशा है कि वहां का इंतजाम ठीक हो सकेगा । लेकिन केवल यहां बजट पास कर देने से इंतजाम ठीक हो जाय, ऐसा मुझे समझ में नहीं आता ।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)––माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने एक ऐसे अनुदान पर मुझे बोलने का मौका दिया है जिससे इस समाज का बड़ा संबंध है और यह जो समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्री जी पर सौंपी गई है यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ।

अनुदान प्रस्तुत करते समय माननीय मंत्री जी ने वीरगति पाये सिपाहियों के लिये जो घोषणा की है उसके लिये मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं और इसके साथ ही दो और बातें मैं माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं । १९६० की जो रिपोर्ट माननीय मंत्री जी ने रखी है उसमें चोरी का जो विवरण है, अपराधों का जो विवरण है, उस में सब से बड़ी चीज यह है कि अगर दियासलाई चोरी करते हुये भी पकड़ा जाय तो उसे भी सेंध लगाना उसमें साबित किया गया है ।

[श्री गंगाप्रसाद]

और सेंध लगाने की घटनायें १४,७२४ बताई गई हैं। मैं चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि यह जो सेंध लगाने की रिपोर्ट हैं यह गलत हैं और अब आजकल आप सेंध लगाने की घटनायें १४ हजार तो क्या १४ भी नहीं पायेंगे क्योंकि जो जातियां सेंध लगाती थीं उनको अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने क्रिमिनल ऐक्ट के अनुसार जकड़ रखा था, उन्होंने अब सेंध लगाने का पेशा छोड़ दिया है। इस प्रदेश के जो जमींदार लोग हैं, उनके लड़ैत, लट्ठबाज और गिरोह के लोग यह काम करते हैं। और उसको देखने के लिये आज सरकार या पुलिस हिम्मत भी करे तो नहीं देख सकेगी क्योंकि उनके पीछे बड़े लोगों का हाथ है। अभी राजा साहब फरमा रहे थे कि उन्होंने खुद एक हजार या डेढ़ हजार रुपये डकैतों को दिलवाये। वे भी इस प्रदेश के ही लोग हैं जो रुपया देते हैं, डकैत भी इसी प्रदेश के रहने वाले हैं। इन लोगों को, इन जमींदार लोगों ने, बढ़ावा दिया है जिससे उन गरीबों का उस समय जब अंग्रेजी हुकूमत भी खून चूस-चूस कर अपने काम कराने के लिये दफा १०९ और ११० पुलिस द्वारा लागू करवा कर अपना रौब गरीब जनता पर बनाये रखते थे।

श्रीमन्, मैं आज आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि अपराधों की रोक थाम कैसे हो सकती है जब कि आज एक थाने के अन्दर ८० और १०० गांव आते हैं और एक थाने में केवल १२ सियाही और २ सब-इन्सपेक्टर होते हैं। इन लोगों को भी महीने में काफी दिन अदालतों में रहना पड़ता है। केस के सम्बन्ध में अगर आप अपराधों को रोकना चाहते हैं तो इसके लिये आपको ऊपर से ढांचा नहीं बदलना होगा, बल्कि इसके लिये आपको नीचे से ढांचा बदलने की जरूरत होगी। इसके लिये आपको समाज को बदलना होगा। और प्रधान के ऊपर आपको विश्वास न करना होगा क्योंकि वह भी आज वोट के चक्कर में फंसा रहता है। और गांवों में घोर पार्टी-बन्दी है। पहले एक मुखिया होता था अंग्रेजी राज्य में उसी प्रकार आज भी आप एक मुखिया को नियुक्त कीजिये और उस पर आप निर्भर रहिये। वरना आप अपराधों को रोक नहीं सकेंगे। और गांवो में गवाही भी मुखिया द्वारा प्राप्त हो सकेगी जिससे केस सफल हो और असली अपराधी को सजा मिल जाय। और साफ कीजियेगा चौधरी साहब, अभी चार महीने आपको इस विभाग को लिये हुये हुआ है, आज चोरी और डाके की बाढ़ और झड़ी लग गई है। इस तरह से आपको कुछ लोग कमजोर करना चाहते हैं, आपका जो दृढ़ निश्चय है उसको षड़यंत्र करके तोड़ना चाहते हैं। इससे होशियार हो जाइये और बढ़े हुये जुर्मों को रोकने के लिये कड़े से कड़ा रुख बनाइये जिससे विभाग के कामचोर और षडयंत्रकारी लोग परास्त हो जायें और समाज में उत्साह उत्पन्न हो जाय।

दूसरी चीज यह कहनी है कि जहां एक पुलिस दारोगा है वहां दो भेजिये और जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके पुलिस वाले भेजिये, जिससे कम से कम हर अदालती पंचायत में दो पुलिस वाले पहुंच जायं। इससे काम ज्यादा सुचारु रूप से हो सकेगा। अगर पुलिस भेजना संभव न हो तो चौकीदार बढ़ाइये। और आप कहते हैं कि रुपये की कमी है और राजा साहब ने कहा कि बजट बढ़ता जा रहा है, तो सारा बजट का रुपया अगर पुलिस पर खर्च हो जाय तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बगैर सुरक्षा के कोई कैसे अपना जीवन व्यतीत कर सकता है? सुरक्षा नहीं होगी तो और चीजें लेकर क्या करेंगे? आज हर एक आदमी का जीवन खतरे में है। चारों तरफ आतंक छाया हुआ है।

आज देखें कि जमींदारी खत्म हुई। छोटे-छोटे काश्तकार आये। उसके बाद आज उनके खेतों को जबरदस्ती छीना जा रहा है। माफ कीजिये, जिस वक्त आप माल मंत्री थे उस वक्त रोजाना झगड़े होते थे। जिस गरीब आदमी के पास खेत था, बड़े बड़े ताल्लुकेदार और जमींदार छीनते जाते थे। जो कैफियत का खाना (चोर दरवाजा) छोड़ा दिया था उसकी वजह से यह सारे झगड़े हो रहे थे। और आज भी वह समस्या बनी हुई है। अब आपके सामने पुलिस विभाग आया, जिसके जरिये सारे समाज का ढांचा निश्चय होना है, तभी आगे बढ़ सकेंगे। आज जो सर्किल इंस्पेक्टर है उसके पद को आप फौरन से फौरन खत्म कीजिये, उसकी जगह जो डी० वाई० एस० पी० रक्खे हैं वह ठीक हैं।

जहां अपराध ज्यादा हों उस क्षेत्र की अदालती पंचायत व ग्राम सभाओं को इकट्ठा करके इस तरीके से व्यवस्था करें कि अपराध का कारण क्या है, उसकी जांच के लिये एक समिति बनायें और अपराध के रोकने में सहायता करें । महीने में जिले के अधिकारियों की एक मासिक मीटिंग होती है, उसमें अपराधों की रिपोर्ट देखने से पता चलेगा कि कितने कहां अपराध हुये, किस किस्म के हुये, तब एक सुव्यवस्थित योजना बनाकर वहां दारोगा को भेजें और इंचार्ज से कहें कि योजना सफल होना जरूरी है । साथ ही पुलिस को सच्चरित्र बनाने की कोशिश करें, तब ये चीजें दूर होंगी।

अभी हाल ही में बलरामपुर में होली के अवसर पर डी० वाई० एस० पी० की सतर्कता से दंगा होते होते बचा। आज ऐसी संस्थायें हैं, ऐसे साम्प्रदायिक लोग हैं जो दंगा करने के लिये उतारू हैं। जरा सी बात पर, जरा सा रंग डालने पर राष्ट्रीयता को खत्म करने के लिये साम्प्रदायिक लोग सामने आ जाते हैं। राजा साहब ने "मुसलिम लीग" के साथ समझौते की बात कही है। हम कहते हैं कि मुसलिम लीग नहीं बल्कि यहां पर ऐसे साम्प्रदायिक लोग हैं जो आज वोट के नाम पर या तरह तरह के धर्म के नाम पर चाहते हैं कि साम्प्रदायिक दंगा हो और उससे हमारी संस्था फायदा उठाये। इस पर आपको अवश्य ध्यान देना चाहिये और ऐसी साम्प्रदायिक संस्थाओं को या तो बन्द करें या उनके नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेजें, तब यह भावना खत्म होगी, वरना यह दंगे ज्यों ज्यों चुनाव नजदीक आयेगा त्यों त्यों उग्र रूप धारण करेंगे।

एक बात और कही गई है लाइसेंसों के बारे में कि बन्दूक वगैरह के लाइसेंस गांव में दे दिये जायें। आज भी बन्दूक दी जाती है। परन्तु कानून में कुछ अड़चन है। मैं चौधरी साहब से अनुरोध करूंगा कि जो भूमिधर २० रुपये मालगुजारी देते हैं और सीरदार जो ५० रुपया देते हैं तो उनको जरूर बन्दूक दे दी जाय और इसलिये दे दी जाय जिससे समाज की रक्षा हो। लेकिन भक्त आदमियों को बन्दूक नहीं मिल पाती, गुन्डों के पास बन्दूकों की कमी नहीं है, सीतापुर बना रहे। बहुत बन्दूक आज पहुंच गयी हैं उन गुंडों के पास जो चोरी या डकैती करते हैं। उनके यहां तो बन्दूकों की भरमार रहती है।

एक बात और कहना चाहता हूं कि चोरियों की रिपोर्ट जो है वह डकैती आज है, चोरी नहीं है। लेकिन थानेदार उसे चोरी ही लिखते हैं। १०-१५ आदमी किसी के घर में घुसे, ठांय बन्दूक चलाई और लूट लिया । दारोगा साहब कहते हैं कि चोरी लिखाओ। अगर डकैती लिखते हैं तो उन्हें फौरन जाना पड़ता है। इसलिये दारोगाओं को हिदायत होनी चाहिये कि अगर १०-१५ आदमी आकर लूट लें तो वह डकैती लिखनी चाहिये।

आज लड़कियों का अपहरण बहुत जोरों पर है। यह सदियों की चीज चली आ रही है। एक कानून यह होना चाहिये कि जो व्यक्ति लड़कियों को भगाने में पकड़ा जायगा उसकी हिस्ट्रीशीट उसी दिन से खोल दी जायेगी। इससे लोग इस बुरे काम को छोड़ देंगे।

आज बहुत से थानेदार लोग परेशान रहते हैं चूंकि उनके पास पैसा नहीं है। १०-२० रुपया जो उनको फुटकर खर्च के लिये मिलता है उससे उनका काम नहीं चलता है। उसके लिये कम से कम २०० रुपया हर थाने के लिये हो जिसे वे जरूरत पड़ने पर काम में ला सकें।

विकास खंड और समाज कल्याण की जीपों का भी इस्तेमाल पुलिस वालों को करने की इजाजत होनी चाहिये। हमारे यहां की बात है कि विकास खंड वालों ने जीप देने से इनकार कर दिया कि हमको आर्डर नहीं है। अगर पुलिस को जरूरत पड़ने पर उनसे जीप मिल जाय तो जुर्म बन्द होने में बहुत सहायता मिलेगी।

पुलिस का भ्रष्टाचार तभी दूर होगा जबकि आप उनकी तनख्वाहें बढ़ावेंगे। पुलिस कमीशन की रिपोर्ट के इन्तजार में उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ीं और वे बेचारे निराश हो गये।

एक बात और है। सिपाही से जो दारोगा बनाये गये हैं उन्हें, जो अच्छा काम करते हैं, जल्दी मुस्तकिल करना चाहिये। जो हवलदार, दीवान या मुन्शी अच्छा काम करें, उनको इससे प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री अध्यक्ष---आपका समय समाप्त ।

*श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है प्रसाशन और समाज में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पुलिस के लिये कहा जाता है कि उसकी जरूरत हमारी जानमाल की रक्षा के लिये है और यह है भी। किन्तु पुलिस अपना कर्तव्य पालन ठीक तरह से कर नहीं पाती न वह करना चाहती है और न कर ही पाती है। इसके कई कारण हैं। मैं पुलिस के काम को २ अंगों में विभाजित करता हूं। एक तो इसका कर्तव्य और दूसरा उसका आचरण है। कर्तव्य के बारे में जो पुस्तक हम लोगों को मिली है, उससे जाहिर है कि उसने उसमें कितनी उदासीनता की है---कुल चौसठ हजार मामले अपराध के पुलिस को मिले, जिनमें ५६ हजार की जांच की गयी। उनमें साधारण और घृणित दोनों प्रकार के मामले थे। ८ हजार तो पुलिस ने यों ही उदासीनता से छोड़ दिये। अब उन ५६ हजार में से २६ हजार अदालत में गये, यानी आधे से कम और ६४ हजार के तिहाई। अब इनमें से जघन्य अपराधों में चालीस प्रतिशत और साधारण अपराधों में ५० प्रतिशत सजा हुई। अदालत में गये हुये मामले में ६० प्रतिशत मामलों में सजा हुई। अगर पूरे मामलों को लिया जाय तो ३०-३५ प्रतिशत को ही सजा हुई। यह नहीं है कि सजा होती नहीं है बल्कि कारण यह है कि पुलिस सजा दिलाती नहीं है। या तो पैरवी में रिश्वत मिल जाती है, या कोई सिफारिश पहुंच जाती है या ऊपर से कोई दबाव पड़ जाता है। पुलिस अछूती नहीं है, किसी न किसी दल विशेष से खास तौर से संबंध रखती है। पिछले आम चुनाओं में सत्ताधारी एम० एल० एज० का कनवेसिंग किया था, पंचायतों के इलेक्शन में भी सत्ताधारी व्यक्तियों को सहायता दी।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---श्रीमन्, शोर बहुत हो रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य धीरे-धीरे बात-चीत करें अथवा बन्द कर दें।

श्री नन्दराम---दूसरी चीज आचरण के बारे में है। कम्प्लेन्ट आफीसर के पास सारे विभागों के ५,९१० मामले गये हैं जिनमें से ४,६८२ मामले केवल पुलिस के थे यानी सारे विभागों में सबसे ज्यादा पुलिस का आचारण भ्रष्ट है अर्थात् ८० फीसदी का। इनमें से केवल १,२०० आदमियों को सजा मिली। सजा मिलने में भी पक्षपात बरता गया है। इनमें गजटेड आफीसर एक नहीं है। जो गरीब हैं, छोटे हैं, सरकार की नजर में वे ही अपराधी हैं। जो बड़े हैं, बड़ी पोस्टों पर हैं, बड़ा-बड़ा अपराध करने पर भी वह अपराधी नहीं ठहराये जाते। इनमें से सिर्फ ५० आदमियों को निकाला गया है।

इसके अलावा अपने जिले के बारे में भी कुछ बातें मंत्री जी से कहना चाहता हूं। हमारे यहां एक एक दिन में ८-८, १०-१० चोरियां होती हैं। लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। पुलिस कहती है कि उनका नाम बताइये। अगर हम चोर को पहचान लें तो पकड़ न लें। कई मामले आतिशजनी के भी हुए लेकिन उनकी कोई जांच-पड़ताल नहीं हुई। इस पुस्तिका के शुरू में ही लिखा हुआ है कि सन् ६० में पुलिस में कुछ आन्दोलनों के सम्बन्ध में जिनमें समाजवादी आन्दोलन का भी जिक्र है, बहुत बड़े काम किये। क्या कहने हैं, क्या खूबी है, मेरी समझ में नहीं आता कि समाजवादी तो सत्याग्रह करते थे और पुलिस के कहने पर जेल चले जाया करते थे, तो इनमें पुलिस ने कौन-सा सराहनीय काम किया? हां, यह सराहनीय काम जरूर हो सकता है कि जब जेलखानों में जगह नहीं रही तो सरकारी नीति के अनुसार हम लोगों को गिरफ्तार करके दस-दस बीस-बीस और पचास-पचास मील दूर जाकर पुलिस जंगलों में छोड़ आया करती थी, या यह सराहनीय काम हो सकता है कि हम लोग उधर जेल में गये तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जेल की सजा काटी और जुर्माने की सजा भी काटी और जब जेल काट कर घर आये तो हम लोगों के यहां कुर्की पहुंच गयी और सब सामान नीलाम किये गये।

इसके अलावा एक बात और है कि समाजवादी पार्टी के जितने भी काम थे वे खुले आम होते थे। अगर हम जलूस निकालते थे तो कहा जाता था कि इन्होंने दूकानें लूटीं और थाने या अदालतों के काम में अड़चनें डालीं। अगर हम नारे लगाते हुए जाते थे तो हमारे ऊपर यह केस चलाया जाता था कि हमने पुलिस के काम में दस्तन्दाजी की या जिलाधीश के यहां चिट्ठी ले जाने में अड़चन पैदा की। इस तरह से बिलकुल झूठी बातों के ऊपर गलत मामले पुलिस द्वारा चलाये जाते थे, और उसी काम के लिये पुलिस की सराहना है, तो ठीक है। असलियत यह है कि जो मामला सही है उसको पुलिस नहीं चलाती, बल्कि गलत आदमियों पर जिसने अपराध नहीं किया है, जो निर्दोष है, उस पर मामला चलाती है।

श्री चरण सिंह--पुलिस में खराबियां तो बहुत हैं, कुछ अच्छाइयां भी तो बतलाइये।

श्री नन्दराम--मेरी नजर में कोई अच्छाई है ही नहीं तो क्या बताऊं।

श्री अध्यक्ष--उनका मतलब यह है कि बुराइयों को दूर करने का रास्ता भी बताते चलिये।

श्री नन्दराम--बुराइयों को दूर करने का रास्ता थोड़ी देर बाद बतलाऊंगा।

मैं निवेदन कर रहा था कि ज्यादातर आदमी जो कि अपराधी हैं वे छूट जाते हैं। उसका खास कारण यह है कि कुछ लोग पुलिस के पास सिफारिशी पहुंच जाते हैं, कुछ दबाव भी पड़ता है और जैसा कि एक इशारा किया गया था वहां जो कोर्ट इंसपेक्टर होते हैं वे ज्यादातर उस पार्टी से संबंधित होते हैं। हमारे जिले प्रतापगढ़ में एक कांग्रेसी महोदय हैं, जिनके द्वारा सही मामले भी नहीं साबित हो पाते। जैसा कि एक सुझाव आया है उसी जिले का कोर्ट इंसपेक्टर वहीं न रहे बल्कि दूसरे जिले के कोर्ट इंसपेक्टर वहां रखे जायं। मेरे यहां एक कहावत हो गयी है कि जब से मैं एम० एल० ए० हुआ हूं तब से वहां १०७ के मुकदमें खतम हो गये जब कि मेरे से पहले वाले एम० एल० ए० के जमाने में बराबर १०७ के मुकदमें चला करते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो लोग वाकई अपराधी हैं, जिनके खिलाफ तमाम शिकायतें हैं, जो ज्यादतियां करते हैं और फौजदारी करते हैं वे दूसरों को सताते हैं और जिनके खिलाफ दस दस दरख्वास्तें हैं उनके खिलाफ १०७ की कार्यवाही नहीं होती। पुलिस दबाव से डरती है। हमारे यहां मानीपुर और अंतःपुर में १०७ का मुकदमा चल रहा है, उसमें भी दूसरी तरफ से पुलिस को इशारा है। कुछ लोग हमसे संबंधित हैं। दोनों ओर से उसमें ७० आदमी हैं, तीन दूसरी तरफ के हैं और बाकी हमसे संबंधित हैं। वही भर दिये गये और मुकदमा चल रहा है और कोई अपराध उनका नहीं है। लेकिन इशारा चल रहा है और पुलिस इशारे पर चल रही है। मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय इसकी जांच करें कि पुलिस क्यों इशारे पर चल रही है। अगर वह वाकई में पुलिस को ठीक करना चाहते हैं तो वह पुलिस को आजाद करें कि वह किसी पार्टी या सत्ताधारी दल के इशारे पर न चले।

श्री चरणसिंह--तो क्या आप चाहते हैं कि वह समाजवादी पार्टी के इशारे पर चले ?

श्री नन्दराम--मैं यह भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि वह किसी दल के इशारे पर न चले। वह जानते हैं कि अभी सत्ता हमारे हाथ में नहीं है, हो सकता है कि भविष्य में वह आये लेकिन वह तो वर्तमान को देखकर चलते हैं।

एक बात कम्पलेंट अफसरों के बारे में भी कहना है। पुलिस की जितनी भी शिकायतें जाती हैं उनकी जांच पुलिस विभाग द्वारा ही होती है। इस विषय में और किसी माननीय सदस्य ने भी कहा था और मैं भी निवेदन करूंगा कि जब विभाग के लोगों के खिलाफ ही शिकायत

[श्री नन्दराम]

आती है तो उसी विभाग के अफसरों द्वारा रिपोर्ट ठीक देना और उनके खिलाफ देना मुश्किल हो जाता है और वह कार्यवाही नहीं कर पाते। हमारे यहां एक थानेदार ने एक किसान को मारा मैंने उससे दरख्वास्त दिलवाई और उस पर इंसपेक्टर जांच के लिये आया, उस वक्त मैं एम० एल० ए० नहीं था, मैं वहां मौजूद था। उसी वक्त थानेदार ने इशारा कर दिया और वह दरख्वास्त छिपा दी गई। यह हालत है। अगर मंत्री जी वाकई में पुलिस विभाग को ठीक करना चाहते हैं तो जितनी भी शिकायतें आती हैं उनकी जांच जल्दी से जल्दी करायें क्योंकि देर होने से भी उनका महत्व जाता रहता है और वह भी किसी दूसरे सच्चे आदमी द्वारा जो दूसरे विभाग का हो होना चाहिये। अगर उसी विभाग के आदमियों द्वारा जांच होगी तो उन लोगों को सजा नहीं मिल सकती और एक प्रतिशोध की भावना रहती है और जो शिकायत करते हैं उनके ऊपर १०९, ११७ और ११० की कार्यवाही चला कर परेशान किया जाता है।

अन्त में मैं एक चीज और निवेदन करूंगा कि पुलिस के प्रबन्ध में सुधार किया जाय। आज जो विषमता सरकार में है वह पुलिस में भी आ गई है। आज बड़े-बड़े अफसरों के और थानेदारों के पास बड़े-बड़े बंगले हैं लेकिन आज जो कान्सटेबिलों के रहने की जगह है वह जेल की बैरकों से बदतर है। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके लिये भी सुन्दर प्रबन्ध किया जाय और इस विषमता को मिटाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का विरोध करता हूं।

*श्री रघुवीरसिंह (जिला मेरठ)—अध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग का जो अनुदान माननीय पुलिस मंत्री ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं उनकी इस घोषणा का विशेष रूप से स्वागत करता हूं कि उन्होंने जो चोर डकैतों से मुकाबला करने में पुलिस कर्मचारी मारे जाते हैं, उनके लिये विशेष पेंशन और रियायत दी है। इससे उनकी हौसला अफजाई होगी और उत्साह बढ़ेगा और आगे से उनको किसी भी समय मुकाबला करने में यह फिक्र न होगी कि हमारे बच्चों का और उनकी जीविका का क्या इन्तजाम होगा। वह समझेंगे कि अगर हम वीरता से मर भी जायंगे तो हमारे बच्चों को जो हमें आज वेतन मिलता है वह हमारे मरने के बाद भी मिलता रहेगा, ५८ साल तक की उम्र तक। तो उनके अन्दर बहुत हिम्मत पैदा होगी और फिक्र न होने की वजह से वह बहुत लगन और हिम्मत के साथ काम करेंगे। यह एक बहुत अच्छी बात है। वैसे तो जहां तक पुलिस के संबंध में नुक्ता-चीनी का संबंध है, मैं समझता हूं कि उसमें बहुत सी बातें सही भी हैं। लेकिन जैसा कि अभी मेरे लायक दोस्त समाजवादी सदस्य ने कहा कि बहुत से एम० एल० ए०, उन्होंने नाम नहीं लिया किसी पार्टी का कि कांग्रेस या समाजवादी या कोई और वह पुलिस के मामले में दखल देते हैं, तो जब वह दखल देते हैं और जो न्याय पुलिस करना चाहती है उसको नहीं करने देते तो यह पुलिस का दोष तो नहीं है बल्कि हम लोगों का दोष है। इसलिये हम लोगों को अपनी आदत सुधारनी चाहिये।

दूसरी बात उन्होंने कही कि पहले १०७/११७ के बड़े केस चलते थे जब कि वह एम० एल० ए० नहीं थे। और जब एम० एल० ए० हो गये तो १०७/११७ के केस खत्म हो गये। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने यह अपनी तारीफ की बात कही होगी। लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद कहने लगे कि अब वहां ज्यादती होती है, जुर्म होते हैं, लोग फौजदारी करते हैं, कत्ल होते हैं लेकिन १०७/११७ के केस चलाए नहीं जाते। समझ में नहीं आता कि उनकी कौन सी बात सही है। उसमें पुलिस दोषी है या एम० एल० ए० दोषी हैं या दोष उनके एम० एल० ए० होने का है या दूसरे साहब के न होने का है? इसमें पुलिस कर्मचारियों का कोई दोष तो साबित होता नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां तक पुलिस की कार्यकुशलता का ताल्लुक है, अगर हम सारे प्रदेश में उसकी कार्यवाही को देखें तो यह तो हो सकता है कि व्यक्तिगत कार्यवाही में कहीं ज्यादती हो, लेकिन जो सामूहिक कार्यवाही होती है और जहां तक प्रदेश में शांति की स्थापना का सवाल है उसमें हम देखते हैं कि पुलिस बहुत तत्परता और हिम्मत के साथ काम कर रही है। पिछले दो तीन सालों का रेकार्ड देखा जाय। चम्बल घाटी में डाकुओं को गिरफ्तार करने के संबंध में या उनकी रोक-थाम के संबंध में पुलिस की कितनी मुठभेड़ हुई और कितने पुलिस वाले मुकाबला करते हुए मारे गये। यह जानते हुए कि हमारे मरने के बाद परिवार के जीवन-यापन का कोई साधन नहीं होगा, बच्चों के लिखने-पढ़ने का कोई इन्तजाम नहीं होगा, दवा का इन्तजाम नहीं होगा, फिर भी पुलिस ने बड़ी हिम्मत से मुकाबला किया और काफी बड़े बड़े नेता डाकुओं को गिरफ्तार किया।

बरेली में इलाहाबाद बैंक की जो डकैती हुई उसके संबंध में पुलिस ने कितनी कार्यकुशलता दिखलाई है, उनका पता लगाने में, माल बरामद करने में और मुकदमा चलाने में! इसी तरह से और बड़ी-बड़ी चोरियों और डकैतियों के संबंध में काफी होशियारी से काम किया है और जांच-पड़ताल करके पता लगाया है। अभी एक एम० एल० ए० साहब के यहां जो डकैती हुई थी उसका पूरा पता लगा लिया और सारा माल बरामद हो गया। तो ला ऐन्ड आर्डर की बात को हम देखें और उसके सामूहिक कार्यों को देखें तो पुलिस का काम सराहनीय है।

इसके साथ-साथ कहीं-कहीं कम्युनल रायट्स हो जाते हैं, जैसे मुरादाबाद में हुआ और प्रदेश के दूसरे हिस्से में हुए, मेरठ में भी हुआ था सन् ४७-४८ के करीब, मैं उस समय जिला कांग्रेस कमेटी का प्रधान था। मैंने खुद देखा कि पुलिस के लोग कितनी तत्परता और हिम्मत तथा लगन के साथ कार्य करते थे। २४ घंटे मुहल्ले और चौराहों पर जाकर पैट्रोल करते थे और २४ घंटे के अन्दर एक जो बड़ा भारी रायट था उसको खत्म कर दिया। इसी तरह से मुरादाबाद में जो यह रायट हुआ, वह जिस तरह से एक मामला चला था अगर पुलिस सतर्क न होती और अपनी कार्यकुशलता का परिचय वहां न देती.....

श्री अध्यक्ष---अब आप अपना भाषण कल जारी रखेंगे। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
४ मार्च, १९६१।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६२ पर)

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम

वृहत तथा मध्यमवर्ग के उद्योगों की तृतीय योजना के अन्तर्गत राज्य में वृहत उद्योगों की उन्नति के लिये एक स्वचालित निगम की स्थापना राज्य संस्थान के रूप में सम्मिलित की गई। यह योजना नियोजन आयोग द्वारा स्वीकृत की गई तथा उसके लिये तृतीय योजना काल में १ करोड़ रुपये की धनराशि भी नियत कर दी गई।

२—चूंकि यह राज्य के विधान मंडल में निहित शक्तियों के बाहर है कि वह एक विधेयक द्वारा ऐसे निगम की स्थापना कर सकें अतः इस निगम को एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में स्थापित कर उसका कंपनीज ऐक्ट के अन्तर्गत निबंधन कराया गया है। इस निगम का नाम उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम रक्खा गया है और गत वित्तीय वर्ष में द्वितीय योजना की बचत में से २५ लाख रुपये के उसके अंश भी खरीद लिये गए हैं। यह निगम मुख्यतः इसी उद्देश्य से स्थापित किया गया है कि वह उन औद्योगिक प्रयासों को प्रोत्साहित करे जिनको अन्य उद्योगपति प्रारम्भ करने के लिये तैयार नहीं है। यह ऐसे उद्योगों की उन्नति के लिये प्रारम्भिक प्रयास करेगा जिनको पूंजी के लिये एक बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी अथवा जिनकी स्थापना में प्राविधिक कठिनाइयां होंगी। अतः प्रधानता उद्योगों की उन्नति की ओर होगी न कि उनके स्वामित्व पर। निजी पूंजी जहां तक संभव हो निगम की योजनाओं के लिये आकर्षित की जायगी। जहां उचित होगा पूर्ण योजनाएं निजी क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दी जायंगी जिससे कि नए उद्योगों की स्थापना के लिये पूंजी प्राप्त हो सके।

३—अर्ध राजकीय संस्थाएं बैंक तथा इन्श्योरेन्स कंपनीज भी यदि चाहें तो निगम की पूंजी में भाग ले सकते है। परन्तु उसमें राज्य सरकार के अंशों का अनुपात ५१ प्रतिशत अवश्य रहेगा। निगम की अधिकृत पूंजी ५ करोड़ रुपया नियत की गई है तथा निगम ऋण पत्र जारी करके ऋण भी ले सकती है।

४—संक्षेप में निगम के मुख्य कार्य निम्नलिखित होंगे :

१—उन उद्योगों के संबंध में जो राज्य के लिये लाभप्रद हों, जांच करना पर्यवेक्षण करना, प्रोजेक्ट इक्जीक्यूशन रिपोर्ट तैयार करना तथा निम्नलिखित ढंग से उनकी स्थापना के लिये कदम उठाना।

(क) एकाई (unit) निजी क्षेत्र में ली जा सकती है जिसकी सहायता निम्नलिखित ढंग से की जायगी :

(१) अंश पूंजी के लिये अंश धन दान देकर।

(२) उसके अंश-ऋण पत्र को underwrite करके।

(३) ऋण देकर, दिए जाने वाले ऋण की Guarantee करके अथवा ऋण पत्र खरीद करके।

(ख) एकाई निगम की सब्सीडियरी कम्पनी द्वारा ली जाय जिसमें निगम का Controlling अंश हो।

(ग) एकाई पूर्णतः निगम द्वारा ही स्थापित की जाय।

(२) एक वर्तमान इकाई को सुचारु रूप से चलाने के लिये, नये कार्य कलाप तथा पुनर्वास के लिये निम्नलिखित ढंगों में से एक रूप में सहायता करना :

(१) अंश पूंजी के लिये अंशदान देकर

(२) अंश ऋण पत्र underwrite करके ; या

(३) ऋण देकर दिये जाने वाले ऋण की अदायगी की Guarantee करके अथवा ऋण पत्र खरीद करके ।

साधारणत: निगम निजी क्षेत्र के संस्थाओं को ऋण नहीं देगा परन्तु इसके अनुच्छेदों में एक समर्थकारी प्राविधान किया गया है ।

(३) राज्य के विभिन्न भागों में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना ।

५—पहले वर्ष अर्थात् १९६१-६२ में निगम औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना और इससे संबंधित प्राजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का काम प्रारम्भ करेगा । यह उन योजनाओं में से कुछ को ले लेगा जो कि धन की कमी की वजह से तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं की जा सकीं ।

निगम के समस्त महत्वपूर्ण निर्णयों पर सरकार द्वारा स्वीकृति की आवश्यकता होगी, बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स उन मामलों को सरकार के निर्णय के लिये सुरक्षित रक्खेगा जिनमें १५ लाख रुपये के पूंजी के व्यय की लिये कार्यक्रम होगा ।

निगम के मेमोरेन्डम तथा आर्टिकिल्स आफ एसोसियेसन अभी नहीं छपे हैं ।

नत्थी 'ख'

(देखिये गृह मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७२ पर)

१९५८ की घटना का विवरण

श्री लोधेश्वर महादेव के मेले के अवसर पर १९५८ में दिनांक ११-१२-५८ को लइया बाजार में ४-५ आदमी आपस में लड़ रहे थे। झगड़े का मुख्य कारण यही था कि लइया बताशा की गली में कावांरथी लोग लइया बताशा को हानि पहुंचाते हुए जा रहे थे। पुलिस ने झगड़ा करने वाले लोगों को धारा १५१, जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत गिरफ्तार किया और उनका चालान १०७/११७ जा० फौ० के अन्तर्गत किया था।

१९६० की घटना का विवरण

सन् १९६० ई० में उक्त मेले के अवसर पर दिनांक २३-२-६० को कावांरथी लोग जो संख्या में १५-२० के लगभग थे, किसी आदमी को जेब टटोलने के आरोप में लात घूंसा इत्यादि से मार रहे थे जिसके फलस्वरूप उस आदमी के ८ चोटें आईं। सूचना पाने पर जब सब-इंस्पेक्टर ने सिपाहियों व चौकीदारों की मदद से गिरहकट को कावांरथियों के पंजे से छुड़ाया कावांरथियों ने उन पर धावा किया और पुलिस पर पत्थर ढेले फेंकना आरम्भ किया जिसके फलस्वरूप एक कांस्टेबिल तथा २ चौकीदारों को चोंटें आई। स्थिति को काबू में लाने के लिये सर्किल इन्सपेक्टर एक दस्ता पी० ए० सी० का लेकर घटनास्थल पर पहुंचे और उक्त घटना के संबंध में १२ व्यक्ति गिरफ्तार किये गय।

नत्थी 'ग'

(देखिये गृह मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित तारांकित प्रश्न ५७–५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७४ पर)

तालिका

कत्ल, डकैती तथा चोरी के मामलों की संख्या

१९६०

	रिपोर्ट हुई	चालान हुए	छूट गये
कत्ल	६	५	१
डकैती	१	१	..
चोरी	४५	१९	४

(धारा ३७९, ३८० व ४५७ भारतीय दंड विधान)

१९६१ (जनवरी–फरवरी)

कत्ल	..	..	..
डकैती	१	..	..
चोरी	१७	५	..

(धारा ३७९, ३८० व ४५७ भारतीय दंड विधान)

नत्थी 'घ'

(देखिये गृह मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित तारांकित प्रश्न ६७–६८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७५ पर)

इटावा जिले में कृषि वृद्धि फार्म खोले जाने के स्थान, क्षेत्रफल इत्यादि

गांव का नाम	ली जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल	उन कृषकों की संख्या जिनकी मजरूआ भूमि ली जा रही है
	एकड़	
१—अकबरपुर तहसील इटावा ..	३१.०५	८०
२—भोली तहसील भरथना ..	२५.५०	२८
३—गढ़िया गोसाईं तहसील विधूना ..	३०.५७	४८
४—बिमटामऊ तहसील विधूना ..	३१.५३	२७
५—पुरवा सहाय और पुरवा रावत ..	२७.३४	४९

नत्थी 'ङ'

(देखिये गृह मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित तारांकित प्रश्न ६९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७६ पर)

तालिका

जिला	कत्ल	बलवा
१—झांसी	१	१
२—बांदा	..	..
३—जालौन	..	८
४—हमीरपुर	१	५

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८७ पर)

तालिका

इलाहाबाद जिले में दिसम्बर, १९६० तथा जनवरी, १९६१ में हुई कत्ल की घटनाओं के बारे में मांगी गई सूचना

ग्राम तथा थाना जहां कत्ल की घटना हुई	तिथि	कितने व्यक्तियों की हत्या हुई
१—निषादा, थाना कन्टूनमेंट ..	७ दिसम्बर, १९६०	१
२—नारा, थाना मंझनपुर ..	२८ दिसम्बर, १९६०	३
३—खरौना, थाना पच्छिम शरीरा .. (लाश ग्राम खतरसुइया के पास नहर में बहती हुई पाई गई थी)	४ जनवरी, १९६१	१
४—झिवकी, थाना नैनी ..	२१ जनवरी, १९६१	१

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८८ पर)

१—अलीनगर
२—खिडनी
३—कंसुआ
४—मलिकपुर
५—नगला दनुआं
६—करी
७—अरहो
८—आदमपुर भाखन
९—रौसा
१०—राजपुर करना
११—आदमपुर अमेदा
१२—उदैतपुर
१३—रामपुर
१४—सकतपुर
१५—सरगोली
१६—रसूलपुर।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०९–११० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९४–४९५ पर)

तालिका 'क'

१ अगस्त, १९५६ से ३१ जुलाई, १९५९ तक के लिय कृषि पाठशाला, चिरगांव, झांसी, की पुनर्निर्मित गवर्निंग बाडी के सदस्यों की सूची

१—जिलाधीश, झांसी	चेयरमैन
२—श्री लल्लूराम द्विवेदी, एम० एल० सी	सदस्य
३—श्री लक्ष्मण राव कदम, एम० एल० ए	,,
४—श्री मुन्ना लाल जैन	,,
५—श्री राव सूरत सिंह	,,
६—जिला पाठशाला निरीक्षक, झांसी	,,
७—जिला नियोजन अधिकारी, झांसी	,,
८—प्रिंसिपल, राजकीय कृषि विद्यालय, चिरगांव	सदस्य—सचिव।

तालिका (ख)

३० अगस्त, १९६० से २९ अगस्त, १९६१ तक के लिये कृषि पाठशाला, चिरगांव झांसी, की पुनर्निर्मित गवर्निंग बाडी के सदस्यों की सूची

१—उप-मंत्री, (कृषि)	प्रेसीडेंट
२—जिलाधीश, झांसी	सदस्य
३—श्री कृष्णचन्द्र शर्मा, भूतपूर्व एम० पी०	,,
४—श्री बृजगोपाल सक्सेना, एम० एल० ए०	,,
५—श्री मुरलीधर कुरील, एम० एल० ए०	,,
६—श्री गोविन्द नारायण तिवारी, एम० एल० ए०	,,
७—श्री अब्दुल शकूर नजमी, भूतपूर्व एम० एल० सी	,,
८—उप निदेशक, शिक्षा, इलाहाबाद सर्किल	,,
९—संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश	,,
१०—सहायक कृषि निदेशक, बुलन्दशहर मंडल	,,
११—सहायक विकास आयुक्त, बुदेलखंड मंडल	,,
१२—प्रिंसिपल, राजकीय कृषि विद्यालय, चिरगांव	सदस्य—सचिव।

[उप मंत्री (कृषि) के स्थान पर दिनांक २१ मार्च, १९६१ से झांसी मंडल के आयुक्त समिति के प्रेसीडेंट नियुक्त कर दिये गये है।]

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २–४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९६ पर)

नाम थाना	कुल रिपोर्ट कितनी हुई		नामजद कितनी थी		कितनों में चालान हुआ		कितनों में फाइनल रिपोर्ट लगी	
	१९५८–१९५९	१९५९–१९६०	१९५८–१९५९	१९५९–१९६०	१९५८–१९५९	१९५९–१९६०	१९५८–१९५९	१९५९–१९६०
डकैती—								
बेवर	१	१	१	१	१	१	..	..
किशनी	३	..	१	..	३	..	..	..
कुर्रा	..	२	..	१	..	२	..	..
करहल	२	..	१	..	२	..	..	..
कत्ल—								
बेवर	५	३	२	..	३	२	२	१
किशनी	४	४	२	३	४	४	..	..
कुर्रा	३	१	१	..	२	..	१	१
करहल	१	२	१	..	१	२	..	..
चोरी—								
बेवर	५२	४६	१५	१६	१८	११	२८	३२
किशनी	३९	३२	१२	१४	१४	१७	२३	१५
कुर्रा	२२	२३	१७	१३	१०	१७	१२	५
करहल	३५	२२	१२	७	११	११	१६	११
राहजनी—								
बेवर	२	१	..	..	२	१	..	..
किशनी	..	..	..	..	..	..	..	..
कुर्रा	२	..	२	..	२	..	..	..
करहल	..	..	..	..	..	..	..	..